



# भारत निर्वाचन आयोग लोकसभा आम चुनाव



2019





# हार्दिक आभिनन्दन

पीठासीन अधिकारियों /  
मतदान अधिकारियों का प्रशिक्षण, 2019



कृपया प्रशिक्षण कक्ष में  
शान्ति बनाए रखें एवं अपना  
मोबाईल ऑफ अथवा वाइब्रेट  
मॉड पर रखें।



# MAKING ALL ELECTORAL BOOTHS AS NO SMOKING ZONE



**NO Smoking Area**

**Smoking here is an offence**

# पीठासीन अधिकारी अपना मोबाइल समयबद्ध सूचनाओं के अग्रेषण हेतु पंजीकृत कराएँ

## लोकसभा आमचनाव-2019

**मतदान दिवस को पीठासीन अधिकारी द्वारा SMS के माध्यम से मतदान की सूचना प्रेषित करने की कार्यप्रणाली की जानकारी**

**एस.एम.एस. भेजने का नं. : 9680999899**

**विद्यानसना शेत्र का नाम :**

| क्र.सं.  | विषयण  | दिनांक                   | SMS भेजने का प्रारूप   | चदाहरण  |
|--|--|--------------------------|--|---|
| <b>पीठासीन अधिकारी एवं बूथ लेपिल अधिकारी के मोबाईल नं. के पंजीकरण करने का विषयण -</b>  |  |                          |  |   |
| 1.   | पीठासीन अधिकारी का पंजीकरण<br>(मतदान दिवस से 2-3 दिन पूर्व)                        |                          | POLLRJ<space>AC No.<space>PS No.<space>Verification Code<br>मूल मतदान केन्द्र के लिये<br>सहायक मतदान केन्द्र के लिये | POLLRJ 98 7 897<br>POLLRJ 98 7A 897   |
| <b>उपरोक्त चदाहरण में 98, सच्चित विद्यानसना का नम्बर, तथा 7 सच्चित मतदान केन्द्र संख्या एवं 897 सच्चित विद्यानसना शेत्र का ऐरिफिकेशन कोड है।</b> |  |                          |  |   |
| <b>पीठासीन अधिकारी द्वारा समय-समय पर प्रेषित किये जाने वाले एस.एम.एस. का विषयण -</b>   |  |                          |  |   |
| क्र.सं.  | पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रेषित किये जाने वाले एस.एम.एस. का विषयण                   | एस.एम.एस. करने की दिनांक | एस.एम.एस. करने का समय  | SMS भेजने का प्रारूप  |
| 1.   | मतदान दल के मतदान केन्द्र पर त्रुमिति सम से पहुँचने पर।                            | मतदान दिवस               | मतदान दल के मतदान केन्द्र पर पहुँचने के त्रुपत्त बाद।  | POLLRJ <space>SAP   |
| 2.   | मौक पोल एवं मौक पोल के समय उपस्थित शाजनीतिक दल के प्रतिनिवियों की संख्या की सूचना। | मतदान दिवस               | मौक पोल होने के त्रुत बाद तथा मतदान प्रारंभ होने के पूर्व।   | POLLRJ <space>MP<space>मौक पोल के समय बूथ पर उपस्थित शाजनीतिक दल के प्रतिनिवियों की कुल संख्या        |
| 3.   | मतदान प्रारंभ होने की सूचना।   | मतदान दिवस               | प्रातः 7:15 बजे  | POLLRJ <space>PS  |
| 4.   | प्रातः 9:00 बजे तक बूथ पर द्वाए मतदान की सूचना।                                    | मतदान दिवस               | प्रातः 9:00 बजे तक   | POLLRJ <space>9<space> प्रातः 9:00 बजे तक बूथ पर मतदान कर चुके मतदाताओं की कुल संख्या                 |
| 5.   | प्रातः 11:00 बजे तक बूथ पर द्वाए मतदान की सूचना।                                   | मतदान दिवस               | प्रातः 11:00 बजे तक  | POLLRJ <space>11<space> प्रातः 11:00 बजे तक बूथ पर मतदान कर चुके मतदाताओं की कुल संख्या               |
| 6.   | दोपहर 1:00 बजे तक बूथ पर द्वाए मतदान की सूचना।                                     | मतदान दिवस               | दोपहर 1:00 बजे तक  | POLLRJ <space>1<space> दोपहर 1:00 बजे तक बूथ पर मतदान कर चुके मतदाताओं की कुल संख्या                  |
| 7.   | दोपहर 3:00 बजे तक बूथ पर द्वाए मतदान की सूचना।                                     | मतदान दिवस               | दोपहर 3:00 बजे तक  | POLLRJ <space>3<space> दोपहर 3:00 बजे तक बूथ पर मतदान कर चुके मतदाताओं की कुल संख्या                  |
| 8.   | सायं 5:00 बजे तक बूथ पर द्वाए मतदान की सूचना।                                      | मतदान दिवस               | सायं 5:00 बजे तक   | POLLRJ <space>5<space> सायं 5:00 बजे तक बूथ पर मतदान कर चुके मतदाताओं की कुल संख्या                   |
| 9.   | सायं 6:00 बजे तक बूथ पर द्वाए मतदान की सूचना।                                      | मतदान दिवस               | सायं 6:00 बजे तक   | POLLRJ <space>5<space> सायं 6:00 बजे तक बूथ पर मतदान कर चुके मतदाताओं की कुल संख्या                   |
| 10.  | सायं 6:00 बजे पश्चात बूथ पर कतार में शब्द रह मतदाताओं की संख्या।                   | मतदान दिवस               | सायं 6:15 बजे तक   | POLLRJ <space>Q<space> सायं 6:00 बजे पश्चात बूथ पर मतदान छुटु लाइन में लग शब्द मतदाताओं की कुल संख्या |
| 11.  | बूथ पर द्वाए कुल मतदान की अंतिम मतदान मतदान दिवस की सूचना।                         | मतदान दिवस               | मतदान पूर्ण होने के त्रुपत्त बाद   | POLLRJ <space>VT<space> मतदान पश्चात बूथ पर मतदान कर चुके कुल मतदाताओं की कुल संख्या                  |
| 12.  | मतदान के पश्चात मतदान दलों का मतदान दिवस   | मतदान दलों के ई.ग्री.एस. |  | POLLRJ <space>SAR   |

## मतदान सामग्री की जाँच

- कार्यकारी निर्वाचक नामावली के प्रत्येक सेट में निम्नांकित संलग्न होंगे:-
  1. एकीकृत मूल मतदाता सूची (**integrated mother roll**)
  2. पूरक सूची-1 (**supplement-1**)
  3. पूरक सूची-2 (**supplement-2**)
  4. वर्गीकृत सेवानियोजित मतदाताओं (**CSV**) के प्रॉक्सी मतदाताओं की सूची।


# मतदान सामग्री की जाँच

- ✓ चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं (Election Agents) के हस्ताक्षर के नमूने की फोटो प्रतियां भी आपको दी गई हैं।
- यह मतदान केन्द्र पर एजेन्ट्स के नियुक्ति पत्र में उसके अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षरों की वारस्तविकता की सत्यापित करने में आपकी मदद करेंगे।
- अन्य महत्वपूर्ण सामग्री जैसे टेण्डर वोट, अमिट स्याही, स्टाम्प पैड, स्पेशल टेग, ग्रीन पेपर सील, स्ट्रिप सील, पिंक पेपर सील इत्यादि इसके अतिरिक्त उपाबंध—5 के अनुसार समस्त सामग्री चैक करें।

पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति की स्थिति में  
मतदान केन्द्र पर नियुक्त प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा  
पीठासीन अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन किया  
जाएगा।

पीठासीन अधिकारी अपने कर्तव्यों में से कोई भी  
कर्तव्य मतदान केन्द्र पर अपने साथ कार्यरत किसी  
भी मतदान अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकते हैं।

पीठासीन अधिकारी मतदान केन्द्र पर पहुँचकर मतदान हेतु  
प्रस्तावित भवन का निरीक्षण करेंगे तथा मॉडल मतदान केन्द्र के  
ले—आउट  
के अनुसार मतदान केन्द्र की स्थापना




## ❖ मतदान केन्द्र के 200 मीटर की परिधि का क्षेत्र पीठासीन अधिकारी के नियंत्रण में होना चाहिए।

- इस परिधि के भीतर किसी भी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को मतदाताओं की सहायता हेतु गैरशासकीय पर्चियां काटने हेतु नहीं बैठने दिया जाएगा। यदि किसी राजनीतिक दल के कुर्सियां व टेन्ट आदि इस परिधि में हों तो हटाएँ।
- मतदान केन्द्र के 100 मीटर दूरी में मत याचना व मोबाईल का उपयोग निषेध है।
- इस परिधि में हथियारबन्द या गैर हथियारबन्द भवन के स्वामी या प्रहरी को भीतर नहीं रहने दिया जाएगा।

# मतदान केन्द्र के बाहर प्रमुख रूप से प्रदर्शित हों :-

- मतदान क्षेत्र के निर्वाचकों के विवरण सम्बन्धी नोटिस
- प्रारूप 7क में निर्वाचन के अभ्यर्थियों की सूची व संभव होने पर प्रत्येक अभ्यर्थी के प्रतीक की अनुकृति



(पन्द्रह १३ (२) वायद्य)

**\*मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति**

केलिए निवाचन

मे..... जो ऊपरीवर्णित निवाचन में 'अध्यक्षी हैं,  
एवं इनकी जो ऊपरीवर्णित निवाचन में अध्यक्षी हैं, निवाचन अभिकर्ता हैं,  
नियुक्त होने के लिये मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता है।

स्थान.....

तारीख..... अध्यक्षी/निवाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर  
में ऐसे मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिये सहमत हैं।

स्थान.....

तारीख..... मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

**पीठारीन ऑफिसर के समक्ष हरत्ताक्षरित की जाने वाली मतदान अभिकर्ता की घोषणा**  
मैं प्रत्यन्दाद्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपरीवर्णित निवाचन में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा १२८ "द्वारा, 'जो मैंने यह ली है; जो मुझे पढ़ कर सुना थी गई है, निषिद्ध कोई बात न करंगा।

तारीख..... मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर  
में समक्ष हस्ताक्षरित की गई।

तारीख..... पीठारीन ऑफिसर

मतदान केन्द्र में या मतदान के लिये नियत स्थान में पेश किये जाने के लिये मतदान अभिकर्ता को दे दिया जाए।  
यहाँ मैनलिखित अनुकरणों में से एक, जो समूची शेर, लिखिए -

(१) ..... निवाचन-क्षेत्र में लोक सभा।  
(२) ..... निवाचन-क्षेत्र में विधान सभा।  
(३) ..... (राज्य) की विधान सभा के नियोनेशन सदस्यों द्वारा गन्ध सभा।  
(४) ..... (संघ एवं लोकेश) के नियोनेशन के सदस्यों द्वारा गन्ध सभा।  
(५) ..... विधान सभा के सदस्यों द्वारा विधान परिषद्।  
(६) ..... निवाचन-क्षेत्र में विधान परिषद्।

'जो अनुकरण समूचित न हो उसे काट दीजिये।

"जो का प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा १२८-

"१२८ मतदान की पीठारीयता को बनाये रखना :- (१) ऐसा ही अफिसर, लिखिक, अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति, जो निवाचन में भाग लें अभिलिखित करने वा उनकी गणता करने ये संक्षेत्र किसी कार्रवाई का आलना करता है, मतदान की गोपनीयता को बनाये रखेगा और वाक्यों द्वारा में समावेश करेगा और ऐसी गोपनीयता का अभिन्नांश करने के लिये प्रक्रियता का अभिन्नांश करने के लिये संसूचित करेगा। यह समूचित न करेगा।

(२) जो काउंट अब्लियू इन्डिया (२) के उच्चारण का उल्लेख करेगा, वह कागजात से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो भक्तिगी, वा तुमने से, या दोनों से, रण्डनीय होगा।"

### Account of Entry Passes issued to Polling Agents

- Number and Name of Parliamentary/Assembly Constituency .....
- Number and Name of Polling Station .....
- Total Number of Contesting Candidates .....
- Number of entry passes received with poll material .....
- Details of entry passes issued to Polling Agents :

| S.No. | Name of Candidate | Whether entry passes issued | Signature of the Polling agent/relief agent |
|-------|-------------------|-----------------------------|---|
|       |                   |                             |   |
|       |                   |                             |   |
|       |                   |                             |   |
|       |                   |                             |   |
|       |                   |                             |   |
|       |                   |                             |   |
|       |                   |                             |   |
|       |                   |                             |   |
|       |                   |                             |   |
|       |                   |                             |   |
|       |                   |                             |   |
|       |                   |                             |   |

6. Unused entry passes

Signature and seal of  
Presiding Officer

**✓ नमूना मतदान में सम्मिलित होने हेतु मतदान अभिकर्ताओं को नियुक्ति पत्र जारी करते समय ही पूर्व निर्धारित समय पर उपस्थित होने का लिखित अनुरोध करते हुए हस्ताक्षर ले लें।**

## POLLING

1. (क) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व क्रमांक  
(केवल लोक सभा निर्वाचन में लागू)

02 बीकानेर .....

1. (ख) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व क्रमांक

..... 15 कोलायत .....

2. मतदान केन्द्र का नाम व क्रमांक

121 रा.आ.उ.मा.वि., गजनेर, बीकानेर

3. मतदान की तारीख

06 मई, 2019 .....

4. पीठसीन अधिकारी के हस्ताक्षर

काउन्टर नं. 2 पर जमा किया जायेगा। (पैकेट 2 में रखें)

चपड़ी से सील नहीं करना है।

(11)

आम चुनाव - 2019....

## लोक सभा/विधान सभा

मतदान अभिकर्ताओं (पोर्लिंग एजेन्ट्स) की नियुक्ति के पत्र

(प्ररूप - 10)

कुल संख्या..... 07 .....

✓ मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र (प्ररूप-10) लिफाफा सं. 11 में रखकर  
चपड़ी से सील किए बिना पैकेट- 2 में रखें व काउन्टर नं. 2 पर जमा  
करावें।

# मतदान अभिकर्त्ताओं के बैठने की प्राथमिकता

आयोग के नवीनतम अनुदेशों के अनुसार मतदान अभिकर्त्ताओं की मतदान केन्द्र पर बैठने की व्यवस्था निम्नांकित प्राथमिकताओं के प्रवर्गों के अनुसार रखी जाएगी :—

- मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों के अभ्यर्थी
- मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों के अभ्यर्थी
- अन्य
- एक समय में एक उम्मीदवार का एक ही एजेन्ट बूथ में रहेगा और तीन बजे के बाद कोई भी अभिकर्ता बाहर नहीं जाएगा।
- अभिकर्त्ताओं के बूथ में आवागमन का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र में रखना होगा।

## अनुलग्नक – 17

(खंड 9, पैरा 9.4.3)

मतदान अभिकर्ता / सहायक मतदान अभिकर्ता आवा-जाही (विजिट शीट)प्रपत्र–मतदान केन्द्र का नाम व संख्या

| क्र0सं0 | संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम व संख्या | विधानसभा क्षेत्र का नाम व संख्या | प्रत्याशी का नाम | राजनैतिक दल का नाम | मतदान अभिकर्ता / सहायक अभिकर्ता का नाम | आने का समय | हस्ताक्षर | जाने का समय | हस्ताक्षर |
|---------|---|----------------------------------|------------------|--------------------|--|------------|-----------|-------------|-----------|
| 1       |   |                                  |                  |                    |  |            |           |             |           |
| 2       |   |                                  |                  |                    |  |            |           |             |           |
| 3       |   |                                  |                  |                    |  |            |           |             |           |
| 4       |   |                                  |                  |                    |  |            |           |             |           |
| 5       |   |                                  |                  |                    |  |            |           |             |           |

पीठासीन अधिकारी

# MOCK-POLL

- ✓ नमूना मतदान में न्यूनतम 50 मत (नोटा सहित) उपस्थित अभिकर्त्ताओं से सभी उम्मीदवारों के पक्ष में बराबर—बराबर अंकित करवाएँ, इसमें नोटा सहित कोई उम्मीदवार मत अंकित किए बिना न रहे। इस आशय का प्रमाण—पत्र दो प्रतियों में जारी करें, एक प्रति प्रथम भ्रमण पर सेक्टर ऑफिसर को उपलब्ध कराएँ।
- ✓ यदि आपके बूथ पर माइक्रो आब्जर्वर नियुक्त है, तो मॉक—पोल प्रमाण—पत्र पर हस्ताक्षर अवश्य अंकित कराएँ।
- ✓ नमूना मतदान में EVM की बैलेट यूनिट & VVPAT कण्ट्रोल यूनिट वास्तविक मतदान की भाँति स्थापित रहेंगी।
- ✓ नमूना मतदान के दौरान दो मतदान अधिकारी वोटिंग कम्पार्टमेंट में बैलेट यूनिट के पास रहकर निर्देशानुसार नमूने का मतदान में सम्पन्न करवाएंगे।
- ✓ निर्धारित समय तक अभिकर्त्ताओं के उपस्थित नहीं होने पर अधिकतम 15 मिनट प्रतीक्षा की जा सकती है, तत्पश्चात् मतदान दल के सदस्य ही निर्देशानुसार नमूना मतदान सम्पादित करें।

# दिखावटी मतदान प्रमाण—पत्र

प्रमाणित विचार जाता है कि मैं

संसदीय नियोगन क्षेत्र के अधीन-

पीडीसीन अधिकारी ने

विद्यालभा क्षेत्र के मतदान केन्द्र से

पर भाल नियोगन आयोग द्वारा जारी किये गये स्पष्टरूप के नियोगपूर्वक पालन करने के नियोगित का उपयोग करते हुए मतदान दिवस अवधि (तारीख) को आज a. m. पर दिखावटी मतदान संचालित किया है:-

कानूनी घृणित की क्रांति ..... (जैसा कि कानूनी घृणित के मृष्ट-भाल पर मुद्रित है) बैलॉट घृणित की क्रांति क्रांति सं. .... (जैसा कि बैलॉट घृणित के मृष्ट-भाल पर मुद्रित है), वीडीयॉफ (VVPAT) घृणित की क्रांति सं. (यदि प्रयुक्त होती है).

- प्रत्येक अध्यर्थी के लिए और "इनमें से कोई नहीं" (NOTA) के लिए भी कुल ..... मत आये गये।
- यह सत्यापिता विचार गया कि जब बटन दबाया गया तो उसी अध्यर्थी/ "इनमें से कोई नहीं" (NOTA) बटन के लिए इन हैं डी. लड्ड जल्ही और शीघ्र की आवाज भली भांति सुनी गयी।
- प्रियाचटी मतदान के दौरान आले गये मतों और दिलाने परिणामों का अन्वयन-वर व्यापक नियोगित किया गया है:-

| क्र.सं. | अध्यर्थी का नाम          | दिखावटी मतदान के दौरान आले गये मतों की संख्या | परिणाम की अंतिम करने पर कानूनी घृणित मतों की संख्या | दिखावटी मतदान के परिणाम की जांच की गणनासार मुद्रित कामज़ की परिणामों की संख्या (यदि वीडीयॉफ प्रयुक्त होती है) | आले गये मतों और दिलाने परिणामों का और मुद्रित कामज़ की परिणामों की गणना (यदि वीडीयॉफ प्रयुक्त होती है) एक-दूसरे से मिलान किया गया (हाँ/नहीं) |
|---------|--------------------------|---|---|---|--|
| 1       | 2                        | 3   | 4   | 5   | 6  |
|         | इनमें से कोई नहीं (NOTA) |   |   |   |  |

संसदीय प्रतिक्रिया किया है कि ओडियो बटन द्वारा पर संसदीय मनारा मृद गया ह आर पाग ० ० के स्वर म दराशत ह गया ह।

दिखावटी मतदान के समय पर अध्यर्थी, जिनके नाम ऐसे अधिकारीओं के नामों के सामने दरित हैं, का ग्राहित करने वाले नियोगित मतदान अधिकारी उपस्थित थे और मैंने इनके हस्ताक्षर ग्राहन कर दिये हैं।

| क्रम सं. | मतदान अधिकारी का नाम | दूसरे का नाम | अध्यर्थी का नाम | मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर |
|----------|----------------------|--------------|-----------------|----------------------------|
| 1.       |                      |              |                 |                            |
| 2.       |                      |              |                 |                            |
| 3.       |                      |              |                 |                            |
| 4.       |                      |              |                 |                            |
| 5.       |                      |              |                 |                            |
| 6.       |                      |              |                 |                            |
| 7.       |                      |              |                 |                            |
| 8.       |                      |              |                 |                            |
| 9.       |                      |              |                 |                            |
| 10.      |                      |              |                 |                            |

अध्यात्मा

दिखावटी मतदान के लिए नियत समय पर कोई भरतान अधिकारी उपस्थित नहीं था/येलॉट नियोगन लड़े वाले एक अध्यर्थी जा अधिकारी उपस्थित था। पंद्रह मिनट और प्रतीक्षा करने के पश्चात्, मैंने अध्यात्मा कार्यालयमें दोस्त के साथ a. m. ५९ दिखावटी मतदान लक्षित किया।

6. वार्ताविक मतदान के आरंभ के समय पर कानूनी घृणित के डेस्क पर दरित मतदान आरंभ होने के तारीख और रक्ष्या (2006 के पश्चात् की ई.सं. के मासों में भरा जाना है)

मूर्ख-प्रेषक (Micro Observer) (वरि भरतान केन्द्र वरि भरतान के नाम व हस्ताक्षर

दिलाने :

समय :

पीडीसीन अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर

मतदान केन्द्र सं. :

मतदान केन्द्र का नाम

## दिखावटी मतदान प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैं ..... पीठासीन अधिकारी ने .....  
 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अधीन ..... विधानभा क्षेत्र के मतदान केन्द्र सं. ....  
 पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गये समस्त निर्देशों का निष्ठापूर्वक पालन करके निम्नलिखित का उपयोग करते हुए मतदान दिवस अर्थात् ..... (तारीख) को आज ..... a. m. पर दिखावटी मतदान संचालित किया है:-

कन्ट्रोल यूनिट की क्रम सं. ..... (जैसा कि कन्ट्रोल यूनिट के पृष्ठ-भाग पर मुद्रित है) बैलेट यूनिट की क्रम सं. ..... (जैसा कि बैलेट यूनिट के पृष्ठ-भाग पर मुद्रित है), वीवीपेट(VVPAT) यूनिट की क्रम सं. (यदि प्रयुक्त होती है).....।

1. प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए और “इनमें से कोई नहीं” (NOTA) के लिए भी कुल ..... मत डाले गये।
2. यह सत्यापित किया गया कि जब बटन दबाया गया तो सही अभ्यर्थी/ “इनमें से कोई नहीं” (NOTA) बटन के लिए एल.ई.डी. लाइट जली और बीप की आवाज भली भांति सुनी गयी।
3. दिखावटी मतदान के दौरान डाले गये मतों और दर्शित परिणामों का अभ्यर्थी-वार व्यौरा निम्नलिखित है:-

| क्र.सं. | अभ्यर्थी का नाम          | दिखावटी मतदान के दौरान डाले गये मतों की संख्या | परिणाम की जाँच करने पर कन्ट्रोल यूनिट में दर्शित मतों की संख्या | दिखावटी मतदान के परिणाम की जाँच की गणनानुसार मुद्रित कागज की पर्चियों की संख्या (यदि वीवीपेट प्रयुक्त होती है) | डाले गये मतों और दर्शित परिणामों का और मुद्रित कागज की पर्चियों की गणना (यदि वीवीपेट प्रयुक्त होती है) एक-दूसरे से मिलान किया गया (हां/नहीं) |
|---------|--------------------------|--|---|--|--|
| 1       | 2                        | 3  | 4   | 5  | 6  |
|         | इनमें से कोई नहीं (NOTA) |  |   |  |  |
|         | योग                      |  |   |  |  |

4. मैंने दिखावटी मतदान के पश्चात् ई.वी.एम. की मेमोरी भिटा दी है एवं वीवीपेट की मुद्रित कागज की परिधि को हटा दिया है और यह सत्यापित किया है कि Total बटन दबाने पर समस्त मेमोरी भिट गयी है और योग '0' के रूप में दर्शित हो गया है।
5. दिखावटी मतदान के समय पर अभ्यर्थी, जिनके नाम ऐसे अभिकर्ताओं के नामों के सामने वर्णित हैं, का प्रतिनिधित्व करने वाले निम्नलिखित मतदान अभिकर्ता उपस्थित थे और मैंने इनके हस्ताक्षर प्राप्त कर लिये हैं।

| क्रम सं. | मतदान अभिकर्ता का नाम | दल का नाम | अभ्यर्थी का नाम | मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर |
|----------|-----------------------|-----------|-----------------|-----------------------------|
| 1.       |                       |           |                 |                             |
| 2.       |                       |           |                 |                             |
| 3.       |                       |           |                 |                             |
| 4.       |                       |           |                 |                             |
| 5.       |                       |           |                 |                             |
| 6.       |                       |           |                 |                             |
| 7.       |                       |           |                 |                             |
| 8.       |                       |           |                 |                             |
| 9.       |                       |           |                 |                             |
| 10.      |                       |           |                 |                             |

अथवा

दिखावटी मतदान के लिए नियत समय पर कोई मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं था/केवल निवाचिन लड़ने वाले एक अभ्यर्थी का अभिकर्ता उपस्थित था। पंद्रह मिनट और प्रतीक्षा करने के पश्चात्, मैंने अन्य मतदान कर्मचारिवृन्द के साथ ..... a. m. पर दिखावटी मतदान संचालित किया।

6. वास्तविक मतदान के आरंभ के समय कन्ट्रोल यूनिट के डिस्प्ले पर दर्शित मतदान आरंभ होने के तारीख और समय ..... (2006 के पश्चात् की ई.वी.एम. के मामले में भरा जाना है)

सूक्ष्म-प्रेक्षक (Micro Observer) (यदि मतदान केन्द्र पर पदस्थापित है) के नाम व हस्ताक्षर

दिनांक :

समय :

# MOCK POLL CERTIFICATE

Co-operative press, Jaipur

## उपाध्य-V

### दिखावटी मतदान प्रमाण पत्र

प्रमापिता विष्या जाता है कि मैं  
संसदीय निर्वाचन बोकेर हैं अधीन  
लारा-बन्द्र और चिक्का  
संसदीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गये समस्त निर्देशों का निष्पापूर्वक पालन करके निम्नलिखित का उपयोग करते हुए मतदान दिवस  
अवधि 07.12.2018 (तारीख) को आज 7:00 a.m. पर दिखावटी मतदान संचालित विष्या है:-  
कन्ट्रोल यूनिट की क्रम सं. C - 32212 (जैसा कि कन्ट्रोल यूनिट के पृष्ठ-भाग पर मुद्रित है) बैलेट यूनिट  
की क्रम सं. B - 100008 (जैसा कि बैलेट यूनिट के पृष्ठ-भाग पर मुद्रित है), वीडीपेट(VVPAT) यूनिट की  
क्रम सं. (यदि प्रयुक्त होती है) 7892

- प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए और "इनमें से कोई नहीं" (NOTA) के लिए भी कुल 52 मत डाले गये।
- यह सत्यापित विना गया कि जब बटन दबाया गया तो सही अभ्यर्थी / "इनमें से कोई नहीं" (NOTA) बटन के लिए एल.ई.डी. लाइट जली और बीप की आवाज भली भांति सुनी गयी।
- दिखावटी मतदान के दौरान डाले गये मतों और दरित परिणामों का अभ्यर्थी-वार व्यौरा निम्नलिखित है:-

| क्र.सं.                  | अभ्यर्थी का नाम | दिखावटी मतदान के दौरान डाले गये मतों की संख्या | परिणाम की जांच करने पर कन्ट्रोल यूनिट में दरित मतों की संख्या | दिखावटी मतदान के परिणाम की जांच की गणनानुसार मुद्रित कागज की परिचयों की संख्या (यदि बीडीपेट प्रयुक्त होती है) | डाले गये मतों और दरित परिणामों का और मुद्रित कागज की परिचयों की गणना (यदि बीडीपेट प्रयुक्त होती है) एक-दूसरे से मिलान किया गया (हाँ/नहीं) |  |
|--------------------------|-----------------|--|---|---|---|--|
| 1                        | 2               | 3  | 4   | 5   | 6   |  |
| 1                        | aaaa            | 4  | 4   | 4   | हाँ   |  |
| 2                        | bbbb            | 4  | 4   | 4   | हाँ   |  |
| 3                        | cccc            | 4  | 4   | 4   | हाँ   |  |
| 4                        | dddd            | 4  | 4   | 4   | हाँ   |  |
| 5                        | eeee            | 4  | 4   | 4   | हाँ   |  |
| 6                        | ffff            | 4  | 4   | 4   | हाँ   |  |
| 7                        | 9999            | 4  | 4   | 4   | हाँ   |  |
| 8                        | hhhh            | 4  | 4   | 4   | हाँ   |  |
| 9                        | iiii            | 4  | 4   | 4   | हाँ   |  |
| 10                       | jjjj            | 4  | 4   | 4   | हाँ   |  |
| 11                       | kkkk            | 4  | 4   | 4   | हाँ   |  |
| 12                       | llll            | 4  | 4   | 4   | हाँ   |  |
| 13                       | NOTA            | 4  | 4   | 4   | हाँ   |  |
| इनमें से कोई नहीं (NOTA) |                 | योग  | 52  | 52  |   |  |

# MOCK POLL CERTIFICATE

4. मैंने दिखावटी मतदान के पश्चात् ई.वी.एम. की ऐमोरी निटा दी है एवं बीवीपेट की मुद्रित कागज की परिधियाँ को हटा दिया है और यह सत्यापित किया है कि Total बटन दबाने पर समस्त ऐमोरी निट गयी है और योग '0' के रूप में दर्शित हो गया है।
5. दिखावटी मतदान के समय पर अन्यर्थी, जिनके नाम ऐसे अभिकर्ताओं के नामों के सामने घण्टित हैं, का प्रतिनिधित्व करने वाले निनालिखित मतदान अभिकर्ता उपस्थित थे और मैंने इनके हस्ताक्षर प्राप्त कर लिये हैं।

| क्रम सं. | मतदान अभिकर्ता का नाम | चल का नाम | अन्यर्थी का नाम | मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर |
|----------|-----------------------|-----------|-----------------|-----------------------------|
| 1.       | XXXXX                 | 1234      | XXXXX           | XXXXX                       |
| 2.       | YYYYY                 | 5678      | BBBBB           | YYYYY                       |
| 3.       |                       |           |                 |                             |
| 4.       |                       |           |                 |                             |
| 5.       |                       |           |                 |                             |
| 6.       |                       |           |                 |                             |
| 7.       |                       |           |                 |                             |
| 8.       |                       |           |                 |                             |
| 9.       |                       |           |                 |                             |
| 10.      |                       |           |                 |                             |

अथवा

दिखावटी मतदान के लिए नियत समय पर कोई मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं था/केवल निर्वाचन लड़ने वाले एक अन्यर्थी का अभिकर्ता उपस्थित था। पंद्रह मिनट और प्रतीका करने के पश्चात्, मैंने अन्य मतदान कर्मचारिवृन्द के साथ ..... 7.00 a.m. पर दिखावटी मतदान संचालित किया।

6. वास्तविक मतदान के आरंभ के समय कन्फ्रोल यूनिट के डिस्प्ले पर दर्शित मतदान आरंभ होने के तारीख और समय ..... 8.05 AM ..... (2006 के पश्चात् की ई.वी.एम. के मामले में भरा जाना है)

07.12.2010

सूक्ष्म-प्रेक्षक (Micro Observer) (यदि मतदान केन्द्र पर पदस्थापित है) के नाम व हस्ताक्षर

दिनांक : 7.12.2010

समय : 8.10 AM

पीठारसीन अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर

मतदान वैन्ड सं. .... 141 .....

मतदान वैन्ड का नाम ..... रा. प्रवि. लाडिया २५३

## **POLLING**

1. (क) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व क्रमांक

**02 बीकानेर**

1. (ख) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व क्रमांक

**15 कोलायत**


2. मतदान केन्द्र का नाम व क्रमांक

**121 रा.आ.उ.मा.वि., गजनेर, बीकानेर**

3. मतदान की तारीख

**06 मई, 2019**

4. पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर



काउन्टर नं. 1 पर जमा किया जायेगा।

चपड़ी से सील नहीं करना है।

**(3)**

**आम चुनाव - 2019...**

**लोक सभा / विधान सभा**

1. पीठासीन अधिकारी की डायरी एवं अतिरिक्त रिपोर्ट प्रपत्र,

बनावटी मतदान प्रमाण पत्र एवं विजिट शीट

2. पीठासीन अधिकारी के विशेष अनुदेश की प्रति

दिखावटी मतदान प्रमाण-पत्र को लिफाफा सं. 3 में रखकर काउण्टर नं. 1 पर जमा कराया जाएगा, इसे चपड़ी से सील नहीं करना है।

❖ मतदान दिवस पर बूथ परिसर के 100 मी. के दायरे में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में मुद्रित मतदाता सूची BLO के पास उपलब्ध रहेगी।



# SPECIFICATIONS FOR AMF

2019

AMF

Specifications



Signage

Parking for Persons with Disability (PWD) coming on wheelchairs or other vehicles (to be visible from the road)

After entrance arrow signs marks indicating the queue

Arrow mark indicating the polling personnel

Signage for Male/Female toilets

Signage for toilets for PWD voters

Signage indicating drinking water



Help Desk

Tables of 4' x 2 1/2' with provision for 3 people to sit - one BLO with booth slips, two NSS / NSC volunteers (1 male 1 female) to guide and assist the voters (especially the PwDs) entering the polling station



Ramp

Ramps should have an inclination ratio of 1:10 and not more than 1:14

Firm hand rails to be provided which should not be of shaky material

In case there are stairs to reach polling station, ramp should also be provided there

• दिव्यांग व वयोवृद्ध मतदाताओं को वरीयता से मतदान करवाया जाए, इनका विशेष सहयोग करें, इनके साथ सम्मानजनक व्यवहार करें तथा माँगने पर साथी की सहायता से मतदान की अनुमति दें।

# SPECIFICATIONS FOR AMF

| AMF   | Specifications   |
|---|--|
| <br><b>Toilets</b>                 | <p>Whether separate toilets for Male and Female voters available</p> <p>Whether toilets are PwD-friendly.</p> <p>Whether running water is there in the toilets</p> <p>If running water facility is not there what arrangement has been done?</p> |
| <br><b>Drinking Water</b>          | Whether there is facility of drinking water  |
| <br><b>Separate Entry and Exit</b> | <p>Whether separate entrance and exit is provided in the polling station</p> <p>If no separate entrance and exit is available, whether provision of rope separator/partition can be done? specify</p>  |
| <br><b>Lighting</b>               | <p>Electricity connection with two plug points</p> <p>Minimum 1 fan</p> <p>2-3 tube lights</p>   |
| <br><b>Furniture</b>             | <p>Is adequate furniture is available?</p> <p>Height of the table on which the Ballot Unit is kept should be disabled-friendly</p> <p>Sufficient moving space around the table for wheel chairs</p>  |

## वेबकास्टिंग

- ✓ वेबकास्टिंग से अभिप्रायः इंटरनेट पर वीडियो का प्रवाह अर्थात् कम्प्युटर के माध्यम से वीडियो कैमरे का इंटरनेट से जुड़ना।
- ✓ निर्वाचन अधिकारी को चयनित करना होगा कि यथासंभव अधिक से अधिक बूथों पर वेबकास्टिंग हो, यह मोबाइल पर ब्राउज़बैंड के माध्यम से किया जा सकता है।

# मतदान अधिकारियों के दायित्व





# प्रथम मतदान अधिकारी के कर्तव्य

1. प्रथम मतदान अधिकारी निर्वाचक नामावली की चिन्हित भारसाधक होगा।
2. निर्वाचक की पहचान के लिए प्रथम मतदान अधिकारी उत्तरदायी है।
3. निर्वाचक की पहचान का सत्यापन समुचित रूप से निर्वाचक नामावली में की गई प्रविष्टि के संदर्भ में करना चाहिए।
4. सामान्यतः मतदाता अपने साथ एक शासकीय अथवा अशासकीय पर्ची ला सकता है जिस पर निर्वाचक का नाम, निर्वाचक नामावली में उसकी क्रम संख्या, निर्वाचक नामावली की भाग संख्या तथा मतदान केन्द्र की संख्या और नाम हो सकता है जहां उसे मत देना है।
5. अशासकीय पर्ची में किसी अभ्यर्थी या उसके दल या उसको आवंटित प्रतीक चिन्ह नहीं छपा हो।
6. प्रशासन द्वारा शासकीय पर्ची (Photo Voter Slip) वितरित की जाएगी, उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव में यह पहचान सुनिश्चित करने का अधिकृत दस्तावेज नहीं है, इस हेतु आयोग द्वारा अधिकृत अन्य कोई फोटोयुक्त दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य है।
7. शासकीय व अशासकीय पहचान पर्ची निर्वाचक नामावली में किसी निर्वाचक से संबंधित प्रविष्टियों का पता लगाने में सहायता मात्र के लिए ही काम में ली जाए।



# लोक सभा चुनाव 2019 के लिए हो जाएं तैयार। दस्तावेज़ जो मतदान केंद्र पर पहचान के लिए प्रयोग किये जा सकते हैं।



- |   |   |
|---|---|
| <p><b>मतदाता पहचान पत्र</b></p>    | <p><b>स्मार्ट कार्ड</b><br/>श्रम मंत्रालय की योजना<br/>के अंतर्गत जारी</p>                 |
| <p><b>पासपोर्ट</b></p>   | <p><b>मनरेगा जॉब कार्ड</b></p>   |
| <p><b>ड्राइविंग लाइसेंस</b></p>    | <p><b>स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड</b><br/>श्रम मंत्रालय की योजना<br/>के अंतर्गत जारी</p>  |
| <p><b>सर्विस पहचान पत्र</b><br/>केंद्र, राज्य, सार्वजनिक उपक्रम<br/>एवं पब्लिक लिमिटेड कंपनियां</p>  | <p><b>पेंशन दस्तावेज</b><br/>फोटो सहित</p>   |
| <p><b>पासबुक</b><br/>फोटो सहित बैंक/डाकघर<br/>द्वारा जारी</p>                                        | <p><b>सरकारी पहचान पत्र</b><br/>सांसद, विधायक और विधान<br/>परिषद् सदस्यों को जारी</p>      |
| <p><b>पैन कार्ड</b></p>    | <p><b>आधार कार्ड</b></p>   |



**#GoVerify**



कोई मतदाता न छूटे


ध्यान दें

फोटो वोटर स्लिप को जानकारी/मार्गदर्शन  
के लिए उपयोग किया जा सकता है,  
लेकिन पहचान प्रमाण के रूप में नहीं।



## प्रथम मतदान अधिकारी के कर्तव्य

8. प्रथम मतदान अधिकारी पहचान पर्ची लेकर निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि की क्रम संख्या को पढ़ेगा।
9. उस व्यक्ति को अपना नाम जोर से बोलने को कहेगा यदि आवश्यक हो तो प्रविष्टि से सम्बन्धित अन्य विशिष्टियों के लिए भी कहेगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पहचान पर्ची प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति ही वास्तविक मतदाता हैं।
10. प्रश्नगत होने की स्थिति में पर्दानशीन महिलाओं की पहचान किसी महिला कार्मिक द्वारा ही करवाई जानी चाहिए।
11. प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा पहचान सुस्थापित हो जाने के बाद मतदाता की पहचान को चुनौती नहीं दी जा सकती।
12. प्रथम मतदान अधिकारी आने वाले मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के पश्चात् फोटो युक्त मतदाता सूची में उस मतदाता से संबंधित प्रविष्टि के बॉक्स में फोटो को छोड़ते हुए लाल स्याही से तिरछी लाइन अंकित कर देगा।
13. महिला मतदाता के नाम के आगे उसके मतदाता सूची क्रमांक पर गोला [rOund] बना देना है।



|    |   |                |   |   |   |
|----|---|----------------|---|---|---|
| 19 | EPIC No: HJC00022574<br>Name: Hmangaihpan<br>Husband's Name: Lalnunmaia<br>House No: 5<br>Age: 36       | # 20           | EPIC No: HJC0003228<br>Name: Ramzauva<br>Father's Name: Banhangia<br>House No: 6<br>Age: 39 | # 21  | EPIC No: HJC0003129<br>Name: Fakzuali<br>Husband's Name: Ramzauva<br>House No: 6<br>Age: 37         |
| 22 | EPIC No: HJC0019471<br>Name: Lalsangluaa<br>Father's Name: Khawma (L)<br>House No: 7<br>Age: 86         | <b>DELETED</b> | 23  | EPIC No: HJC0022632<br>Name: Sapmawia<br>Father's Name: Lalsangluaa<br>House No: 7<br>Age: 46 | <b>DELETED</b>  |
| 25 | EPIC No: HJC0004119<br>Name: Chuauhanpari<br>Husband's Name: Laltanpura Ralte<br>House No: 7<br>Age: 23 | 26             | EPIC No:<br>Name: Lalbiakdiki<br>Father's Name: Sapmawia<br>House No: 7<br>Age: 19          | 27  | EPIC No:<br>Name: Laltanpura Ralte<br>Father's Name: Lallianthanga<br>House No: 7<br>Age: 31        |
| 28 | EPIC No: HJC0000182<br>Name: Panewta<br>Father's Name: Thara (L)<br>House No: 8<br>Age: 74              | # 29           | EPIC No: HJC0003657<br>Name: Zothanpuii<br>Husband's Name: L.Rama<br>House No: 8<br>Age: 31 | 30  | EPIC No: HJC0019364<br>Name: Lalnuna Pachuau<br>Father's Name: L.Sangluua<br>House No: 9<br>Age: 44 |

N.B. - Age as on 01/01/2006

# - Corrected as per Supplement

Page No 2 of 44

निर्वाचक नामावली में चिह्नों के नमूने





# प्रथम मतदान अधिकारी के कर्तव्य

14. जिन मतदाताओं की पहचान फोटो पहचान पत्र (**EPIC**) के आधार पर की जाएगी उनके नाम के बांधी ओर **E** अंकित किया जाएगा।
15. यदि प्रथम मतदान अधिकारी मतदाता की पहचान का पूरा समाधान नहीं कर पाता है अथवा मतदाता **ASD** मतदाता सूची में से है, तो उस मतदाता को पीठासीन अधिकारी के पास भेजेंगे।
16. पीठासीन अधिकारी ऐसे मतदाताओं की जाँच करेंगे।
17. अल्पायु के मामले पीठासीन अधिकारी के द्वारा तय किए जाएंगे।
18. यदि मतदाता की पहचान को चुनौती देनी है, तो इसी स्तर पर ही दी जा सकती है।
19. निर्वाचन में फोटो युक्त मतदाता सूचियों का उपयोग किया जाएगा। यदि मतदाता सूची के मुद्रण में त्रुटिवश किसी मतदाता का फोटो या उसकी आयु, लिंग या नाम गलत मुद्रित हो गया है, परन्तु ऐसे मतदाता की पहचान अन्यथा सुनिश्चित हो जाती है तो उसे मत देने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

# ASD LIST (ABSENTEE, SHIFTED, DEAD)

- ✓ ASD सूची पीठासीन अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी।
- ✓ पीठासीन अधिकारी ASD सूची के प्रावधान एवं प्रक्रिया की जानकारी मतदान अभिकर्त्ताओं को अवश्य दें।
- ✓ ASD नामित मतदाता के आने पर उनकी पहचान EPIC एवं अधिकृत दस्तावेजों में से ही सुनिश्चित होगी।
- ✓ ऐसे मतदाताओं की पृथक सूची बनाई जाएगी।
- ✓ ऐसे मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित होने पर उनसे एक घोषणा—पत्र अवश्य भरवाया जाए।

## अनुलग्नक—16

(अध्याय 18, पैरा 18.1.2.5)

### उन निर्वाचको का घोषणा पत्र जिनका नाम अनुपस्थित/स्थानान्तरित/मृतको की सूची में है।

मैं एतद् द्वारा सत्यभाव से घोषणा तथा प्रतिज्ञान करता/करती हूँ कि मैं वही व्यक्ति हूँ जिसका नाम.....निर्वाचन क्षेत्र की मौजूदा निर्वाचक नामावली जो अर्हक दिनांक जनवरी 201.....की प्रथम दिनांक को तैयार/संशोधित की गई, के भाग संख्या.....के क्र.सं.....पर है। मैं अवगत हूँ कि निर्वाचन में प्रतिरूपण करना भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171D के अन्तर्गत एक अपराध है।

निर्वाचक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान  
नाम.....

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त घोषणा एवं उस पर हस्ताक्षर उपरोक्त नाम के निर्वाचक द्वारा मेरे समक्ष किये गये।

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

मतदान केन्द्र संख्या एवं नाम  
दिनांक.....

# DECLARATION FROM ASD VOTERS

अनुलग्नक-16

(अध्याय 18, पैरा 18.1.2.5)

उन निर्वाचिको का घोषणा पत्र जिनका नाम अनुपस्थित/स्थानान्तरित/मृतको की सूची में है।

मैं एतद द्वारा सत्यभाव से घोषणा तथा प्रतिज्ञान करता/करती हूँ कि मैं वही व्यक्ति हूँ जिसका नाम कल्याण क्षेत्र (103) निर्वाचन क्षेत्र की मौजूदा निर्वाचक नामावली जो अर्हक दिनांक जनवरी 2018..... की प्रथम दिनांक को तैयार/संशोधित की गई, के भाग संख्या 141... के क्र.सं. 212.... पर है। मैं अवगत हूँ कि निर्वाचन में प्रतिरूपण करना भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171D के अन्तर्गत एक अपराध है।

XXX

निर्वाचक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान  
नाम.....XXX.....

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त घोषणा एवं उस पर हस्ताक्षर उपरोक्त नाम के निर्वाचक द्वारा मेरे समक्ष किये गये।

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

मतदान केन्द्र संख्या एवं नाम 141 राष्ट्र  
दिनांक.....7/12/2018..... वि

बाडी करमज

# ASD LIST (ABSENTEE, SHIFTED, DEAD)

- ✓ ASD सूची प्रथम मतदान अधिकारी ASD सूची से सम्बद्ध मतदाता का नाम जोर से उच्चारित करते हुए, इसकी जानकारी मतदान अभिकर्त्ताओं को अवश्य दे।
- ✓ ASD सूची में नामित मतदाता का 17—क के छौथे कॉलम में बाएँ अँगूठे का निशान अनिवार्य रूप से ले, मतदाता भले ही हस्ताक्षर अंकित करे।
- ✓ संवेदनशील केन्द्रों पर ऐसे मतदाता की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी आवश्यक रूप से कराई जाए, माइक्रो—ऑफर्जर इस प्रक्रिया की अनुपालना का पर्यवेक्षण करेंगे।



# आक्षेपित मत / चैलेन्ज वोट

1. जब मतदाता प्रथम मतदान अधिकारी के पास जाता है, तो वह उसकी पहचान करता है तथा उसके नामांक को जोर से बोलता है।
2. उसी समय कोई भी मतदान अभिकर्ता मतदाता की पहचान को चुनौती दे सकता है।
3. मतदान अधिकारी ऐसे मतदाता को पीठासीन अधिकारी के पास भेजेगा।
4. पीठासीन अधिकारी मतदान अभिकर्ता द्वारा किसी मतदाता की पहचान के बारे में दी गई चुनौती को तब तक स्वीकार नहीं करेगा, जब तक चुनौतीकर्ता चुनौती राशि नकद 2/- रुपए जमा न कर दें।
5. चुनौती राशि नकद प्राप्त कर पीठासीन अधिकारी उपाबंध 8 में विहित प्रारूप में चुनौतीकर्ता को एक रसीद देंगे।

# चुनौती फीस रसीद

अनुलग्नक — 8

(अध्याय 18, अनुच्छेद 18.5.1)

पावती रसीद

अनुलग्नक—8

अध्याय XVIII अनुच्छेद 5

| चुनौती शुल्क के लिये<br>रसीद  | सरकार द्वारा जब्त करना  | चुनौती शुल्क के लिये<br>रसीद  |
|---|---|---|
| <p>पोथी नं. <u>1</u> पेज नं <u>1</u><br/>रूपये 2/- (दो रूपये मात्र) की<br/>राशि प्राप्त की नकद रूप में श्री <u>DDDD</u>.... उम्मीदवार/चुनावी<br/>एजेंट/ मतदान एजेंट चुनौती के<br/>लिये जमा का कारण Rule 36के<br/>अंतर्गत निर्वाचन नियम 1961<br/>दिनांक<u>7/12/1961</u> श्री ठासीन अधिकारी<br/>मतदान केन्द्र के <u>310</u><br/>संसदीय/ विधानसभा<br/>निर्वाचन क्षेत्र</p> | <p>पीठासीन अधिकारी<br/>वापस पुनः प्राप्त राशि 2/- रु<br/>की(दो रूपये मात्र)<br/>Rule 36 के अंतर्गत चुनाव<br/>निर्वाचन नियम 1961 के अंतर्गत<br/>दिनांक <u>7/12/1961</u> नाम व हस्ताक्षर<br/>अभ्यर्थी/ चुनाव<br/><u>DDDD</u><br/>अभिकर्ता/ मतदान<br/>अभिकर्ता</p> | <p>पोथी नं. <u>1</u> पेज नं <u>1</u><br/>पीठासीन अधिकारी का<br/>कार्यालय<br/>मतदान केन्द्र की संख्या <u>141</u><br/>संसदीय की/ <u>लक्ष्मण बहादुर (103)</u><br/>विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र<br/>2/-रूपये (दो रूपये मात्र)<br/>नकद प्राप्त किये श्री <u>DDDD</u>.<br/>...मतदाता/ <u>.....</u> मतदान<br/>अभिकर्ता/ बूथ अभिकर्ता द्वारा<br/>चुनौती दिये जाने के कारण<br/>निर्वाचन नियम 1961 नियम 36<br/>के अंतर्गत</p> <p>मतदान केन्द्र <u>141</u><br/>दिनांक <u>7/12/1961</u> श्री ठासीन<br/>अधिकारी<br/><u>310</u></p> |



# आक्षेपित मत / चैलेन्ज वोट

6. उस व्यक्ति, जिसकी पहचान को चुनौती दी गई है, को प्रतिरूपण के लिए दी जाने वाली शास्ति के बारे में समझायें।
7. निर्वाचक नामावली की प्रविष्टि को पूरा पढ़ें व उससे पूछें कि वह वही मतदाता है।
8. चुनौती मतों की सूची प्रारूप 14 में उस मतदाता का नाम व पता लिखेंगे तथा उसके हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी लिए जाएंगे। यदि वह ऐसा नहीं करता है, तो उसे मत देने को अनुज्ञात नहीं करेंगे।
9. पीठासीन अधिकारी चुनौती की संक्षिप्त जाँच करेगा।
10. यदि चुनौतीकर्ता प्रथम दृष्टया साक्ष्य अपनी चुनौती के समाधान में प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, तो उस चुनौती को नहीं मानेंगे व ऐसे व्यक्ति को मत देने देंगे।

## अभ्याक्षेपित मतों की सूची

[नियम 36 (2) (ग) देखिए]

निर्वाचन-क्षेत्र से \* ..... के लिए निर्वाचन

<sup>1</sup>[..... समूह निर्वाचन-क्षेत्र में मतदान केन्द्र का संख्यांक और नाम ..... /मतदान के स्थान का नाम .....

| प्रविष्टि का क्रम संख्यांक | निर्वाचक का नाम | नामावली के भाग का क्रम संख्यांक | उस भाग में निर्वाचक के नाम का क्रम संख्यांक | जिस व्यक्ति के खिलाफ अभ्याक्षेप किया गया है उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान | जिस व्यक्ति के खिलाफ अभ्याक्षेप किया गया उस व्यक्ति का पता | यदि कोई पहचानने वाला है तो उसका नाम | अभ्याक्षेपकर्ता का नाम | पीठासीन ऑफिसर का आदेश | निक्षेप का प्राप्त करने अभ्याक्षेप के हस्ता |
|----------------------------|-----------------|---------------------------------|---|--|--|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|---|
| 1                          | 2               | 3                               | 4   | 5  | 6  | 7                                   | 8                      | 9                     | 10  |
|                            |                 |                                 |   |  |  |                                     |                        |                       |   |

रीतः .....

निर्वाचक की समुचित विशिष्टियाँ यहाँ लिखिये।

पीठासीन ऑफिसर के हस्ताक्षर

## POLLING

1. (क) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व क्रमांक  
(केवल लोक सभा निर्वाचन में लागू)

02 बीकानेर .....

1. (ख) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व क्रमांक

..... 15 कोलायत .....


2. मतदान केन्द्र का नाम व क्रमांक

121 रा.आ.उ.मा.वि., गजनेर, बीकानेर

3. मतदान की तारीख

06 मई, 2019 .....

4. पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर



काउन्टर नं. 2 पर जमा किया जायेगा। (पैकेट 2 में रखें)

चपड़ी से सील करना है।

(13)

आम चुनाव - 2019...

**लोक सभा/विधान सभा**

चैलेन्ज वोट्स लिस्ट फार्म (14) में सूची

चुनौती मतों की सूची फॉर्म 14 लिफाफा सं. 13 में रखकर चपड़ी  
से सील करके पैकेट 2 में रखें और काउण्टर नं. 2 पर जमा  
कराएँ।

## **POLLING**

1. (क) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व क्रमांक

**02 बीकानेर**

1. (ख) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व क्रमांक

**15 कोलायत**


2. मतदान केन्द्र का नाम व क्रमांक

**121 रा.आ.उ.मा.वि., गजनेर, बीकानेर**

3. मतदान की तारीख

**06 मई, 2019**

4. पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर



काउन्टर नं. 2 पर जमा किया जायेगा। (पैकेट 2 में रखें)

चपड़ी से सील नहीं करना है।

**(16)**

आम चुनाव - 2019...

**लोक सभा/विधान सभा**

चुनौती दिये गये मतों की प्राप्ति पुस्तिका एवं नकद राशि, यदि कोई हो।

चुनौती मतों की प्राप्ति पुस्तिका एवं नकद राशि, यदि कोई हो तो  
लिफाफा सं. 16 में रखकर चपड़ी से सील किए बिना पैकेट 2 में  
रखें और काउण्टर नं. 2 पर जमा कराएँ।

# आक्षेपित मत / चैलेन्ज वोट

11. यदि चुनौतीकर्ता प्रथम दृष्टया यह साबित करने में सिद्ध हो जाता है कि वह व्यक्ति प्रश्नांकित मतदाता नहीं है तो मतदाता को चुनौती के खण्डन के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहें।
12. यदि मतदाता साक्ष्य प्रस्तुत कर यह सिद्ध करता है कि उसका दावा सही है, तो उसे मत देने की अनुमति दें। यदि चुनौती तुच्छ है या सद्भावपूर्वक नहीं की गई है, तो चैलेन्ज फीस जब्त कर लें और सुसंगत रसीद के प्रतिपर्ण पर जब्त लिख दें, अन्यथा फीस लौटा दें।
13. यदि वह दावा सिद्ध नहीं कर सका तो यह माना जाएगा कि चुनौती सिद्ध हो गई है, ऐसे मामले में चुनौती फीस वापस कर दें। सम्बन्धित रसीद के प्रतिपर्ण पर प्राप्ति लेने के बाद राशि लौटा दें।
14. ऐसे मतदाता को मत देने से वर्जित करें व ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को सौंपकर थानाधिकारी को पत्र लिखें।

# थाना अधिकारी को शिकायती पत्र

सेवा में,

थाना अधिकारी,

.....  
.....

विषय :- ..... संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन मतदान केन्द्र (सं. और नाम) .....

में प्रतिरूपण,

मतदान की तारीख .....

महोदय,

मुझे यह सूचित करना है कि श्री ..... पुत्र श्री .....

और ..... निवासी ने उस व्यक्ति की पहचान के बारे में आक्षेप किया है जिसे श्री .....

के सुपुर्द किया जा रहा है। इस व्यक्ति ने श्री ..... होने का दावा किया है जिसका

नाम ..... निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग संख्या .....

में क्रम संख्या ..... पर दर्शित है। यह व्यक्ति यह सावित नहीं कर सका है कि वही उक्त निर्वाचक है। मेरे विचार

में वह छद्मवेशी है। अतः आपसे निवेदन है कि आप भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 171च के अधीन यथा-अपेक्षित कार्यवाही करें।

भवदीय,

स्थान .....

तारीख .....

हस्ताक्षर

पीठासीन अधिकारी

प्रति ..... विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर और ..... को प्रेषित।

प्रति ..... संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर और ..... को प्रेषित।

हस्ताक्षर

पीठासीन अधिकारी

## रसीद

उक्त पत्र तथा उसमें निर्दिष्ट व्यक्ति उपर्युक्त पीठासीन अधिकारी द्वारा (तारीख) ..... को ..... बजे  
(समय) मेरे सुपुर्द किए गये।

हस्ताक्षर

\* यहाँ संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर का पदेन पदनाम लिखें।

# थानाधिकारी को शिकायत पत्र

अनुलग्नक - 6  
(अध्याय 18 अनुच्छेद 18.6.1)  
थानाधिकारी को शिकायत पत्र

सेवामें  
श्रीमान् थानाधिकारी,

**क्रमांकर संदर्भ**

विषय:- मतदान केन्द्र पर प्रतिरूपण, मतदान केन्द्र ..... 14.1 ..... (क्रम संख्या  
व नाम) जो विधान सभा **क्रमांकर(103)** व संसदीय क्षेत्र **राजस्थान(22)**  
पर मतदान के प्रतिरूपण के क्रम में शिकायत।

मतदान दिवस ..... 7.12.2018

श्रीमान् ..... मेरे द्वारा यह सूचना दर्ज कराई जाती है कि श्री ..... XXXX ..... पुत्र श्री .....  
YXXX ..... एवं निवासी **आड़ीमा रमाना** ने एक ऐसे व्यक्ति को पहचान को चुनौती दी  
है जिसे सौंपा जा रहा है ..... ZZZZ ..... इस व्यक्ति ने दावा किया है कि .....  
XXX ..... इसका नाम मतदाता सूची की क्रम संख्या ..... 212 ..... में भाग  
संख्या ..... 14.1 ..... इस विधान सभा क्षेत्र ..... 0क्रमांकर(103)की सूची में है। किन्तु यह  
अपने आप को मतदाता साबित नहीं कर पाया है। मेरी राय में उक्त व्यक्ति ढोंगी  
है(impostor) अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि अनुच्छेद 171-Fभारतीय दण्ड संहिता  
में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

स्थान ..... **आड़ीमा रमाना**

दिनांक ..... 7/12/2018

प्रतिलिपि— 1. ERO विधान सभा क्षेत्र ..... **क्रमांकर (103)**  
2. ERO लोक सभा क्षेत्र ..... **राजस्थान(22)**

भवदीय,

हस्ताक्षर पीठासीन अधिकारी

हस्ताक्षर पीठासीन अधिकारी

पावती रसीद

उक्त पत्र व व्यक्ति जो मुझे पीठासीन अधिकारी के द्वारा सौंपा जा रहा है समय .....  
व दिनांक .....

Zzz चेलेजकर्ता व्यक्ति है

# निर्वाचक की आयु सम्बन्धी घोषणा



1. प्रत्येक निर्वाचक जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, मतदान का अधिकारी है।
2. किन्तु उस निर्वाचक की आयु न्यूनतम मतदान आयु 18 वर्ष से कम मानते हैं, तो आप निर्वाचक से **1 जनवरी 2019** के सन्दर्भ में उसकी आयु के बारे में **उपाबन्ध 10** में घोषणा प्राप्त करें। ऐसे निर्वाचक से घोषणा प्राप्त करने के पूर्व उसको मिथ्या घोषणा करने के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 में विहित दण्डनीय प्रावधानों से अवगत करा दें।
3. ऐसे मतदाताओं की सूची **उपाबन्ध 9** के भाग 1 में प्राप्त करें, जिन्होंने ऐसी घोषणाएँ की हैं।
4. ऐसे मतदाताओं की सूची **उपाबन्ध 9** के भाग 2 में प्राप्त करें जिन्होंने ऐसी घोषणाएँ करने से मना किया है तथा मतदान किए बिना ही चले गए।
5. मतदान समाप्ति के बाद ऐसी घोषणाएँ पृथक लिफाफे में रखी जाएंगी।

**लोकसभा / विधानसभा आम चुनाव, 20.....**

निर्वाचक द्वारा उत्तरी आयु के संबंध में घोषणा का प्रस्तुप

न लोकसभा से यह घोषणा और प्रतिक्रिया बख्ता है, कि, जन, 20..... की प्रथम जनवरी की अपेक्षा, अधीनी की उप लोकीय के विवरों के प्रतिनिधि के लिए निर्वाचक द्वेष की निर्वाचक नामांकनी लेयर/प्रतिनिधि को नहीं देंगे आयु, 18 वर्ष के अधिकों की ही।

दूसरे, विशेषज्ञ नामांकनी द्वा निर्वाचक नामांकनी तो लेयर, प्रतिनिधि का यह भूमिका में नियमी-145 के अनुचित नियम आने वाली लिखा। घोषणा द्वारा देयर में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धर्या 31 के नप्रवालय उल्लेख के बारे में जानकारी है।

निर्वाचक के हक्कावाप/अधीनी की धारा

नियम/नाम/परिवर्तन नाम .....

निर्वाचक नामांकनी तो धारा द्वारा .....

लोकीय : .....

प्रतिनिधि नियम आयु के लिए उपर्युक्त नामांकनी निर्वाचक ने देवे तथा नियम उपर्युक्त नियमों की ओर उस पर छव्वाल दिये।

लोकीय : .....

प्रतिनिधि के हक्कावाप

नियमावाप नाम द्वारा .....

उन भवदाताओं की सूची, जिन्होंने आयु के संबंध में घोषणाएं, बारने से इन्कार कर दिया हैं

| क्र. सं. | भवदाता का नाम | निर्वाचक नामांकनी में आगे उल्लेख देयर करने संख्या | निर्वाचक नामांकनी में दर्ज आयु | प्रतिनिधि अधिकारी द्वारा दर्शाया आयु |
|----------|---------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1.       | 2             | 3   | 4                              | 5                                    |
| 1.       |               |   |                                |                                      |
| 2.       |               |   |                                |                                      |
| 3.       |               |   |                                |                                      |
| 4.       |               |   |                                |                                      |
| 5.       |               |   |                                |                                      |
| 6.       |               |   |                                |                                      |
| 7.       |               |   |                                |                                      |
| 8.       |               |   |                                |                                      |
| 9.       |               |   |                                |                                      |
| 10.      |               |   |                                |                                      |
| 11.      |               |   |                                |                                      |
| 12.      |               |   |                                |                                      |
| 13.      |               |   |                                |                                      |
| 14.      |               |   |                                |                                      |
| 15.      |               |   |                                |                                      |
| 16.      |               |   |                                |                                      |
| 17.      |               |   |                                |                                      |
| 18.      |               |   |                                |                                      |
| 19.      |               |   |                                |                                      |
| 20.      |               |   |                                |                                      |
| 21.      |               |   |                                |                                      |
| 22.      |               |   |                                |                                      |
| 23.      |               |   |                                |                                      |
| 24.      |               |   |                                |                                      |
| 25.      |               |   |                                |                                      |

तातोत्त्व : .....

प्रतिनिधि अधिकारी के हक्कावाप

(निर्वाचक द्वेष का नाम) से ..... के लिये

निर्वाचक, भवदाता कोन्स जी संख्या दाया जान

धारा - 1

उन भवदाताओं की सूची, जिनसे उत्तरी आयु के संबंध में घोषणाएं प्राप्त की गई हैं

| क्र. सं. | भवदाता का नाम | निर्वाचक नामांकनी में आगे उल्लेख देयर करने संख्या | निर्वाचक नामांकनी में दर्ज आयु | प्रतिनिधि अधिकारी द्वारा दर्शाया आयु |
|----------|---------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1.       | 2             | 3   | 4                              | 5                                    |
| 1.       |               |   |                                |                                      |
| 2.       |               |   |                                |                                      |
| 3.       |               |   |                                |                                      |
| 4.       |               |   |                                |                                      |
| 5.       |               |   |                                |                                      |
| 6.       |               |   |                                |                                      |
| 7.       |               |   |                                |                                      |
| 8.       |               |   |                                |                                      |
| 9.       |               |   |                                |                                      |
| 10.      |               |   |                                |                                      |
| 11.      |               |   |                                |                                      |
| 12.      |               |   |                                |                                      |
| 13.      |               |   |                                |                                      |
| 14.      |               |   |                                |                                      |
| 15.      |               |   |                                |                                      |
| 16.      |               |   |                                |                                      |
| 17.      |               |   |                                |                                      |
| 18.      |               |   |                                |                                      |
| 19.      |               |   |                                |                                      |
| 20.      |               |   |                                |                                      |
| 21.      |               |   |                                |                                      |
| 22.      |               |   |                                |                                      |
| 23.      |               |   |                                |                                      |
| 24.      |               |   |                                |                                      |
| 25.      |               |   |                                |                                      |

# लोकसभा / विधानसभा आम चुनाव, 20.....

03/26/2019

## निर्वाचिक द्वारा उसकी आयु के संबंध में घोषणा का प्रस्तुप

मैं सत्यनिष्ठा से यह घोषणा और प्रतिज्ञान करता हूँ कि, सन् 20..... की प्रथम जनवरी को अर्थात् अहंता की उस तारीख के जिसके प्रतिनिर्देश से इस निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचिक नामावली तैयार/पुनरीक्षित की गई थी, मेरी आयु 18 वर्ष से अधिक की थी।

मुझे, निर्वाचिक नामावली या निर्वाचिक नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण या शुद्धि में किसी नाम के सम्मिलित किये जाने संबंधी किसी मिथ्या घोषणा के बारे में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के दण्डात्मक उपबंधों के बारे में जानकारी है।

### निर्वाचिक के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप

.....  
पिता/माता/पति का नाम .....

.....  
निर्वाचिक नामावली की भाग संख्या .....

तारीख : .....

.....  
निर्वाचिक की क्रम संख्या .....

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त नामधारी निर्वाचिक ने मेरे सामने उपर्युक्त सत्यनिष्ठा की घोषणा की और उस पर हस्ताक्षर किये।

### पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख : .....

.....  
मतदान केन्द्र की संख्या और नाम

# लोकसभा/विधानसभा आम चुनाव, 201.....

..... (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) से ..... के लिये  
निर्वाचन, मतदान केन्द्र की संख्या तथा नाम .....

## भाग - I

उन मतदाताओं की सूची, जिनसे उनकी आयु के संबंध में घोषणाएं प्राप्त की गई हैं

| क्र.<br>सं. | मतदाता का नाम | निर्वाचक नामावली<br>में भाग संख्या<br>तथा क्रम संख्या | निर्वाचक नामावली<br>में<br>दर्ज आयु | पीठारीन अधिकारी<br>द्वारा यथा<br>निर्धारित आयु |
|-------------|---------------|---|-------------------------------------|--|
| 1           | 2             | 3   | 4                                   | 5  |
| 1.          |               |   |                                     |  |
| 2.          |               |   |                                     |  |
| 3.          |               |   |                                     |  |
| 4.          |               |   |                                     |  |
| 5.          |               |   |                                     |  |
| 6.          |               |   |                                     |  |
| 7.          |               |   |                                     |  |
| 8.          |               |   |                                     |  |
| 9.          |               |   |                                     |  |
| 10.         |               |   |                                     |  |
| 11.         |               |   |                                     |  |
| 12.         |               |   |                                     |  |
| 13.         |               |   |                                     |  |
| 14.         |               |   |                                     |  |
| 15.         |               |   |                                     |  |

उन मतदाताओं की सूची, जिन्होंने आयु के संबंध में घोषणाएं करने से इन्कार कर दिया हैं

| क्र. सं. | मतदाता का नाम | निर्वाचक नामावली में भाग संख्या तथा क्रम संख्या | निर्वाचक नामावली में दर्ज आयु | पीठासीन अधिकारी द्वारा यथा निर्धारित आयु |
|----------|---------------|---|-------------------------------|--|
| 1        | 2             | 3   | 4                             | 5  |
| 1.       |               |   |                               |  |
| 2.       |               |   |                               |  |
| 3.       |               |   |                               |  |
| 4.       |               |   |                               |  |
| 5.       |               |   |                               |  |
| 6.       |               |   |                               |  |
| 7.       |               |   |                               |  |
| 8.       |               |   |                               |  |
| 9.       |               |   |                               |  |
| 10.      |               |   |                               |  |
| 11.      |               |   |                               |  |
| 12.      |               |   |                               |  |
| 13.      |               |   |                               |  |
| 14.      |               |   |                               |  |
| 15.      |               |   |                               |  |
| 16.      |               |   |                               |  |
| 17.      |               |   |                               |  |
| 18.      |               |   |                               |  |

तारीख : .....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

# निर्वाचक की आयु संबंधी घोषणा

## अनुलग्नक — 7

(अध्याय 18 अनुच्छेद 18.10.2)

### निर्वाचक की आयु संबंधी घोषणा का प्रारूप

मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ मेरी उम्र 18 वर्ष से अधिक है। यह आयु 1 जनवरी 2018 के संदर्भ में है। अर्थात् अहंता तिथि आयु के संदर्भ में जो कि उस क्षेत्र की मतदाता सूची बनी है या पुनरीक्षित हुई है।

मुझे दंडात्मक प्रावधान के बारे में पता है। जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 31 के अनुसार है। इसके अनुसार मतदाता सूची में शामिल किये गये किसी भी व्यक्ति के नाम से संबंधित किसी प्रकार की झूठी घोषणा इस अधिनियम के अंतर्गत आती है।

हस्ताक्षर / अँगूठे का निशान मतदाता के ..... XXX

पिता / माता / पति का नाम..... ४.४.४

मतदाता सूची की भाग संख्या ..... 141

मतदाता की क्रम संख्या ..... 242

दिनांक ..... 7.12.2018

यह प्रमाणित किया जाता है कि मतदाता द्वारा उक्त घोषणा मेरे सम्मुख की गई है।

हस्ताक्षर पीठासीन अधिकारी ..... 

नम्बर व नाम मतदान केंद्र का ..... 141 डा. प्रा. वि. काठीयासाहा

दिनांक ..... 7.12.2018

# अल्प आयु वर्ग के मतदाता से संबंधित सूची

अनुलग्नक - 9

(अध्याय 18, पैरा 18.10.3)  
अल्प आयु वर्ग के मतदाताओं से संबंधित सूची

चुनाव क्षेत्र ..... काशीवर (103) (निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

मतदान केन्द्र का क्रमांक एवं नाम..... 141 ..... राष्ट्रपति बाड़ीया इयाना

भाग - 1

मतदाताओं की सूची जिनसे उनकी आयु के लिए घोषणा प्राप्त की

| क्र.स. | निर्वाचक का नाम | निर्वाचक नामावली में भाग संख्या तथा क्र.स. | निर्वाचक नामावली में दर्ज की गई आयु | पीठासीन अधिकारी द्वारा आंकी गई आयु |
|--------|-----------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1      | 2               | 3  | 4                                   | 5                                  |
| 1.     | aaaa            | 141 / 218                                  | 18                                  | 18                                 |
| 2.     |                 |  |                                     |                                    |
| 3.     |                 |  |                                     |                                    |
| 4.     |                 |  |                                     |                                    |

भाग - 2

मतदाताओं की सूची जिन्होने अपनी आयु के संबंध में घोषणा करने से इन्कार किया :—

| क्र.स. | निर्वाचक का नाम | निर्वाचक नामावली में भाग संख्या तथा क्र.स. | निर्वाचक नामावली में दर्ज की गई आयु | पीठासीन अधिकारी द्वारा आंकी गई आयु |
|--------|-----------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1      | 2               | 3  | 4                                   | 5                                  |
| 1.     | bbbb            | 141 / 418                                  | 18                                  | 12                                 |
| 2.     |                 |  |                                     |                                    |
| 3.     |                 |  |                                     |                                    |

दिनांक :— 7 / 12 / 18

३१८  
पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर



## POLLING

1. (क) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व क्रमांक

02 बीकानेर

1. (ख) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व क्रमांक

15 कोलायत


2. मतदान केन्द्र का नाम व क्रमांक

121 रा.आ.उ.मा.वि., गजनेर, बीकानेर

3. मतदान की तारीख

06 मई, 2019

4. पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर



काउन्टर नं. 2 पर जमा किया जायेगा। (पैकेट 2 में रखें)

चपड़ी से सील नहीं करना है।

(15)

आम चुनाव - 2019....

## **लोक सभा / विधान सभा**

निर्वाचकों द्वारा आयु के संबंध में प्राप्त घोषणा एवं उनकी सूची

(संलग्नक-XI)

निर्वाचकों द्वारा आयु संबंधी घोषणा व उनकी सूची (संलग्नक-XI)  
लिफाफा सं. 15 में बिना चपड़ी से सील किए, पैकेट 2 में रखें  
तथा काउण्टर नं. 2 पर जमा करावें।



# दृष्टिहीन व शिथिलांग मतदाताओं द्वारा मतदान

1. यदि आप सुनिश्चित हो जाएँ कि दृष्टिहीनता या अन्य शारीरिक शिथिलांगता के कारण कोई निर्वाचक मतदान यूनिट के प्रतीक चिन्हों को पहचानने में असमर्थ है या बिना सहायता के समुचित बटन दबाकर अपना मत रिकॉर्ड करने में असमर्थ है तो ऐसे निर्वाचक को 18 वर्ष अथवा इससे अन्धून साथी को मतदान कक्ष में साथ ले जाने को अनुज्ञात करें।
2. दृष्टिहीन मतदाताओं के लिए ब्रेललिपि में मुद्रित बैलेट कार्ड शीट पीठासीन अधिकारी के पास उपलब्ध रहेगी, जिसे वह मतदाता पढ़कर अपने पसंद के अभ्यर्थी का क्रमांक ज्ञात कर सके और उसके बाद मतदान कक्ष में जाकर बैलेट यूनिट पर नीले बटन के सामने ब्रेललिपि में उभरे हुए अभ्यर्थी क्रमांक को समझकर मतदान कर सके। ऐसा मतदाता भी चाहे तो मतदान कक्ष में साथी ले जा सकता है।
3. किसी व्यक्ति को एक दिन में किसी भी मतदान केन्द्र पर एक से अधिक निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
4. साथी के रूप में अनुज्ञात करने से पूर्व उससे प्रपत्र 10 में घोषणा प्राप्त की जाएगी।
5. ऐसे समस्त मतदाताओं का रिकॉर्ड प्रारूप 14क में रखा जाएगा।
6. साथी की दाईं तर्जनी पर अमिट स्याही लगानी है।

दृष्टिहीन मतदाताओं द्वारा मतदान करने के विषय में रिपोर्ट

विश्वास यथा/लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व-०४

मतदान केन्द्र की संख्या व नाम

प्रियमान अधिकारी का नाम \_\_\_\_\_

| क्र. सं. | पंचांगीन यात्रानाम<br>(क) रेस्टॉरेंट यात्रावाला<br>जात्रा आदि। | पंचांगीन यात्रानाम<br>की संस्कृत लिपिनमें अंग<br>लिपि में सुनिध इष्टी शेषेष<br>शोट का उत्पादन किया। | पंचांगीन यात्रानाम की संस्कृत लिपिनमें<br>इष्टा प्रयोग के साथ इष्टी शेषेष शोट का प्रयोग<br>करने के लिया ५६ लिख्य ४७ लिख के प्रयोगान्तर के<br>अनुसार यात्राक की यात्रायात्रा से यात्रायात्रा के<br>उत्पादन किया गया है। | पंचांगीन यात्रानाम<br>की संस्कृत लिपिनमें द्वारा<br>लिखी गयी सुनिधाओं का<br>उत्पादन किया गया है। |
|----------|--|---|--|--|
| 1.       |  |   |  |  |
| 2.       |  |   |  |  |
| 3.       |  |   |  |  |
| 4.       |  |   |  |  |
| 5.       |  |   |  |  |
| 6.       |  |   |  |  |
| 7.       |  |   |  |  |
| 8.       |  |   |  |  |
| 9.       |  |   |  |  |
| 10.      |  |   |  |  |
| 11.      |  |   |  |  |
| 12.      |  |   |  |  |

(पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर)

(नियम ४०(२) और नियम ४० के (२) वायर)

**\*निरक्षर, अन्धे और शिथिलांग मतदाताओं की सूची**

..... निवासित-घर से 'लोक सभा/विधान सभा के लिए निवाचन  
 \*\*विधान सभा के निवाचित सदस्यों/की सदस्यों "हारा .....  
 .....] विधान सभा निवाचन-घर में मतदाता के नाम का संख्याकांक्षा और नाम .....]

मतदाता के स्थान पर नाम .....

| निवाचक का नाम<br>संख्या और काम संख्या | निवाचक का<br>पूरा नाम | साथी का पूरा<br>नाम | साथी का<br>पूरा नाम | साथी के<br>संख्या |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| .....                                 | .....                 | .....               | .....               | .....             |

लाइन .....

- 1. "निरक्षर वाले वर्ग/संसदीय निवाचन-घर से निवाचन की दस्ता में लागू नहीं है।
- 2. "जो दारा न है, उसे काम दीर्घिया।
- 3. "जो लाला न हो, उसे काम दीर्घिया।

प्रधासीन ऑफिसर के हस्ताक्षर]

## अन्य या अपंग निर्वाचक के साथी द्वारा घोषणा

..... सभा निर्वाचन क्षेत्र (जो ..... संसदीय  
निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आता है)।

मतदान केन्द्र का क्रम संख्या और नाम .....

मैं ..... पुत्र ..... आयु ..... वर्ष

निवासी\* हूँ, इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि —

(क) मैंने आज तारीख ..... को किसी मतदान केन्द्र पर किसी अन्य निर्वाचक के साथी  
के रूप में कार्य नहीं किया है, और

(ख) मैं उस मत की जो मैंने+ ..... की ओर से अभिलिखित किया  
है, गोपनीयता बनाये रखूँगा।

साथी के हस्ताक्षर

\* पूरा पता लिखें। + निर्वाचक का नाम, भाग और क्रम संख्या लिखें।  
( ) यह तब भरा जाये, जब लोकसभा के निर्वाचन भी साथ-साथ हो रहे हों।

## दृष्टिहीन मतदाताओं द्वारा मतदान करने के विषय में रिपोर्ट

विधान सभा/लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का नम्बर व नाम.....

मतदान केन्द्र की संख्या व नाम.....

पीठासीन अधिकारी का नाम.....

| क्र. सं. | ऐसे दृष्टिहीन मतदाताओं की संख्या जो मतदान करने आए। | ऐसे दृष्टिहीन मतदाताओं की संख्या जिन्होंने ब्रेल लिपि में मुद्रित डमी बैलेट शीट का उपयोग किया। | ऐसे दृष्टिहीन मतदाताओं की संख्या जिनके द्वारा मतदान के समय डमी बैलेट शीट का प्रयोग करने के स्थान पर नियम 49एन के प्रावधान के अनुसार सहायक की सहायता से मतदान किया। | ऐसे दृष्टिहीन मतदाताओं की संख्या जिनके द्वारा दोनों सुविधाओं का प्रयोग किया गया है। |
|----------|--|--|--|---|
| 1.       |  |  |  |   |
| 2.       |  |  |  |   |
| 3.       |  |  |  |   |
| 4.       |  |  |  |   |
| 5.       |  |  |  |   |
| 6.       |  |  |  |   |
| 7.       |  |  |  |   |
| 8.       |  |  |  |   |
| 9.       |  |  |  |   |
| 10.      |  |  |  |   |
| 11.      |  |  |  |   |
| 12.      |  |  |  |   |

# नैत्रहीन एवं शिथिलांग मतदाताओं के सहयोगी द्वारा की गई घोषणा फार्म 14 क

अनुलग्नक-10

(अध्याय 22, पैरा 22.6)

नेत्रहीन एवं शिथिलांग मतदाताओं के सहयोगी द्वारा की गई घोषणा

स्थानक्रम (१०३) ..... विधानसभा क्षेत्र (.....

राजसमन्वय (४४) ..... संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जिसमें सम्मिलित है)

मतदान केन्द्र का क्रमांक एवं नाम 141 रा-पा-वि. बाड़ीचारपाना

मैं ..... aaaa ..... पुत्र/पुत्री ..... bbbb ..... आयु.....  
19 वर्ष निवासी बाड़ीचारपाना ..... विवाहित करता/करती हूँ कि :- घोषणा

- a) मैंने आज किसी भी मतदान केन्द्र पर किसी अन्य निर्वाचक के सहयोगी के रूप में कार्य नहीं किया है।
- b) मैंने ..... zzzz ..... की तरफ से जो मत दर्ज किया है, मैं उसकी गोपनीयता को बनाये रखूँगा/रखूँगी।

aaaa  
साथी के हस्ताक्षर

'पूर्ण पता लिखा जाना है।

Village - बाड़ीचारपाना

Post - जातिन्द्र प्रथम

Teh - चावर (अजमेर)

**POLLING**

1. (क) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व क्रमांक  
(केवल लोक सभा निर्वाचन में लागू)

**02 बीकानेर**

1. (ख) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व क्रमांक  
**15 कोलायत**


2. मतदान केन्द्र का नाम व क्रमांक

121 रा.आ.उ.मा.वि., गजनेर, बीकानेर

3. मतदान की तारीख

**06 मई, 2019**

4. पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर



काउंटर नं. 2 पर जमा किया जायेगा। (पैकेट 2 में रखें)

चपड़ी से सील नहीं करना है।

**(14)**

आम चुनाव - 2019...

**लोक सभा / विधान सभा**

अन्धे और अपाहिज मतदाताओं के साथी द्वारा घोषणा

एवं अन्धे और अपाहिज मतदाताओं की (फार्म-14 क) सूची

अन्धे और अपाहिज मतदाताओं के साथी की घोषणा व  
मतदाताओं की सूची (फार्म 14 क) लिफाफा सं. 14 में बिना  
चपड़ी से सील किए, पैकेट 2 में रखें तथा काउंटर नं. 2 पर  
जमा करावें।

# निविदत्त मतपत्र

1. यदि कोई निर्वाचक मत देने के लिए मतदान केन्द्र पर उस समय आए जब कोई अन्य व्यक्ति उस निर्वाचक के रूप में पहले ही मत दे चुका हो तो उस निर्वाचक की पहचान के बारे में समाधान होने पर उसे निविदत्त मत देने की अनुमति प्रदान की जाएगी।
2. निविदत्त मतपत्र छपा हुआ मतपत्र होगा, जैसा मतदान यूनिट पर प्रदर्शन के लिए उपयोग में लिया जाने वाला मतपत्र है।
3. ऐसे मतपत्र के पीछे पीठासीन अधिकारी हाथ से “निविदत्त मतपत्र” लिखकर, सुभिन्नकारी सील लगाकर, स्वयं के हस्ताक्षर करेगा।



# निविदत्त मतपत्र

4. निर्वाचक को निविदत्त मतपत्र देते समय स्याही लगी हुई ऐरोक्रास मार्कसील भी दी जाएगी।
5. निविदत्त मतपत्र प्राप्त कर निर्वाचक मतदान कक्ष में जाकर उस अभ्यर्थी के प्रतीक पर ऐरोक्रास मार्कसील से मत अंकित करेगा।
6. निर्वाचक निविदत्त मतपत्र मोड़कर मतदान कक्ष से बाहर आयेगा तथा निविदत्त मतपत्र पीठासीन अधिकारी को सौंपेगा।
7. निविदत्त मतपत्र, निविदत्त मतपत्रों के लिफाफे में रखकर सील किया जाएगा।
8. प्रारूप 17 ख निविदत्त मतपत्रों की सूची में निर्वाचक का नाम व क्रम संख्या लिखकर हस्ताक्षर कराएगा।

## निविदत्त मतों की सूची

निर्वाचन-क्षेत्र से

लोक सभा/राज्य क्षेत्र की विधान सभा के लिए निर्वाचन।

मतदान केन्द्र का संख्यांक और नाम .....

निर्वाचक नामावली के भाग संख्यांक .....

| क्रम संख्यांक | निर्वाचक का नाम | निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का क्रम संख्यांक | उस व्यक्ति का मतदाता रजिस्टर में (प्रस्तुप 17 क) क्रम संख्यांक जिसने निर्वाचक के बदले में पहले ही मतदान कर दिया है | निर्वाचक के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान |
|---------------|-----------------|--|--|---------------------------------------|
|---------------|-----------------|--|--|---------------------------------------|

1.

2.

3.

4.

5.

6.

## POLLING

1. (क) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व क्रमांक  
(केवल लोक सभा निर्वाचन में लाग)

02 बीकानेर

- (ख) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व क्रमांक

15 कोलायत


2. मतदान केन्द्र का नाम व क्रमांक

121 रा.आ.उ.मा.वि., गजनेर, बीकानेर

3. मतदान की तारीख

06 मई, 2019

4. पीगासीन अधिकारी के हस्ताक्षर



काउन्टर नं. 2 पर जमा किया जायेगा। (पैकेट 1 में रखें)

चपड़ी से सील करना है।

(8)

आम चुनाव - 2019...

**लोक सभा / विधान सभा**

प्रयुक्त निविदत्त मतपत्र एवं सूची (फार्म 17 ख)

**प्रयुक्त निविदत्त मतपत्र एवं सूची (फार्म 17 ख) लिफाफा सं. 8 में रखकर चपड़ी से सील करना है, इसे पैकेट 1 में रखकर काउन्टर नं. 2 पर जमा कराना है।**

**POLLING**

1. (क) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व क्रमांक  
(केवल लोक सभा निर्वाचन में लागू)

**02 बीकानेर**

1. (ख) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व क्रमांक

**15 कोलायत**


2. मतदान केन्द्र का नाम व क्रमांक

121 रा.आ.उ.मा.वि., गजनेर, बीकानेर

3. मतदान की तारीख

**06 मई, 2019**

4. पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर



काउन्टर नं. 2 पर जमा किया जायेगा। (पैकेट 1 में रखें)

चपड़ी से सील करना है।

**(7)**

अम्ब चुनाव - 2019...

**लोक सभा / विधान सभा**

अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्र

**अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्र लिफाफा सं. 7 में रखकर चपड़ी से सील करना है,  
इसे पैकेट 1 में रखकर काउन्टर नं. 2 पर जमा कराना है।**

# सेवा मतदाता कौन है

1

भारत  
की सशस्त्र  
सेनाओं में सेवारत

2

सेना  
अधिनियम 1950  
के अन्तर्गत बल (असम  
राइफल्स, सीआरपीएफ बीएसएफ,  
आईटीबीपी, सीमा सड़क  
संगठन में जीआरईएफ कार्मिक,  
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा  
बल आदि)

3

जो  
भारत सरकार  
के अधीन नियुक्त  
किए गए हों किंतु  
उनकी तैनाती भारत  
के बाहर हो

4

राज्य  
के सशस्त्र पुलिस  
बल के सदस्य, जो उस  
राज्य से बाहर तैनात हों

\*यदि सेवा मतदाता की पत्ती, साधारण रूप से उसके साथ निवास करती है तो वह भी सेवा मतदाता की सूची में पंजीकृत हो सकती है

# प्रॉक्सी द्वारा मतदान

- निर्वाचन कानून में संशोधन कर वर्गीकृत सेवा नियोजित मतदाताओं (CSV) को प्रॉक्सी द्वारा मतदान की सुविधा दी गई है।
- प्रॉक्सी द्वारा मतदान के लिए मतदान केन्द्र पर अधिकृत व्यक्तियों की सूची चिन्हित प्रति के अन्त में लगी होगी।
- प्रॉक्सी को सामान्य मतदाता के लिए विहित प्रक्रिया के अनुसार ही मतदान कराएं, लेकिन प्राक्सी मतदाता के—
- अमिट स्याही बांई तर्जनी के स्थान पर बांयी मध्यमा पर लगाएँ।

# OVERSEAS VOTERS

- ❖ विदेश में रहने वाले भारतीयों जिन्होंने विदेशी नागरिकता ग्रहण नहीं की है, उनका नाम संबंधित क्षेत्र की मतदाता सूची के अंत में अप्रवासी मतदाता के रूप में दर्ज रहेगा।
- ❖ ऐसे मतदाता उसी भाग में अपने मूल पासपोर्ट के आधार पर मतदान करेंगे, इन्हें EPIC जारी नहीं होता है।

# द्वितीय मतदान अधिकारी के कर्तव्य

1. द्वितीय मतदान अधिकारी अमिट स्याही का भारसाधक होगा।
2. इसके पास मतदाता रजिस्टर एवं मतदाता पर्ची होगी।
3. जैसे ही मतदाता मतदान अधिकारी के पास आएगा वह मतदाता के बायें हाथ की तर्जनी का निरीक्षण करेगा कि इस पर कोई अमिट स्याही का चिन्ह तो नहीं है।
4. मतदाता की बायीं तर्जनी के नाखून एवं चमड़ी के (रिज़) युग्म पर अमिट स्याही का निशान लगाएगा। 
5. मतदाताओं के रजिस्टर 17 के में मतदाता की निर्वाचक नामावली का क्रमांक लिखेगा एवं मतदाता के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी लेगा।
6. मतदाता जो पहचान-दस्तावेज लाता है उसे दर्शाते हुए दस्तावेज के क्रमांक के अन्तिम चार डिजिट रजिस्टर 17 के तृतीय कॉलम में अंकित किए जाएंगे।

# द्वितीय मतदान अधिकारी के कर्तव्य

6. मतदाता के हस्ताक्षर का आशय मतदाता का नाम व उपनाम है केवल निशान नहीं।
7. यदि मतदाता अपना अंगूठा लगाता है तो मतदाता के बाँये हाथ का अंगूठा लगवाएँ। यदि बाँये हाथ का अंगूठा नहीं है, तो दाएं हाथ का अंगूठा लगवाएं। यदि दोनों अंगूठे नहीं हैं तो बाँये हाथ की अंगुलियों की छाप लें, यदि बाँये हाथ की अंगुलियां नहीं हों तो दायें हाथ की अंगुली की छाप लें, यदि दोनों हाथ की अंगुलियां नहीं हैं, तो मतदाता के साथी के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी लेनी चाहिए।



## प्रारूप 17क

(नियम 49 B देखिये)

### मतदाता रजिस्टर

बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र से.....—.....लोक सभा /राज्य की  
विधान सभा.....2019.....के लिए निर्वाचन

मतदान केन्द्र का संख्यांक और नाम कक्षण.....निर्वाचक नामावली  
के भाग संख्यांक ....123.....

| क्रम संख्यांक | निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का क्रम संख्यांक | निर्वाचक द्वारा अपनी पहचान के सबूत में प्रस्तुत दस्तावेज का ब्यौरा | निर्वाचक के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान | टिप्पणियां           |
|---------------|--|--|---|----------------------|
| (1)           | (2)  | (3)  | (4)                                     | (5)                  |
| 1             | 151  | EP   | पूरा नाम                                | विशेष ब्यौरा।        |
| 2             | 457  | DL-4368  | बायां अंगूठा                            | -                    |
| 3             | 591  | PP-2796  | —“—                                     | मत देने से मना किया। |
| 4             | 387  | PB-3594  | —“—                                     | मत देने से रोका।     |

Abbreviations : EP –EPIC, DL - Driv. Lic., PP- Passport, PB-PassBook

## POLLING

1. (क) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व क्रमांक  
(केवल लोक सभा निर्वाचन में लागू)

02 बीकानेर

1. (ख) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व क्रमांक  
15 कोलायत


2. मतदान केन्द्र का नाम व क्रमांक

121 रा.आ.उ.मा.वि., गजनेर, बीकानेर

3. मतदान की तारीख

06 मई, 2019

4. पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर



काउण्टर नं. 2 पर जमा किया जायेगा। (पैकेट 1 में रखें)

चपड़ी से सील करना है।

(5)

आम चुनाव - 2019.....

**लोक सभा / विधान सभा**

अभिलिखित मतों की पंजिका (मतदाता रजिस्टर)

मतदान सम्पन्न होने के बाद मतदाता रजिस्टर 17 क  
लिफाफा सं. 5 में रखकर चपड़ी से सील करके  
काउण्टर नं. 2 पर जमा करवाना है।

# मतदाता पर्ची

मतदाताओं के रजिस्टर के स्तम्भ (1) के  
अनुसार निर्वाचक की क्रम संख्या..... 251

निर्वाचक नामावली में यथा प्रविष्ट निर्वाचक  
की क्रम संख्या ..... 511

मतदान अधिकारी के लघु हस्ताक्षर .....

**POLLING**

1. (क) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व क्रमांक  
(केवल लोक सभा निर्वाचन में लागू)

**02 बीकानेर**


1. (ख) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व क्रमांक  
.....  
**15 कोलायत** .....
2. मतदान केन्द्र का नाम व क्रमांक

121 रा.आ.उ.मा.वि., गजनेर, बीकानेर

3. मतदान की तारीख

**06 मई, 2019**

4. पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर



काउंटर नं. 2 पर जमा किया जायेगा। (पैकेट 1 में रखें)

चपड़ी से सील करना है।

**(6)**

**आम चुनाव - 2019....**

**लोक सभा / विधान सभा**

मतदाता की पर्चियाँ

मतदान सम्पन्न होने के बाद मतदाता की पर्चियाँ  
लिफाफा सं. 6 में रखने के बाद चपड़ी से सील करें व  
पैकेट 1 में रखकर काउण्टर नं. 2 पर जमा करवाएँ।

**POLLING**

1. वोटर का नाम व क्रमांक  
02 बीकानेर (गु.)

1. (ख) विश्वास प्रतिक्रिया का नाम व क्रमांक  
15 कोलायत

2. मतदान केन्द्र का नाम व क्रमांक  
121 रा.आ.उ.मा.वि., गजनेर, बीकानेर

3. मतदान की तारीख  
06 मई, 2019

4. पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

काउन्टर नं. 2 पर जमा किया जायेगा। (पैकेट 2 में रखें)

चपड़ी से सील नहीं करना है।

(9)

आम चुनाव - 2019....

**लोक सभा / विधान सभा**

अप्रयुक्त मतदाताओं की पर्चियाँ

मतदान सम्पन्न होने के बाद अप्रयुक्त मतदाताओं की पर्चियाँ  
पीले रंग के लिफाफा सं. 9 में रखने के बाद चपड़ी से सील न  
करें व पैकेट 2 में रखकर काउण्टर नं. 2 पर जमा करवाएँ।

# तृतीय मतदान अधिकारी के कर्तव्य

1. नियंत्रण यूनिट का भारसाधक होगा।
2. तृतीय मतदान अधिकारी पीठासीन अधिकारी के पास उसी की मेज पर बैठेगा।
3. मतदाता से पर्ची प्राप्त कर क्रमानुसार अपने पास सुरक्षित रखेगा।
4. नियंत्रण यूनिट के बैलट बटन को दबाकर मतदान में रखी मतदान यूनिट को चालू करेगा।
5. मतदाता को मत रिकॉर्ड करने के लिए मतदान कक्ष में भेजेगा।
6. निर्वाचक के मतदान कक्ष से वापिस आने पर निर्वाचक की बारीं तर्जनी पर अमिट स्थाही के चिन्ह की जाँच करेगा।



# मतदान प्रक्रिया

## मतदान के प्रारम्भ होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा -

- मतदान ठीक नियत समय पर प्रारम्भ होगा, जिसके पूर्व सारी तैयारियां पूर्णकर पीठासीन अधिकारी एक विहित प्ररूप में घोषणा पढ़कर सुनायेगा और अपने अपने हस्ताक्षर करेगा व उपस्थित अभिकर्त्ताओं से भी हस्ताक्षर करने हेतु कहेगा।

## पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा

भाग-।

### मतदान आरम्भ होने के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन

मतदान केन्द्र का प्रभासं. और नाम

मतदान की तारीख

मैं, इसके द्वारा घोषणा करता हूँ:-

- कि मैंने मतदान अभिकर्ताओं और अन्य उपस्थित व्यक्तियों को,-
  - दिखावटी गतदान आयोजित करके पह प्रदावित कर दिया है कि मतदान मरीन पूर्णतया चालू हालत में है और उसमें गहने से कोई नह रिकॉर्ड नहीं किया गया है;
  - यह प्रदावित कर दिया है कि मतदान के दौरान उपयोग में ली जाने वाली निर्वाचक-नामांकनी को विनियत प्रति में लाल मन्त्र और निर्वाचन झूलूपी प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्रयुक्त विद्युत के विस्थाया कोई भी चिन्ह नहीं है;
  - यह प्रदावित कर दिया है कि मतदान के दौरान प्रयुक्त योगे जाने वाले मतदाताओं के जीलस्टर (प्रलम 17-क) पर किसी भी निर्वाचक के संबंध में कोई भी प्रतिष्ठित नहीं है।
- कि मैंने मतदान व्यवस्था के विविध अनुभाग की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त पत्र सील (लॉ) पर अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं और उस पर ऐसे मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करके हैं जो उपस्थित हैं और हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं।
- यह कि मैंने स्पेशल टॉम पर नियम यूनिट की क्रम संख्या लिख दी है और मैंने स्पेशल टॉम के पीछे की तरफ हस्ताक्षर कर दिये हैं और अन्यथा/मतदान अभिकर्ताओं से हस्ताक्षर भी प्राप्त कर दिये हैं, जो अनुचित हैं और हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं।
- मैंने स्ट्रीप सील पर अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं तथा उस पर ऐसे उपस्थित अन्यथाओं तथा एकेंट के हस्ताक्षर प्राप्त कर दिये हैं जो हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं।
- यह कि मैंने स्पेशल टॉम पर पूर्व से छाया क्रम संख्या पढ़ दी है तथा उपस्थित अन्यथाओं/मतदान अभिकर्ताओं से क्रम संख्या नोट करने के लिये कह दिया है।

हस्ताक्षर

### पीठासीन अधिकारी

मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर :-

- (अन्यथा) का मतदान अभिकर्ता)
  - (अन्यथा) का मतदान अभिकर्ता)
- निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने इस घोषणा पर अपने हस्ताक्षर करने से इनकार किया :
- (अन्यथा) का मतदान अभिकर्ता)
  - (अन्यथा) का मतदान अभिकर्ता)
  - (अन्यथा) का मतदान अभिकर्ता)
  - (अन्यथा) का मतदान अभिकर्ता)

तारीख

सन् १५

हस्ताक्षर

### पीठासीन अधिकारी

## पाठासान आधिकारा द्वारा पश्चात्वता मतदान मशान के उपयोग,

### यदि कोई हो, के समय घोषणा .....

सत्रदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन

और नाम

मतदान केन्द्र की क्रम संख्या.....

मैं, इसके द्वारा घोषणा करता हूँ :-

- कि मैंने मतदान अभिकर्ताओं और अन्य उपस्थित व्यक्तियों को प्रतिशिष्ट कर दिया है कि :-
  - दिखावटी गतदान आयोजित करके पह प्रदावित कर दिया है कि मतदान मरीन पूर्णतया चालू हालत में है और उसमें गहने से कोई नह रिकॉर्ड नहीं किया गया है।
  - यह कि मतदान के दौरान उपयोग में ली जाने वाली निर्वाचक-नामांकनी को विनियत प्रति में लाल मन्त्र और निर्वाचन झूलूपी प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए उपयोग में लाल गधे चिन्हों के अलावा कोई अन्य चिन्ह नहीं है।
  - यह कि मतदान के साथ उपयोग में लाल गधे चिन्हों के अलावा कोई अन्य चिन्ह नहीं है।
- कि मैंने मतदान के दौरान उपयोग में ली जाने वाली निर्वाचक-नामांकनी को विनियत प्रति में लाल मन्त्र और निर्वाचन झूलूपी प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए उपयोग में लाल गधे चिन्हों के अलावा कोई अन्य चिन्ह नहीं है।
- यह कि मतदान के साथ उपयोग में लाल गधे चिन्हों के अलावा कोई अन्य चिन्ह नहीं है।
- कि मैंने ऐसे सील पर जो लॉटी मैंने के कन्ट्रोल यूनिट के परिणाम सेवन को सुरक्षित रखती है, पर हस्ताक्षर कर दिये हैं तथा उस पर ऐसे मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करना लिखा है जो उपस्थित हैं और हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं।
- यह कि मैंने स्पेशल टॉम पर नियम यूनिट का क्रम संख्या लिख दी है और मैंने स्पेशल टॉम के पीछे की तरफ अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं और अन्यथा/मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी प्राप्त कर दिये हैं, जो अनुचित हैं और हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं।
- कि मैंने स्ट्रीप सील पर अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं तथा उस पर ऐसे उपस्थित अन्यथाओं तथा एकेंट के हस्ताक्षर प्राप्त कर दिये हैं जो हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं।

हस्ताक्षर

### पीठासीन अधिकारी

मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर :-

- (अन्यथा) का मतदान अभिकर्ता)

निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने इस घोषणा पर अपने हस्ताक्षर करने से इनकार किया :

- (अन्यथा) का मतदान अभिकर्ता)

तारीख

हस्ताक्षर

### पीठासीन अधिकारी

# पीठासीन अधिकारी की घोषणा

अनुलग्नक — ५

( अध्याय 16 अनुच्छेद—16.2)  
पीठासीन अधिकारी द्वारा की गई घोषणा  
भाग—I

पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान दिवस से पूर्व की गई घोषणा।

चुनाव से.....ल्लाकार.(०.३).....लोकसभा / विधानसभा क्षेत्र।

मतदान केन्द्र की क्रम संख्या व नाम.....14.1.....डा. लाला वि. बाड़ीया श्यामा

मतदान दिवस की दिनांक.....07-12-2018

मैं घोषणा करता हूँ कि

(1) मैंने मतदान अभिकर्ताओं व अन्य उपस्थित लोगों के सामने मॉक-पोल का प्रदर्शन किया है कि—

(क) मॉक-पोल के द्वारा यह कि मशीन सही कार्य कर रही है एवं पूर्व में मशीन में कोई भी मत संग्रहित नहीं है।

(ख) यह कि मतदाता सूची की चिन्हित प्रति काम में ली जाएगी जिसमें डाक मतपत्र व चुनाव डियूटी प्रमाण पत्र के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से चिन्हित नहीं की गई है।

(ग) वोटों के निर्धारण का रजिस्टर (17क) चुनाव में काम लिया जावेगा। जिसमें मतदाता के मत करने के अतिरिक्त कोई भी प्रविष्टयों नहीं होंगी।

(2) मैंने अपने हस्ताक्षर उस पेपर पर कर दिये हैं जो मतदान मशीन की नियन्त्रण इकाई के परिणाम खण्ड को सुरक्षित करती है एवं जो भी मतदान अभिकर्ता इस पर हस्ताक्षर करने के इच्छुक है। उनसे करा लिये गये हैं।

(3) नियन्त्रण इकाई (मतदान मशीन की) क्रम संख्या, विशेष टैग पर अंकित कर दी गई है एवं विशेष टैग के पीछे मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं एवं अभ्यर्थी/मतदान अभिकर्ता जो इन पर हस्ताक्षर करने के इच्छुक है उनसे हस्ताक्षर करा लिये गये हैं।

(4) मैंने स्ट्रिप सील पर अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं एवं अभ्यर्थी/मतदान अभिकर्ता जो इन पर हस्ताक्षर करने के इच्छुक है उनसे हस्ताक्षर करा लिये गये हैं।

(5) विशेष टैग पर पूर्व निर्धारित क्रम संख्या मेरे द्वारा पढ़ी जा चुकी है एवं अभ्यर्थी/मतदान अभिकर्ता जो उस समय उपस्थित है को कहा गया है कि वे इस क्रम संख्या को नोट कर लें।

हस्ताक्षर.....  
पीठासीन अधिकारी

# पीठासीन अधिकारी की घोषणा

## भाग II

पीठासीन अधिकारी द्वारा अतिरिक्त मतदान मशीन के उपयोग में लाते समय की गई घोषणा (यदि कोई होतो)

पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान दिवस से पूर्व की गई घोषणा।

चुनाव से.....~~लोकसभा/विधानसभा~~ लोकसभा/विधानसभा क्षेत्र।

मतदान केन्द्र की क्रम संख्या व नाम.....161..... डा. ज्ञा. वि. आडीया इयामा  
मतदान दिवस की दिनांक.....07-12-2018.....  
मैं घोषणा करता हूँ कि

(1) मैंने मतदान अभिकर्ता/बूथ अभिकर्ता व अन्य उपस्थित लोगो के सामने प्रदर्शन किया है कि—

(क) मॉक—पोल के द्वारा यह कि मशीन सही कार्य कर रही है एवं पूर्व में मशीन में कोई भी मत संग्रहित नहीं है।

(ख) यह कि मतदाता सूची की चिन्हित प्रति काम में ली जाएगी जिसमें डाक मतपत्र व चुनाव ड्यूटी प्रमाण पत्र के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से चिन्हित नहीं की गई है।

(ग) बोटो के निर्धारण का रजिस्टर (17क) चुनाव में काम लिया जावेगा। जिसमें मतदाता के मत करने के अतिरिक्त कोई भी प्रविष्टयों नहीं होंगी।

(2) मैंने अपने हस्ताक्षर उस पेपर पर कर दिये हैं जो मतदान मशीन की नियंत्रण इकाई के परिणाम खण्ड को सुरक्षित करती है एवं जो भी मतदान अभिकर्ता/बूथ अभिकर्ता इस पर हस्ताक्षर करने के इच्छुक है। उनसे करा लिये गये हैं।

(3) नियंत्रण इकाई (मतदान मशीन की) क्रम संख्या, विशेष टैग पर अंकित कर दी गई है एवं विशेष टैग के पीछे मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं एवं अभ्यर्थी/मतदान अभिकर्ता जो इन पर हस्ताक्षर करने के इच्छुक है उनसे हस्ताक्षर करा लिये गये हैं।

(4) मैंने स्ट्रिप सील पर अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं एवं अभ्यर्थी/मतदान अभिकर्ता जो इन पर हस्ताक्षर करने के इच्छुक है उनसे हस्ताक्षर करा लिये गये हैं।

(5) विशेष टैग पर पूर्व निर्धारित क्रम संख्या मेरे द्वारा पढ़ी जा चुकी है एवं अभ्यर्थी/मतदान अभिकर्ता जो उस समय उपस्थित है को कहा गया है वे इस क्रम संख्या को नोट कर लें।

हस्ताक्षर  
पीठासीन अधिकारी

हस्ताक्षर मतदान अभिकर्ता

1 ..... (८८८ अभ्यर्थी से संबंधित) 2 ..... (अभ्यर्थी से संबंधित)

3 ..... (८८९ अभ्यर्थी से संबंधित) 4 ..... (अभ्यर्थी से संबंधित)

# पीठासीन अधिकारी की घोषणा

- |   |                            |         |                       |
|---|----------------------------|---------|-----------------------|
| 5 .....   | (.....अभ्यर्थी से संबंधित) | 6 ..... | (अभ्यर्थी से संबंधित) |
| 7 .....   | (.....अभ्यर्थी से संबंधित) | 8 ..... | (अभ्यर्थी से संबंधित) |
| 9 .....   | (.....अभ्यर्थी से संबंधित) |         |                       |
| निम्न मतदान अभिकर्ताओं ने उक्त घोषणा पर हस्ताक्षर करने से मना किया। |                            |         |                       |
| 1 .....   | (.....अभ्यर्थी से संबंधित) | 2. .... | (अभ्यर्थी से संबंधित) |
| 3 .....   | (.....अभ्यर्थी से संबंधित) | 4. .... | (अभ्यर्थी से संबंधित) |

  
हस्ताक्षर.....  
पीठासीन अधिकारी

दिनांक... 7/12/2018

## भाग—III

चुनाव समाप्ति पर की गई घोषणा  
जो मतदान अभिकर्ता / बूथ अभिकर्ता मतदान समाप्ति के समय उपस्थित थे  
जिनके हस्ताक्षर नीचे किये गये हैं। उन्हे मेरे द्वारा हस्ताक्षरित प्रतिलिपि जो कुल  
दिये गये मतों की संख्या (17 सी) के द्वारा जो नियम 49—5(2) चुनाव नियमावली  
1961 है दे दी गयी है।

  
हस्ताक्षर.....  
पीठासीन अधिकारी

दिनांक.... 7/12/18

समय ..... 5:30 PM

उन मतदान अभिकर्ताओं / बूथ अभिकर्ताओं जिन्हे हस्ताक्षरित प्रतिलिपि जिसमें  
दिये गये कुल मतों का संधारण हो। (Part I of form 17 C)

हस्ताक्षर मतदान अभिकर्ता

- |         |                            |         |                       |
|---------|----------------------------|---------|-----------------------|
| 1 ..... | (.....अभ्यर्थी से संबंधित) | 2 ..... | (अभ्यर्थी से संबंधित) |
| 3 ..... | (.....अभ्यर्थी से संबंधित) | 4 ..... | (अभ्यर्थी से संबंधित) |
| 5 ..... | (.....अभ्यर्थी से संबंधित) | 6 ..... | (अभ्यर्थी से संबंधित) |

# पीठासीन अधिकारी की घोषणा

7 .....(अभ्यर्थी से संबंधित) 8 .....(अभ्यर्थी से संबंधित)

9 .....(अभ्यर्थी से संबंधित)

उन मतदान अभिकर्ताओं / बूथ अभिकर्ताओं जिन्हे हस्ताक्षरित प्रतिलिपि जिसमें  
दिये गये कुल मतों का संधारण हो मिना कर दिया गया है।

1 .....N.I.L.....(अभ्यर्थी से संबंधित)

हस्ताक्षर.....  
पीठासीन अधिकारी

दिनांक..... 7/12/2018

समय ..... 5:30 pm

## भाग -IV

मतदान मशीन को सील करने के पश्चात की गयी घोषणा  
मतदान समाप्ति के पश्चात मतदान मशीन की नियंत्रण ईकाई (CU) व बैलेट  
ईकाई (BU) जिन कैरिंग बाक्सेस में रखी जाती है उन पर मैंने अपनी सील  
लगा दी है एवं कुल मतदान अभिकर्ताओं / बूथ अभिकर्ताओं को भी सील लगाने  
की अनुमति दी जाती है जो मतदान के समय वहां पर उपस्थित थे।

हस्ताक्षर.....  
पीठासीन अधिकारी

दिनांक..... 7/12/2018.

समय ..... 5:45 pm .

निम्नांकित अभिकर्ताओं ने अपनी सील लगा दी है।

मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर

निम्न मतदाताओं ने हस्ताक्षर करने से मना किया अथवा अपनी मुहर अंकित  
करना नहीं चाहते हैं।

1 .....N.I.L.....(अभ्यर्थी से संबंधित..... )

2 .....(अभ्यर्थी से संबंधित..... )

दिनांक..... 7/12/2018

पीठासीन अधिकारी  
के हस्ताक्षर

## **POLLING**

1. (क) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व क्रमांक  
(केवल लोक सभा निर्वाचन में लागू)  
..... 02 बीकानेर .....
1. (ख) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व क्रमांक  
..... 15 कोलायत .....
2. मतदान केन्द्र का नाम व क्रमांक  
121 रा.आ.उ.मा.वि., गजनेर, बीकानेर ..
3. मतदान की तारीख  
..... 06 मई, 2019 .....
4. पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर  
.....



काउन्टर नं. 1 पर जमा किया जायेगा।

चपड़ी से सील नहीं करना है।

(2)

**आम चुनाव - 2019....**

## **लोक सभा/विधान सभा**

मतदान प्रारम्भ होने से पहले तथा मतदान समाप्ति के बाद पीठासीन अधिकारी द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में की जाने वाली घोषणाएं।

मतदान प्रारम्भ होने से पूर्व व समाप्ति के बाद पीठासीन अधिकारी द्वारा की जाने वाली घोषणाओं के प्रपत्र लिफाफा सं. 2 में रखकर काउन्टर नं. 1 पर जमा कराया जाएगा,  
इसे चपड़ी से सील नहीं करना है।

# पीठासीन अधिकारी के कर्तव्य

1. पीठासीन अधिकारी मतदान केन्द्र का पर्यवेक्षक है।
2. मतदान केन्द्र के आस पास 100 मीटर की परिधि में सम्पूर्ण व्यवस्था का दायित्व पीठासीन अधिकारी का है।
3. मतदान केन्द्र की स्थापना, मतदाता पंक्तियों को विनियमित करना, चुनौती, निविदत्त मतपत्र, अन्धे, शिथिलांग, अल्पायु मतदाताओं द्वारा मतदान के मामले निपटाना।
4. नियंत्रण यूनिट में ग्रीन पेपर सील, स्पेशल टैग एवं स्ट्रिप सील लगाकर मतदान के पूर्व मशीन तैयार करना।
5. सेक्टर ऑफिसर द्वारा मांगे जाने पर डाले गए मतों की संख्या बताना।

# विजिट शीट



2019

- यह प्रारूप पीठासीन अधिकारी को मतदान सामग्री के साथ उपलब्ध कराया जाएगा।
- विजिट शीट में मजिस्ट्रेट्स /डी.ई.ओ./आर.ओ./ए.आर.ओ. एवं पर्यवेक्षकगण अपनी विजिट के समय प्रविष्टियां करेंगे।
- यह विजिट शीट पीठासीन अधिकारी द्वारा पीठासीन अधिकारी की डायरी के साथ नक्तीबद्ध कर दी जाएगी एवं मतदान समाप्ति के पश्चात् पीठासीन अधिकारी की डायरी के साथ संबंधित लिफाफे में ही जमा करवा दी जाएगी।

## निरीक्षण प्रपत्र

मतदान की तिथि :

विधान सभा निरीक्षन दोष का नाम और संख्या :

मतदान स्थल का नाम और संख्या :

निरीक्षकों की संख्या :

| क्र.सं. | निरीक्षण करने वाले अधिकारी (पर्यवेक्षक/जिल.अ./रिटर्निंग ऑफिसर/नियांकित पंजीयन प्रबाधिकारी/सेक्टर मजिस्ट्रेट/जोनल मजिस्ट्रेट/पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट) का नाम एवं पदनाम | निरीक्षण का समय | मतदान प्रक्रिया (शालितपूर्ण/चटनाएं यादि कोई हो) का संक्षिप्त विवरण | निरीक्षण के समय तक उले गए मतों की संख्या   | टिप्पणी, यदि कोई हो | अधिकारी के हस्ताक्षर |
|---------|---|-----------------|--|--|---------------------|----------------------|
|         |   |                 |  | निरीक्षण के समय तक उले गए मतों का ..... %। |                     |                      |
| 1       |   |                 |  |  |                     |                      |
| 2       |   |                 |  |  |                     |                      |
| 3       |   |                 |  |  |                     |                      |
| 4       |   |                 |  |  |                     |                      |
| 5       |   |                 |  |  |                     |                      |
| 6       |   |                 |  |  |                     |                      |
| 7       |   |                 |  |  |                     |                      |
| 8       |   |                 |  |  |                     |                      |
| 9       |   |                 |  |  |                     |                      |
| 10      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 11      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 12      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 13      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 14      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 15      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 16      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 17      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 18      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 19      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 20      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 21      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 22      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 23      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 24      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 25      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 26      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 27      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 28      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 29      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 30      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 31      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 32      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 33      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 34      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 35      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 36      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 37      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 38      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 39      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 40      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 41      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 42      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 43      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 44      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 45      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 46      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 47      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 48      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 49      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 50      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 51      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 52      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 53      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 54      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 55      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 56      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 57      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 58      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 59      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 60      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 61      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 62      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 63      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 64      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 65      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 66      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 67      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 68      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 69      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 70      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 71      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 72      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 73      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 74      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 75      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 76      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 77      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 78      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 79      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 80      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 81      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 82      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 83      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 84      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 85      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 86      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 87      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 88      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 89      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 90      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 91      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 92      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 93      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 94      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 95      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 96      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 97      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 98      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 99      |   |                 |  |  |                     |                      |
| 100     |   |                 |  |  |                     |                      |

# VISIT SHEET

अनुलग्नक — 17  
(खंड 9, पैरा 9.4.3)

मतदान अभिकर्ता / सहायक मतदान अभिकर्ता आवा-जाही (विजिट शीट)प्रपत्र—मतदान केन्द्र का नाम व संख्या

| क्र0सं0 | संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम व संख्या | विधानसभा क्षेत्र का नाम व संख्या | प्रत्याशी का नाम | राजनैतिक दल का नाम | मतदान अभिकर्ता / सहायक अभिकर्ता का नाम | आने का समय | हस्ताक्षर | जाने का समय | हस्ताक्षर |
|---------|---|----------------------------------|------------------|--------------------|--|------------|-----------|-------------|-----------|
| 1       | राजसमन्द 22                             | छावर 103                         | XXXXXX           | 1234               | XXXX                                   | 7-15       | XXXX      | 12-20       | XXXX      |
| 2       |   |                                  |                  |                    |  |            |           |             |           |
| 3       |   |                                  |                  |                    |  |            |           |             |           |
| 4       |   |                                  |                  |                    |  |            |           |             |           |
| 5       |   |                                  |                  |                    |  |            |           |             |           |

पीठासीन अधिकारी

लिफाफा 3 मे रखकर काउन्टर 1 पर जमा करायें

## **POLLING**

1. (क) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व क्रमांक  
(केवल लोक सभा निर्वाचन में लागू)

**02 बीकानेर**

1. (ख) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व क्रमांक

**15 कोलायत**

2. मतदान केन्द्र का नाम व क्रमांक

121 रा.आ.उ.मा.वि., गजनेर, बीकानेर

3. मतदान की तारीख

**06 मई, 2019**

4. पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर



**काउन्टर नं. 1 पर जमा किया जायेगा।**

**चपड़ी से सील नहीं करना है।**

**(3)**

**आम चुनाव - 2019...**

## **लोक सभा/विधान सभा**

- पीठासीन अधिकारी की डायरी एवं अतिरिक्त रिपोर्ट प्रपत्र,  
बनावटी मतदान प्रमाण पत्र एवं विजिट शीट
- पीठासीन अधिकारी के विशेष अनुदेश की प्रति

**विजीट शीट प्रपत्र को लिफाफा सं. 3 में रखकर काउण्टर नं. 1 पर जमा कराया  
जाएगा, इसे चपड़ी से सील नहीं करना है।**

|  |                   |  |                  |
|--|-------------------|--|------------------|
| <b>A) Parliamentary Constituency No &amp; Name</b> | <b>02 BIKANER</b> | <b>B) State Name</b>                     | <b>RAJASTHAN</b> |
| <b>C) Assembly Segment No. &amp; Name</b>          |                   | <b>D) Polling Station No. &amp; Name</b> |                  |

|                                       |   |   |                                |                           |
|---------------------------------------|---|---|--------------------------------|---------------------------|
| <b>1.</b>                             | <b>Date of Poll :-</b>  |   |                                |                           |
| <b>2.</b>                             | <b>Total no. of CUs ( Control Units) Used</b><br><b>Total no. of BUs (Ballot Unit Used)</b><br><b>Total no. of VVPAT Used</b> |   |                                |                           |
| <b>3.</b>                             | <b>No. of Candidates whose Polling Agents were present at the time of Mock Poll</b>   |   |                                |                           |
| <b>4.</b>                             | <b>No. of Voters (as per voter list)</b>  | <b>Male</b>   | <b>Female</b>                  | <b>Transgender</b>        |
| <b>5.</b>                             | <b>Voter turnout, votes to be found in the EVM as per Item 6 of Form 17C of Conduct of Election Rules, 1961</b>               | <b>Male</b>   | <b>Female</b>                  | <b>Transgender</b>        |
| <b>6.</b>                             | <b>No. of Test Votes recorded in EVM under rule 49 MA(d)</b>  | <b>Male</b>   | <b>Female</b>                  | <b>Transgender</b>        |
| <b>7.</b>                             | <b>No. of voters who cast votes by using EDC</b>  |   |                                |                           |
| <b>8.</b>                             | <b>No. of votes polled by voters of age group 18-19 yrs</b>   |   |                                |                           |
| <b>9.</b>                             | <b>No. of votes polled by voters of age group 20-25 yrs</b>   |   |                                |                           |
| <b>10.</b>                            | <b>No. of Voters identified using the Photo Voter Slip</b>  |   |                                |                           |
| <b>11.</b>                            | <b>No. of Voters identified with the help of Electors Photo Identity Cards ( EPICs)</b>                                       |   |                                |                           |
| <b>12.</b>                            | <b>No. of Voters identified using other Identification Documents*</b>   |   |                                |                           |
| <b>13.</b>                            | <b>No. of Tendered Votes Casted</b>   |   |                                |                           |
| <b>14.</b>                            | <b>No. of votes polled by the voters included in ASD list</b>   |   |                                |                           |
| <b>15.</b>                            | <b>No. of Votes Polled by Persons with Disabilities(PwDs) or Divyangjan with</b>  |   |                                |                           |
| <b>Visually Impaired who votes by</b> |   | <b>Hearing Disabilities</b>   | <b>Loco motor Disabilities</b> | <b>Other Disabilities</b> |
| <b>Dummy Ballot Sheet in Braille</b>  | <b>with help of companion.</b>  | <b>with both facilities of Brail Signage and help of companion.</b> |                                |                           |
|                                       |   |   |                                |                           |

**I authenticate the data given above and certify that copies of filled Form 17C have been handed over to Polling Agents after close of Poll and one copy is enclosed here with this letter.**

**(Presiding Officer's Signature)**  
**Name :-**  
**Mobile No.**

**\*Note:- चुनाव आयोग द्वारा अन्य दस्तावेजों के आधार पर चिन्हीकरण की स्थीकृति प्रदान किये जाने पर ही सचिवालय सभी ज्ञाते।**

**भारत निर्वाचन आयोग**  
विधान सभा आम चुनाव- 2018

मतदान केन्द्र पर हुए मतदान की सूचना

| अ) लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम  | ब) राज्य का नाम                        | राजस्थान                       |
|---|--|--------------------------------|
| स) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम   | द) मतदान केन्द्र की संख्या एवं नाम     |                                |
| 1. मतदान की दिनांक  |  |                                |
| 3. प्रयोग में ली गई CU (कन्ट्रोल यूनिट) की कुल संख्या   |  |                                |
| प्रयोग में ली गई VVPAT की कुल संख्या  |  |                                |
| 3. मॉक पोल के समय कितने अभ्यार्थियों के मतदान अभिकर्ता मौजूद थे   |  |                                |
| 4. <u>मतदाताओं की संख्या</u> :- मतदाता सूची के अनुसार ई.डी.सी के आधार पर मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या योग   |  |                                |
| 5. निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के प्रपत्र 17सी के मद 6 के अनुसार ई.वी.एम में पड़े मतों की संख्या  | पुरुष<br>महिला<br>द्रांसर्जेंडर<br>योग |                                |
| 6. नियम 49 Md (घ) के अन्तर्गत अभिलिखित परीक्षण मत, जो ई.वी.एम. में पड़े   | पुरुष<br>महिला<br>द्रांसर्जेंडर        |                                |
| 7. 18-19 आयु वर्ग के मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या   |  |                                |
| 8. 20-25 आयु वर्ग के मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या   |  |                                |
| 9. मतदाता फोटो पहचान पत्र के आधार पर मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या   |  |                                |
| 10. फोटो वोटर पर्ची के आधार पर मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या   |  |                                |
| 11. अन्य दस्तावेजों के आधार पर मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या *   |  |                                |
| 12. डाले गये निविदत्त (टेण्डर) मतों की संख्या   |  |                                |
| 13. मतदान करने वाले निंशक्तजनों/दिव्यांगजनों की संख्या  |  |                                |
| दृष्टिहीन   | सुनने में असमर्थ                       | शारीरिक अपर्गता                |
|   |  | अन्य अपर्गता                   |
| 14. अनुपस्थित/स्थानान्तरित/दोहरे मतदाताओं की सूची में से मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या   |  |                                |
| मैं उपर्युक्त आंकड़ों की पुष्टि करता हूँ तथा यह भी प्रमाणित करता हूँ कि भरे हुए प्रपत्र 17सी की प्रतियां मतदान समाप्त होने के पश्चात् पालिंग एजेन्ट्स को सुपूर्द कर दी गई है एवं एक प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है। |  |                                |
|   |  | (पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर) |
|   |  | नाम :-<br>मोबाइल. नं. :-       |

\*नोट:- चुनाव आयोग द्वारा अन्य दस्तावेजों के आधार पर चिन्हीकरण की स्वीकृति प्रदान किये जाने पर ही सूचना भरी जावे।

यह प्रति संग्रहण केन्द्र पर सांख्यिकी के प्रभारी अधिकारी को सुपूर्द की जानी है।

# पीठासीन अधिकारी के कर्तव्य

6. मतदान समाप्ति पर क्लोज बटन दबाकर मतदान समाप्त करना।
7. मतदान समाप्ति के बाद नियंत्रण यूनिट व मतदान यूनिट को कैरिंग बॉक्स में सील करना।
8. सांविधिक एवं असांविधिक लिफाफे तैयार करना एवं जहां आवश्यक हो वहां सील करना।
9. समस्त सामान एवं मतदान सदस्यों के साथ वापस लौटकर प्रथम, द्वितीय व तृतीय काउंटर पर सामान जमा कराना।

## पीठासीन के अन्य महत्वपूर्ण कर्तव्य

- प्रत्येक मतदाता के प्रवेश को विनियमित करें। जिस क्रम में मतदाता रजिस्टर 17 के में प्रविष्टि है उसी क्रम में मतदान करावें।
- डाले गए मतों की संख्या का समय—समय पर मतदाता रजिस्टर में प्रविष्ट मतदाताओं की संख्या से मिलान करें।
- यह सुनिश्चित करें कि कोई भी मतदाता 'मतदाता रजिस्टर' में हस्ताक्षर किए बिना मतदान नहीं करें तथा जिन मतदाताओं ने हस्ताक्षर कर दिए हैं वे मतदान किए बिना बाहर नहीं चले जाएँ।
- मतदान कक्ष की फोटो खींचने या वीडियो फिल्म बनाने की आज्ञा न दें।

# नियम 49 MA(1) के अधीन मतदाता द्वारा भरा जाने वाला घोषणा-पत्र

अनुलग्नक—15

(अध्याय 20, पैरा 20.3.6)

## नियम 49MAके अधीन घोषणा

के लिये साधारण/उप निर्वाचन  
संसदीय/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की क्र.सं. तथा नाम.  
मतदान केन्द्र संख्या तथा नाम.....

**निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 49MAके अधीन निर्वाचक द्वारा घोषणा का प्रारूप**

- 1) मैं एतद द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 49 ड.क के उपनियम (1) के अधीन सत्यभाव से घोषणा तथा प्रतिज्ञान करता/करती हूँ कि बैलेट यूनिट से सम्बद्ध प्रिन्टर द्वारा सजित पेपर स्लिप से उस अभ्यर्थी जिसके लिये मैंने बैलेट यूनिट पर अपनी पंसद के अभ्यर्थी के नाम तथा चिन्ह के समक्ष सम्बन्धित बटन को दबाकर मत डाला था, के सिवाय किसी अन्य अभ्यर्थी का नाम एवं चिन्ह प्रदर्शित हुआ है। मैं यह प्रदर्शित करने के लिये कि मेरे द्वारा लगाया गया आरोप सही एवं वास्तविक है। पुनः एक परीक्षण मत दर्ज करने के लिये तैयार हूँ।
- 2) मुझे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 177 में दण्डित अपराधों की इस बात की जानकारी है कि मुझे कारावास की सजा दी जा सकेगी जिसकी अवधि छः माह तक बढ़ाई जा सकती है अथवा अर्थदण्ड जो एक हजार रुपये तक हो सकता है अथवा दोनों की सजा दी जा सकती है। यदि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 26 के अधीन नियुक्त पीठासीन अधिकारी के समक्ष उपरोक्त पैरा 1 में मेरे द्वारा की गई घोषणा गलत पाई गई।

निर्वाचक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान  
निर्वाचक का नाम.....  
पिता/माता/पति का नाम.....  
निर्वाचक नामावली की भाग संख्या.....  
उस भाग में निर्वाचक की क्र.सं.....  
मतदाताओं के रजिस्टर (17 क) में क्र.सं.....

दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त घोषणा तथा उस पर हस्ताक्षर उपरोक्त नाम के निर्वाचक द्वारा मेरे समक्ष किये गये।

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक.....

# DECLARATION FOR TEST VOTE

अनुलग्नक—15

(अध्याय 20, पैरा 20.3.6)

नियम 49MA के अधीन घोषणा

संसदीय / विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की क्र.सं. तथा नाम..... 103 ब्लाकर  
मतदान केन्द्र संख्या तथा नाम..... 141 डा. आवि शाहिया भट्टाजा

निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 49MA के अधीन निर्वाचक द्वारा घोषणा का प्रारूप

- 1) मैं एतद द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 49 ड.क के उपनियम (1) के अधीन सत्यभाव से घोषणा तथा प्रतिज्ञान करता / करती हूँ कि बैलेट यूनिट से सम्बद्ध प्रिन्टर द्वारा सूजित पेपर स्लिप से उस अभ्यर्थी जिसके लिये मैंने बैलेट यूनिट पर अपनी पंसद के अभ्यर्थी के नाम तथा चिन्ह के समक्ष सम्बन्धित बटन को दबाकर मत डाला था, के सिवाय किसी अन्य अभ्यर्थी का नाम एवं चिन्ह प्रदर्शित हुआ है। मैं यह प्रदर्शित करने के लिये कि मेरे द्वारा लगाया गया आरोप सही एवं वास्तविक है। पुनः एक परीक्षण मत दर्ज करने के लिये तैयार हूँ।
- 2) मुझे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 177 में दण्डित अपराधों की इस बात की जानकारी है कि मुझे कारावास की सजा दी जा सकेगी जिसकी अवधि ४ माह तक बढ़ाई जा सकती है अथवा अर्थदण्ड जो एक हजार रुपये तक हो सकता है अथवा दोनों की सजा दी जा सकती है। यदि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 26 के अधीन नियुक्त पीठासीन अधिकारी के समक्ष उपरोक्त पैरा 1 में मेरे द्वारा की गई घोषणा गलत पाई गई।

XXXX

|  |       |
|--|-------|
| निर्वाचक के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान    |       |
| निर्वाचक का नाम.....                       | X.XXX |
| पिता / माता / पति का नाम.....              | Y.YYY |
| निर्वाचक नामावली की भाग संख्या.....        | 141   |
| उस भाग में निर्वाचक की क्र.सं.....         | 212   |
| मतदाताओं के रजिस्टर (17 क) में क्र.सं..... | 421   |

दिनांक..... 7.12.2018

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त घोषणा तथा उस पर हस्ताक्षर उपरोक्त नाम के निर्वाचक द्वारा मेरे समक्ष किये गये।

  
पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक..... 7.12.2018

# निर्वाचक द्वारा मतदान की गोपनीयता भंग करना

1. यदि कोई मतदाता पीठासीन अधिकारी की चेतावनी के बाद भी मतदान प्रक्रिया का पालन करने से मना करें तो उसे नियम 49 ड के अधीन मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएं।
2. ऐसे मतदाता को यदि मतदाता पर्ची जारी कर दी हो तो उसे वापस ले लें।
3. जहां मतदाता को मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाये तो मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17 के अभ्युक्ति के स्तम्भ में टिप्पणी लिखकर पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर करें।
4. ऐसे प्रकरणों में उत्तरवर्ती निर्वाचक की क्रम संख्या में कोई परिवर्तन नहीं करें।

# निर्वाचक द्वारा मत नहीं देने का विनिश्चय

1. यदि कोई निर्वाचक मतदाताओं के रजिस्टर प्रारूप 17क में उसकी निर्वाचक नामावली संख्या की सम्पूर्ण रूप से प्रविष्टि करने और मतदाता रजिस्टर पर हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी करने के पश्चात् अपना मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करता है तो उसे मत रिकॉर्ड करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
2. मतदाताओं के रजिस्टर में उससे सम्बन्धित प्रविष्टि के सामने अभ्युक्ति के स्तम्भ में टिप्पणी की जाएगी, '**मत देने से मना किया**'।
3. निर्वाचक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान ऐसी टिप्पणी के सामने अभिप्राप्त किया जाए।
4. मतदाता के रजिस्टर के स्तम्भ (1) में उस निर्वाचक की क्रम संख्या में परिवर्तन नहीं किया जाए।

## मतदान का स्थगन / रोका जाना


लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 57(1)के अधीन पीठासीन अधिकारी मतदान स्थगित कर सकते हैं।

प्राकृतिक विपत्ति, मतदान मशीन, नामावली व अन्य सामग्री का नष्ट होना, ऐसी स्थिति जहां मतदान सम्भव न हो, शान्ति भंग अर्थात् खुली हिंसा व अन्य अपरिहार्य कारण जैसे मतदान दल का केन्द्र पर नहीं पहुंचने पर।

**नोट :-** इस विशेषाधिकार का सोच—समझकर पर्याप्त कारणों से ही उपयोग करें।

# मतदान समाप्ति के बाद की प्रक्रिया

# मतदान समाप्ति पर की जाने वाली घोषणाएँ



1. मतदान समाप्ति के समय तक उपस्थित सभी मतदाताओं से मतदान कराया जाएगा।
2. मतदान पूर्ण होने पर मतदान समाप्ति की घोषणा मतदान अभिकर्त्ताओं के सम्मुख की जाएगी तथा घोषणा पर पीठासीन अधिकारी के साथ—साथ मतदान अभिकर्त्ताओं के हस्ताक्षर भी लिए जाएंगे।

# मतदान समाप्ति

- इसके बाद “टोटल” का बटन दबाकर पुनः कुल डाले गए मतों की संख्या का मिलान कर लें तथा उपस्थित अभिकर्त्ताओं को भी वह संख्या दिखा दें एवं इस संख्या का रजिस्टर-17(क) में अंकित संख्या से मिलान कर लें।
- मतदान की प्रक्रिया के दौरान भी किसी भी समय “टोटल” का बटन दबाकर उस समय भी डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात की जा सकती है। मतदान के अन्त में पीठासीन अधिकारी मतदाता रजिस्टर में दर्ज अन्तिम मतदाता की प्रविष्टि के नीचे प्रमाण पत्र अंकित करेगा कि कितने मतदाताओं ने वोट दिए हैं, इस प्रमाण-पत्र पर वह अपने हस्ताक्षर करेगा तथा उपस्थित मतदान अभिकर्त्ताओं के भी हस्ताक्षर करवाएगा।

# मतदान मशीन को मुहरबन्द करना

1. मतदान समाप्ति के पश्चात् मतदान मशीन में रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा प्रारूप 17 ग में तैयार कर इसकी प्रतियां उपस्थित मतदान अभिकर्त्ताओं को देने एवं प्रपत्र 7 के भाग 3 को भरने के पश्चात् मशीन को मुहरबन्द किया जाना चाहिए।
2. प्रत्येक कैरिंग बॉक्स के दोनों तरफ इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध दो छिद्रों में से एक धागा डालकर एड्रेस टैग पर उसमें अन्तर्विष्ट यूनिट की विशिष्टियां दर्शाते हुए पीठासीन अधिकारी की मोहर सहित धागे को मुहर बन्द करें।
3. अभ्यर्थी या उनके मतदान अभिकर्ता जो उपस्थित हों एवं अपनी मोहर लगाने के इच्छुक हो उन्हें मोहर लगाने के लिए अनुज्ञात किया जायें।
4. ऐसे अभ्यर्थी या मतदान अभिकर्ता का नाम मतदान समाप्ति की घोषणा के प्रपत्र 7 के भाग 4 में लिखना चाहिए।

## मतदान मशीन को मुहरबन्द करने के पश्चात् घोषणा

मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट के कैरिंग केसों पर मैंने मेरी मुद्रा लगा दी है, और उन मतदान अभिकर्ताओं को, जो मतदान के अन्त में मतदान केन्द्र में उपस्थित थे, उनकी मुद्रा लगाने की अनुज्ञा दे दी है।

तारीख .....  
समय .....

हस्ताक्षर .....  
पीठासीन अधिकारी

**निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने अपनी मुद्रा लगा दी है।**

**मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर :**

- |         |                  |                    |
|---------|------------------|--------------------|
| 1. .... | (अभ्यर्थी .....) | का मतदान अभिकर्ता) |
| 2. .... | (अभ्यर्थी .....) | का मतदान अभिकर्ता) |
| 3. .... | (अभ्यर्थी .....) | का मतदान अभिकर्ता) |
| 4. .... | (अभ्यर्थी .....) | का मतदान अभिकर्ता) |
| 5. .... | (अभ्यर्थी .....) | का मतदान अभिकर्ता) |
| 6. .... | (अभ्यर्थी .....) | का मतदान अभिकर्ता) |

**निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने मुद्रा लगाने से इन्कार कर दिया या मुद्रा लगानी नहीं चाही :-**

- |         |                  |                    |
|---------|------------------|--------------------|
| 1. .... | (अभ्यर्थी .....) | का मतदान अभिकर्ता) |
| 2. .... | (अभ्यर्थी .....) | का मतदान अभिकर्ता) |
| 3. .... | (अभ्यर्थी .....) | का मतदान अभिकर्ता) |
| 4. .... | (अभ्यर्थी .....) | का मतदान अभिकर्ता) |

तारीख .....  
समय .....

हस्ताक्षर .....  
पीठासीन अधिकारी

### प्रस्तुत 17 ग

(नियम 49 घ और 56 ग (2) देखिए)

### भाग 1 - अभिलिखित मर्मों का लेखा

निर्वाचन-क्षेत्र से ..... लोक सभा क्षेत्र/

राज्य/रांग राज्यकोष की विधान सभा के लिए निर्वाचन

मतदान केन्द्र संख्याओं और नाम :

नियंत्रण युनिट .....

मतदान केन्द्र में प्रयुक्त मतदान

मतदान यूनिट .....

मर्मीन का पश्चात संख्याओं

यिटर (यदि प्रयुक्त हुआ है) .....

1. मतदान केन्द्र को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या

कुल संख्या ..... प्रस्तुत 17 (क) में निर्वाचक

2. मतदाता रजिस्टर (प्रस्तुत 17 क) में दर्ज मतदाताओं की कुल संख्या

(नियम 49 घ के अधीन मतदान अभिलिखित न करने का विविश्वय करने वाले मतदाताओं की संख्या

3. नियम 49 ड के अधीन मतदान करने के लिए अनुमति न किये गये मतदाताओं की संख्या

4. नियम 49 ड के अधीन मतदान करने के लिए अभिलिखित परीक्षण मत-

(क) कटीती के लिए परीक्षण मतों की कुल संख्या

कुल संख्या ..... (निर्वाचकों की क्रम सं. (संख्याएं))

(ख) अभ्यर्थी (अभ्यर्थीयों) जिनके लिए परीक्षण मत डाले गए

क्रम सं. अभ्यर्थी का नाम मर्मों की सं.

5. मतदान मर्मीन के अनुसार अभिलिखित मर्मों की कुल संख्या :

6. क्या मद 6 के सामने यथादर्शित मर्मों की कुल संख्या मद 2 के सामने यथादर्शित मतदाताओं की कुल संख्या मद 3 के सामने यथादर्शित मतदाताओं की कुल संख्या मद 4 के सामने मतदाताओं की संख्या (2-3-4) से मेल आती है या इसमें कोई फर्क पाया गया है।

7. उन मतदाताओं की संख्या जिनको नियम 49 घ के अधीन निर्विद्वत मतपत्र जारी किए गए :

8. निर्विद्वत मतपत्रों की संख्या:

कुल ..... से ..... तक

(क) प्रयोग के लिए ग्राह

.....

(ख) निर्वाचकों को जारी किये गए

.....

(ग) प्रयुक्त न किए गए और वापस लिए गए

.....

9. कागज की सीलों का लेखा:

#### मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर

1. उपयोग के लिए प्रदाय की गई कागज की सीलें कुल संख्या ..... 1. ....  
क्र. सं. .... से ..... तक
2. प्रयुक्त हुई कागज की सीलें: कुल सं. .... 2. ....  
क्र. सं. .... से ..... तक
3. रिटिंग अफिसर को वापस की गई अप्रयुक्त कागज की सीलें कुल सं. .... 3. ....  
क्र. सं. .... से ..... तक
4. नष्ट हुई कागज की सीलें, यदि कोई हो: कुल सं. .... 4. ....  
क्र. सं. .... से ..... तक 5. ....  
6. ....

तारीख .....  
स्थान .....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर  
मतदान केन्द्र सं. ....

भौं उन मतदान अधिकारीओं को, जो मतदान बन्द होने के समय मतदान फैन्ड में उपस्थित थे और जिन्होंने नीचे हस्ताक्षर किये हैं, निवाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49 घ (2) के अधीन यथा-अपेक्षित प्रलम्ब 17 (ग) के भाग-1 रिकॉर्ड किये गये मर्मों का लेखा में प्रत्येक प्रविस्ति की एक-एक अनुप्राप्ति प्रति दी है।

तारीख .....

हस्ताक्षर .....

समय .....

पीठासीन अधिकारी

रिकॉर्ड किये गये मर्मों के लेखों (प्रलम्ब 17-ग का भाग-1) में की गई प्रविस्तियों की एक अनुप्राप्ति प्रति प्राप्त की।

#### मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर :-

1. ..... (अभ्यर्थी) का मतदान अधिकारी
2. ..... (अभ्यर्थी) का मतदान अधिकारी
3. ..... (अभ्यर्थी) का मतदान अधिकारी
4. ..... (अभ्यर्थी) का मतदान अधिकारी
5. ..... (अभ्यर्थी) का मतदान अधिकारी
6. ..... (अभ्यर्थी) का मतदान अधिकारी
7. ..... (अभ्यर्थी) का मतदान अधिकारी
8. ..... (अभ्यर्थी) का मतदान अधिकारी
9. ..... (अभ्यर्थी) का मतदान अधिकारी

निम्नलिखित मतदान अधिकारीओं ने, जो मतदान बन्द होने के समय उपस्थित थे, प्रलम्ब 17-ग के भाग-1 की एक अनुप्राप्ति प्रति प्राप्त करने और उसकी स्वीकृति देने से इन्कार कर दिया है। अतः उन्हें उत्त प्रलम्ब की एक अनुप्राप्ति प्रति नहीं दी जाए है।

1. ..... (अभ्यर्थी) का मतदान अधिकारी
2. ..... (अभ्यर्थी) का मतदान अधिकारी
3. ..... (अभ्यर्थी) का मतदान अधिकारी
4. ..... (अभ्यर्थी) का मतदान अधिकारी
5. ..... (अभ्यर्थी) का मतदान अधिकारी
6. ..... (अभ्यर्थी) का मतदान अधिकारी
7. ..... (अभ्यर्थी) का मतदान अधिकारी
8. ..... (अभ्यर्थी) का मतदान अधिकारी
9. ..... (अभ्यर्थी) का मतदान अधिकारी

तारीख .....

हस्ताक्षर .....

समय .....

पीठासीन अधिकारी

**भाग-III**  
**मतदान के अन्त में घोषणा**

03/26/2019

मैंने उन मतदान अभिकर्ताओं को, जो मतदान बन्द होने के समय मतदान केन्द्र में उपस्थित थे और जिन्होंने नीचे हस्ताक्षर किये हैं, निवाचिनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49 ध (2) के अधीन यथा—अपेक्षित प्ररूप 17 (ग) के भाग—I रिकॉर्ड किये गये मतों का लेखा में प्रत्येक प्रविष्टि की एक—एक अनुप्रमाणित प्रति दी दी है।

तारीख .....  
समय .....

हस्ताक्षर .....  
पीठासीन अधिकारी

रिकॉर्ड किये गये मतों के लेखों (प्रारूप 17—ग का भाग—I) में की गई प्रविष्टियों की एक अनुप्रमाणित प्रति प्राप्त की।

**मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर :—**

|    |                 |                    |
|----|-----------------|--------------------|
| 1. | (अभ्यर्थी ..... | का मतदान अभिकर्ता) |
| 2. | (अभ्यर्थी ..... | का मतदान अभिकर्ता) |
| 3. | (अभ्यर्थी ..... | का मतदान अभिकर्ता) |
| 4. | (अभ्यर्थी ..... | का मतदान अभिकर्ता) |
| 5. | (अभ्यर्थी ..... | का मतदान अभिकर्ता) |
| 6. | (अभ्यर्थी ..... | का मतदान अभिकर्ता) |
| 7. | (अभ्यर्थी ..... | का मतदान अभिकर्ता) |
| 8. | (अभ्यर्थी ..... | का मतदान अभिकर्ता) |
| 9. | (अभ्यर्थी ..... | का मतदान अभिकर्ता) |

निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने, जो मतदान बन्द होने के समय उपस्थित थे, प्ररूप 17—ग के भाग—I की एक अनुप्रमाणित प्रति प्राप्त करने और उसकी रसीद देने से इन्कार कर दिया है। अतः उन्हें उक्त प्ररूप की एक अनुप्रमाणित प्रति नहीं दी गई है।

|    |                 |                    |
|----|-----------------|--------------------|
| 1. | (अभ्यर्थी ..... | का मतदान अभिकर्ता) |
| 2. | (अभ्यर्थी ..... | का मतदान अभिकर्ता) |
| 3. | (अभ्यर्थी ..... | का मतदान अभिकर्ता) |
| 4. | (अभ्यर्थी ..... | का मतदान अभिकर्ता) |
| 5. | (अभ्यर्थी ..... | का मतदान अभिकर्ता) |
| 6. | (अभ्यर्थी ..... | का मतदान अभिकर्ता) |
| 7. | (अभ्यर्थी ..... | का मतदान अभिकर्ता) |
| 8. | (अभ्यर्थी ..... | का मतदान अभिकर्ता) |
| 9. | (अभ्यर्थी ..... | का मतदान अभिकर्ता) |

## अनुलग्नक — 11

(अध्याय 29, पैरा 29.1.4)

फॉर्म 17ग

[(देखें नियम 49एस तथा 56ग (2))]

भाग 1 — रिकॉर्ड किये गये मतों का लेखा

..... निर्वाचन क्षेत्र से ..... लोक  
 सभा / राज्य / संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा के लिये निर्वाचन .....

मतदान केन्द्र का क्रमांक और नाम :—

मतदान केन्द्र में प्रयुक्त मतदान मशीन के पहचान क्रमांक

|                |       |
|----------------|-------|
| कण्ट्रोल यूनिट | ..... |
| बैलेट यूनिट    | ..... |
| वीवीपैट        | ..... |

1. मतदान केन्द्र पर नियत निर्वाचकों की कुल संख्या .....
2. मतदाता रजिस्टर (प्रारूप 17क) में दर्ज कुल मतदाताओं की संख्या .....
3. नियम 49ओ के अन्तर्गत मत रिकार्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या .....
4. नियम 49 एम के अधीन मतदान करने के लिये अनुज्ञात ना किये गये मतदाताओं की संख्या .....
5. नियम 49 एम.ए.(d) के अन्तर्गत टेस्ट वोट को घटाया जाए  
 (क) घटाये जाने वाले कुल टेस्ट वोटों की संख्या :—  
 कुल संख्या ..... प्रारूप 17क के अनुसार मतदाता का क्रमांक .....

(ख) उम्मीदवार जिसके लिये टेस्ट वोट का उपयोग किया :

|             |                  |                |
|-------------|------------------|----------------|
| क्रम संख्या | उम्मीदवार का नाम | मतों की संख्या |
|-------------|------------------|----------------|

6. वोटिंग मशीन के अनुसार कुल डाले गये मतों की संख्या .....
7. क्या मद 6 के सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या मद 2 के सामने यथादर्शित मतदाताओं की कुल संख्या में से मद 3 के सामने दर्शित मत अभिलिखित ना करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या घटाकर मद 4 के सामने मतदाताओं की संख्या घटाकर 4(2—3—4) पाया गया कोई अन्तर हो।
8. उन मतदाताओं की संख्या जिनको नियम 49पी के अधीन निविदत्त मतपत्र जारी किये गये .....
9. निविदत्त मतपत्रों की संख्या .....

|                                 | क्रम सं. | से | तक    | कुल मत |
|---------------------------------|----------|----|-------|--------|
| (a) प्रयोग में लिये प्राप्त मत  | से       | से | ..... | .....  |
| (b) निर्वाचकों को जारी किये गये | से       | से | ..... | .....  |
| (c) अप्रयुक्त एवं लौटाए गये     | से       | से | ..... | .....  |

## 10. पेपर सीलों का लेखा:

1. प्रदाय की गई पेपर सीलें :—

कुल संख्या .....  
 क्र.स. .... से .....  
 तक

2. प्रयुक्त पेपर सीलें :—

कुल संख्या .....  
 क्र.स. .... से .....  
 तक

3. अप्रयुक्त पेपर सीले जो रिटर्निंग अधिकारी  
को लौटाई गई

कुल संख्या .....  
 क्र.स. .... से .....  
 तक

4. नष्ट हुई पेपर सीलें (यदि कोई हो) :

कुल संख्या .....  
 क्र.स. .... से .....  
 तक

मतदान अभिकर्ता के  
हस्ताक्षर

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....

दिनांक :— .....

स्थान :— .....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर  
मतदान केन्द्र क्रमांक.....

अनुलग्नक — 11  
(अध्याय 29, पैरा 29.1.4)  
फॉर्म 17ग

[(देखें नियम 49एस तथा 56ग (2))  
भाग 1 — रिकॉर्ड किये गये मर्तों का लेखा

उपावर(103) निर्वाचन क्षेत्र से ..... राजस्थान ..... स्मेक  
समा/ राज्य/ संघ सम्बन्ध क्षेत्र की विधान सभा के लिये निर्वाचन

मतदान केन्द्र का क्रमांक और नाम :— 141 रा. प्रा. वि. बाड़ीजा रामा  
मतदान केन्द्र में प्रयुक्त मतदान मशीन के पहचान क्रमांक

कण्ट्रोल यूनिट ..... C - 32212  
बैलेट यूनिट ..... B - 10008  
वीवीपैट ..... 7892

1. मतदान केन्द्र पर नियत निर्वाचकों की कुल संख्या ..... 213
2. मतदाता रजिस्टर (प्रारूप 17क) में दर्ज कुल मतदाताओं की संख्या ..... 613
3. नियम 49ओ के अन्तर्गत मत रिकार्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या ..... 02
4. नियम 49 एम के अधीन मतदान करने के लिये अनुज्ञात ना किये गये मतदाताओं की संख्या ..... 01
5. नियम 49 एम.ए.(d) के अन्तर्गत टेस्ट वोट को घटाया जाए  
(क) घटाये जाने वाले कुल टेस्ट वोटों की संख्या :—  
कुल संख्या ..... प्रारूप 17क के अनुसार मतदाता का क्रमांक 218

(ख) उम्मीदवार जिसके लिये टेस्ट वोट का उपयोग किया :

| क्रम संख्या | उम्मीदवार का नाम | मर्तों की संख्या |
|-------------|------------------|------------------|
| 1           | .....            | 1                |

6. वोटिंग मशीन के अनुसार कुल डाले गये मर्तों की संख्या ..... 609
7. क्या मद 6 के सामने यथादर्शित मर्तों की कुल संख्या मद 2 के सामने यथादर्शित मतदाताओं की कुल संख्या में से मद 3 के सामने दर्शित मत अभिलिखित ना करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या घटाकर मद 4 के सामने मतदाताओं की संख्या घटाकर 4(2-3-4) पाया गया कोई अन्तर हो।
8. उन मतदाताओं की संख्या जिनको नियम 49पी के अधीन निविदत्त मतपत्र जारी किये गये ..... 1
9. निविदत्त मतपत्रों की संख्या ..... 1

|                                 | क्रम सं. | से | तक    | कुल मत |
|---------------------------------|----------|----|-------|--------|
| (a) प्रयोग में लिये प्राप्त मत  | 00801    | से | 00825 | 25     |
| (b) निर्वाचकों को जारी किये गये | 00801    | से | 00801 | 01     |
| (c) अप्रयुक्त एवं लौटाए गये     | 00802    | से | 00895 | 24     |

# 17 ग

## 10. पेपर सीलों का लेखा:

1. प्रदाय की गई पेपर सीलों :—  
कुल संख्या ..... २  
क्र.स. ०००२। से ०००२२ .....  
तक
2. प्रयुक्त पेपर सीलों :—  
कुल संख्या ..... १  
क्र.स. ०००२। से ०००२। .....  
तक
3. अप्रयुक्त पेपर सीले जो रिटर्निंग अधिकारी  
को लौटाई गई  
कुल संख्या ..... १  
क्र.स. ०००२२ से ०००२२ .....  
तक
4. नष्ट हुई पेपर सीलें (यदि कोई हो) :  
कुल संख्या ..... २५८  
क्र.स. — से — .....  
तक

दिनांक :— ७/१२/१८

स्थान :— काउंटीमा इमारा

मतदान अभिकर्ता के  
हस्ताक्षर

1. ..... aaaa
2. ..... bbbb
3. ..... cccc
4. .....
5. .....
6. .....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर  
मतदान केन्द्र क्रमांक 14।

## भाग 2 मतगणना का परिणाम

| उम्मीदवार<br>की क्र.सं. | उम्मीदवार का नाम | कण्ट्रोल यूनिट में<br>प्रदर्शित कुल मत | टेस्ट वोट की संख्या<br>जिन्हें मद 5 के भाग<br>1 के अनुरूप घटाया<br>जाना है | कुल वैध मत |
|-------------------------|------------------|--|--|------------|
| 1                       | 2                | 3                                      | 4  | 5          |
| 1.                      |                  |  |  |            |
| 2.                      |                  |  |  |            |
| 3.                      |                  |  |  |            |
| 4.                      |                  |  |  |            |
| 5.                      |                  |  |  |            |

# 17 ग

|        |      |     |  |  |
|--------|------|-----|--|--|
| संख्या | नोटा |     |  |  |
| योग    |      | N17 |  |  |

क्या ऊपर दर्शित मतों की कुल संख्या भाग 1 की मद 6 के सामने दर्शित मतों की कुल संख्या से मेल करती है या उन दोनों योगों में कोई अन्तर दर्शित होता है।

दिनांक :— .....  


स्थान :— .....

गणना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता/गणना अभिकर्ता का नाम

पूरे हस्ताक्षर

- 1  
2  
3  
4  
5  
6  
7
- 

दिनांक :—.....  
 स्थान :—.....

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

## POLLING

1. (क) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व क्रमांक  
(केवल लोक सभा निर्वाचन में लागू)

..... 02 बीकानेर .....

1. (ख) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व क्रमांक

..... 15 कोलायत .....


2. मतदान केन्द्र का नाम व क्रमांक

121 रा.आ.उ.मा.वि., गजनेर, बीकानेर

3. मतदान की तारीख

..... 06 मई, 2019 .....

4. पीठसीन अधिकारी के हस्ताक्षर



काउन्टर नं. 1 पर जमा किया जायेगा।

चपड़ी से सील नहीं करना है।

(1)

आम चुनाव - 2019...

## ~~लोक सभा / विधान सभा~~


अभिलिखित मतों का लेखा एवं पेपर सील का लेखा

(फार्म नं. 17 ग)

अभिलिखित मतों व पेपर सील के लेखे का फॉर्म 17 ग लिफाफा सं. 1 में रखकर<sup>1</sup>  
काउन्टर नं. 1 पर जमा कराया जाएगा, इसे चपड़ी से सील नहीं करना है।

**POLLING**

1. (क) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व क्रमांक  
(केवल लोक सभा निर्वाचन में लागू)
 

..... 02 बीकानेर .....
  1. (ख) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व क्रमांक  
..... 15 कोलायत .....
  2. मतदान केन्द्र का नाम व क्रमांक  
121 रा.आ.उ.मा.वि., गजनेर, बीकानेर .....
  3. मतदान की तारीख  
..... 06 मई, 2019 .....
  4. पीगसीन अधिकारी के हस्ताक्षर  
.....
- 

काउण्टर नं. 2 पर जमा किया जायेगा। (पैकेट 2 में रखें)  
चपड़ी से सील नहीं करना है।

(17)

**आम चुनाव - 201.....****लोक सभा/विधान सभा**

अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त कागजी मोहरें  
(अनयूज्ड एण्ड डेमेज्ड पेपर सील्स)

1. कुल संख्या अप्रयुक्त.... 03
2. कुल संख्या क्षतिग्रस्त.... 01

अप्रयुक्त व क्षतिग्रस्त पेपर सील्स को लिफाफा सं. 17 में रखकर चपड़ी से सील किए  
बिना पैकेट 2 में रखकर काउण्टर नं. 2 पर जमा कराया जाएगा।



## POLLING

1. (क) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व क्रमांक  
(केवल लोक सभा निर्वाचन में लागू)

02 बीकानेर .....

1. (ख) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व क्रमांक  
..... 15 कोलायत .....


2. मतदान केन्द्र का नाम व क्रमांक

121 रा.आ.उ.मा.वि., गजनेर, बीकानेर

3. मतदान की तारीख

06 मई, 2019 .....

4. पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर



काउन्टर नं. 2 पर जमा किया जायेगा। (पैकेट 2 में रखें)

चपड़ी से सील नहीं करना है।

(18)

आम चुनाव - 201.....

## **लोक सभा / विधान सभा**

अप्रयुक्त व क्षतिग्रस्त विशेष टेग्स

(अनयूज्ड एण्ड डेमेज्ड स्पेशल टेग्स)

- |                                |    |
|--------------------------------|----|
| 1. कुल संख्या अनुपयुक्त...     | 03 |
|                                | 01 |
| 2. कुल संख्या क्षतिग्रस्त..... |    |

**अप्रयुक्त व क्षतिग्रस्त स्पेशल टेग्स को लिफाफा सं. 18 में रखकर चपड़ी से सील किए  
बिना पैकेट 2 में रखकर काउन्टर नं. 2 पर जमा कराया जाएगा।**

## **POLLING**

1. (क) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व क्रमांक  
(केवल लोक सभा निर्वाचन में लागू)

**02 बीकानेर**


1. (ख) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व क्रमांक  
..... **15 कोलायत** ..
2. मतदान केन्द्र का नाम व क्रमांक

121 रा.आ.उ.मा.वि., गजनेर, बीकानेर

3. मतदान की तारीख

**06 मई, 2019**

4. पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर



काउन्टर नं. 2 पर जमा किया जायेगा। (पैकेट 2 में रखें)

चपड़ी से सील नहीं करना है।

**(19)**

आम चुनाव - 2019...

## **लोक सभा/विधान सभा**

अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त स्ट्रीप सील्स  
(अनयूज्ड एण्ड डेमैज्ड स्ट्रीप सील्स)

- |                             |           |    |
|-----------------------------|-----------|----|
| 1. कुल संख्या अप्रयुक्त..   | <b>03</b> | .. |
| 2. कुल संख्या क्षतिग्रस्त.. | <b>01</b> | .  |

अप्रयुक्त व क्षतिग्रस्त स्ट्रीप सील्स को लिफाफा सं. 19 में रखकर चपड़ी से सील किए  
बिना पैकेट 2 में रखकर काउन्टर नं. 2 पर जमा कराया जाएगा।

# मतदान समाप्ति



- इसके बाद सर्वप्रथम कंट्रोल यूनिट का पॉवर स्विच ऑफ करना न भूलें और तत्पश्चात् WPAT व बैलैट यूनिट को क्रमशः कंट्रोल यूनिट से पृथक करें।

## मतदान मशीन को मुहरबन्द करने के पश्चात् घोषणा

मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट के कैरिंग केसों पर मैंने मेरी मुद्रा लगा दी है, और उन मतदान अभिकर्ताओं को, जो मतदान के अन्त में मतदान केन्द्र में उपस्थित थे, उनकी मुद्रा लगाने की अनुज्ञा दे दी है।

तारीख .....

समय .....

हस्ताक्षर .....

पीठासीन अधिकारी

निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने अपनी मुद्रा लगा दी है।

मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर :

- |         |                  |                    |
|---------|------------------|--------------------|
| 1. .... | (अभ्यर्थी .....) | का मतदान अभिकर्ता) |
| 2. .... | (अभ्यर्थी .....) | का मतदान अभिकर्ता) |
| 3. .... | (अभ्यर्थी .....) | का मतदान अभिकर्ता) |
| 4. .... | (अभ्यर्थी .....) | का मतदान अभिकर्ता) |
| 5. .... | (अभ्यर्थी .....) | का मतदान अभिकर्ता) |
| 6. .... | (अभ्यर्थी .....) | का मतदान अभिकर्ता) |

निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने मुद्रा लगाने से इन्कार कर दिया या मुद्रा लगानी नहीं चाही :—

- |         |                  |                    |
|---------|------------------|--------------------|
| 1. .... | (अभ्यर्थी .....) | का मतदान अभिकर्ता) |
| 2. .... | (अभ्यर्थी .....) | का मतदान अभिकर्ता) |
| 3. .... | (अभ्यर्थी .....) | का मतदान अभिकर्ता) |
| 4. .... | (अभ्यर्थी .....) | का मतदान अभिकर्ता) |

तारीख .....

समय .....

हस्ताक्षर .....

पीठासीन अधिकारी

1. निर्वाचन क्षेत्र का नाम (स्पष्ट अक्षरों में):

2. मतदान की तारीखः

3. मतदान केन्द्र की संख्या:

मतदान केन्द्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है—

(1) शासकीय या अर्द्ध शासकीय भवनः

(2) निजी भवनः

(3) अस्थायी संरचनाः

4. स्थानीय रूप से भर्ती किए गए मतदान अधिकारियों की संख्या,  
यदि कोई हो,

# उपाबंध 14 (अध्याय 28, पैरा 1)

पीठासीन अधिकारी की डायरी No.005051



17. क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था, यदि ऐसा था, तो ऐसे स्थगन के कारण :
18. डाले गए मतों की संख्या:
  - 8 बजे पूर्वाह्न से 9 बजे पूर्वाह्न तक
  - 9 बजे पूर्वाह्न से 11 बजे पूर्वाह्न तक
  - 11 बजे पूर्वाह्न से 1 बजे अपराह्न तक
  - 1 बजे अपराह्न से 3 बजे अपराह्न तक
  - 3 बजे अपराह्न से 5 बजे अपराह्न तक
19. मतदान समाप्त होने के समय पर दी गई पर्चियों की संख्या:

# उपाबंध 14 (अध्याय 28, पैरा 1)

पीठासीन अधिकारी की डायरी No.005051



23. अभ्यर्थियों/अभिकर्त्ताओं द्वारा की गई गम्भीर शिकायतें, यदि कोई हो:
24. विधि तथा व्यवस्था को भंग करने सम्बन्धी मामलों की संख्या:
25. मतदान केन्द्र पर की गई त्रुटियों और अनियमितताओं की रिपोर्ट, यदि कोई हो:
26. क्या आपने मतदान के प्रारम्भ के पूर्व और यदि आवश्यक हो मतदान के बीच जब किसी नई मतदान मशीन का उपयोग किया गया हो तो उसके उपयोग में लाने के पूर्व तथा मतदान की समाप्ति पर जो आवश्यक हो, घोषणाएं की।

स्थान:

तारीख:

पीठासीन अधिकारी

तारीख.....

रिटर्निंग ऑफिसर के हस्ताक्षर

अनुलग्नक 12

(अध्याय 32, पृष्ठा 32.1.1)

## पीठासीन अधिकारी की डायरी

1. निर्वाचन क्षेत्र का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) :
2. मतदान की तारीख :
3. मतदान केन्द्र की संख्या एवं नाम :

मतदान केन्द्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है—

- (i) शासकीय या अद्वैत-शासकीय भवन ;
- (ii) निजी भवन;
- (iii) अस्थायी संरचना;
- 4. स्थानीय रूप से भर्ती किये गये मतदान अधिकारियों की संख्या, यदि कोई हो;
- 5. सम्यक् रूप से नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में नियुक्त मतदान अधिकारी, यदि कोई हो, और ऐसी नियुक्ति के कारण :
- 6. मतदान मशीन —
  - (i) उपयोग में लायी गयी कन्ट्रोल यूनिट की संख्या: CU
  - (ii) उपयोग में लायी गयी कन्ट्रोल यूनिट की क्रम संख्या :
  - (iii) उपयोग में लायी गयी मतदान यूनिट की संख्या : BU
  - (iv) उपयोग में लायी गयी मतदान यूनिट की क्रम संख्या:
- 7. (i) उपयोग में लायी गयी पेपर सीलों की संख्या:
- (ii) उपयोग में लायी गयी पेपर सीलों की क्रम संख्या:
- 7.(a)(i) प्रदाय किए गए विशेष टैग की संख्या :
  - (i) प्रदाय लाये गये विशेष टैग की क्रम संख्यांक ;
  - (ii) उपयोग में लाये गये विशेष टैग की संख्या ;
  - (iv) उपयोग में लाये गये विशेष टैग की क्रम संख्यांक ;
  - (v) उपयोग में न लाये गये वापर सिन्ये गये विशेष टैग की क्रम संख्यांक ;
- 7.(a)(1) प्रदाय की गई स्ट्रिप सील की संख्या :
  - (2) प्रदाय की गई स्ट्रिप सील की क्रम संख्यांक ;
  - (3) उपयोग में लाई गई स्ट्रिप सील की संख्या ;
  - (4) उपयोग में लाई गई स्ट्रिप सील की क्रम संख्यांक ;
  - (5) उपयोग में न लाई गई वापर स्ट्रिप सील की क्रम संख्यांक।
- 7 (c)जिन मतदान केन्द्रों में VVPAT का उपयोग हुआ है उन पर लागू सिस्टम
  - (i) उपयोग किये गये प्रिन्टर की संख्या
  - (ii) प्रिंटर बग सरल कर्मांक

- ८ ऐसी अन्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान केन्द्र पर मतदान अधिकारी नियुक्त किये हैं।
९. (i) मतदान के प्रारंभ में उपरिधित मतदान अधिकारीओं की संख्या  
(ii) अधिकारीओं की संख्या जो विलंब से आये हों  
(iii) मतदान के समाप्ति पर उपरिधित मतदान अधिकारीओं की संख्या
१०. (i) मतदान केन्द्र पर नियत मतदाताओं की बुल संख्या ;  
(ii) निर्वाचक नामावली की घिन्हित प्रति के अनुसार मत देने के लिये अनुडात किये गये निर्वाचिकों की संख्या ;  
(iii) ऐसे निर्वाचिकों की संख्या जिन्होंने चारताव में मतदाताओं के रजिस्टर (प्रूफ 17A) के अनुसार मत दिया है ;  
(iv) मतदान मशीन के अनुसार रिकार्ड लिये गये मतों की संख्या।  
(v) मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मत न देने का निश्चय लिया हो, यदि हो तो

प्रथम मतदान अधिकारी के हरताक्षर मतदाताओं के रजिस्टर के शारसाधक

प्रगारी मतदान अधिकारी के हरताक्षर

- ११ निर्वाचिकों की संख्या जिन्होंने मत दिये—

पुरुष .....  
महिला .....  
थर्ड जेन्डर .....  
कुल .....

- १२ चुनौतीयुक्त (चैलेंज) मत—

स्वीकृत संख्या .....  
अस्वीकृत संख्या .....

- १३ उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने निर्वाचन झूटी प्रमाण —पत्र (EDC)

प्रस्तुत करने पर मत दिये :

- १३A विदेशी मतदाता जिन्होंने बोट दिये होः—

- १४ उन निर्वाचिकों का संख्या जिन्होंने साथियों की साडायता से मत दिया:

- १५ प्रोक्सी द्वारा दिये गये मतों की संख्या :

- १६ निविदत्त मतों की संख्या:

- १७ निर्वाचिकों की संख्या —

(a) जिनमें उनकी उम्र के बारे में घोषणाएं प्राप्त की—  
(b) जिन्होंने ऐसी घोषणाएं करने से इन्कार किया —

- १८ क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था, यदि ऐसा था, तो ऐसे स्थगन के कारण:

१९. प्रत्येक दो घंटों में आले गये मतों की संख्या—

- ८ बजे पूर्वाह्न से ९ पूर्वाह्न तक
- ९ बजे पूर्वाह्न से ११ पूर्वाह्न तक
- ११ बजे पूर्वाह्न से १ अपराह्न तक
- १ बजे अपराह्न से ३ अपराह्न तक
- ३ बजे अपराह्न से ५ अपराह्न तक

(मतदान के प्रारम्भ और समाप्ति के समय के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन किये जा सकते हैं)

20.

- (a) मतदान समाप्त होने के समय पंचितवद्ध मतदाताओं को समय पर दी गयी पर्चियों की संख्या :
- (b) अंतिम मतदाता के मत देने के पश्चात मतदान समाप्ति का समय

21. निर्वाचिन अपराधों का विरत्तुल विवरण

मामलों की संख्या —

- (a) मतदान केन्द्र से एक सी भीटर की दूरी के अन्दर मत प्रचारः
- (b) मतदाताओं द्वारा प्रतिरूपण करना:
- (c) मतदाता केन्द्र पर किसी सूचना की सूची को या अन्य दस्तावेज को कपटपूर्वक विगाड़ना, नष्ट करना या हटाना :
- (d) मतदाताओं को रिश्वत देना:
- (e) मतदाताओं और अन्य व्यक्तियों को भयभीत करना:
- (f) मतदान केन्द्र पर कब्जा करना:

22. क्या निम्नलिखित कारणों से मतदान में विघ्न या वाधा उपस्थित हुईः—

- (1) बलवा:
  - (2) खुली हिंसा:
  - (3) प्राकृतिक विपत्ति:
  - (4) वृथ पर कब्जा:
  - (5) मतदान मशीन का विफल होना:
  - (6) अन्य कोई कारण:
- कृपया उपर्युक्त के बारे में व्यौरा दें।

23. क्या मतदान केन्द्र पर उपयोग में लायी गयी किसी भी मतदान मशीन कोः—

- (a) पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा में से अवैधानिक रूप से छीनकर :
- (b) आकस्मिक या जानवूझाकर गुम या नष्ट करके :
- (c) नुकसान पहुंचाकर या छेड़छाड़ करके मतदान को दूषित किया गया कृपया व्यौरा दें।

24. अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं द्वारा की गयी गम्भीर शिकायतें, यदि कोई हो:
25. विधि तथा व्यवस्था को भंग करने संबंधी मामलों की संख्या:
26. मतदान केन्द्र पर की गयी त्रुटियों और अनियमितताओं की रिपोर्ट, यदि कोई हो:
27. क्या आपने मतदान के प्रारंग के पूर्व, और यदि आवश्यक हो, मतदान के बीच जब किसी नयी मतदान मशीन का उपयोग में लाने के पूर्व माक पोल करना (आवश्यक) तथा मतदान की समाप्ति पर जो आवश्यक हो घोषणाएं कीं। स्थान.....

तारीख .....

पीठासीन अधिकारी

यह डायरी, मतदान मशीन, विजिट शीट, पर्यवेक्षक की 16 – पाइंट रिपोर्ट, और अन्य मुहरबंद पत्रों के साथ रिटर्निंग ऑफिसर को भेजनी चाहिए।

---

# पीठासीन अधिकारी की डायरी

अनुलग्नक 12

(अध्याय 32, पृष्ठा 32.1.1)

## पीठासीन अधिकारी की डायरी

1. निर्वाचन क्षेत्र का नाम (स्पष्ट अकारों में) : छ्यावर (103)  
 2. मतदान की तारीख : 7-12-2018  
 3. मतदान केन्द्र की संख्या एवं नाम : 141 रा भावि लाईयूँफाम

मतदान केन्द्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है—

- (I) शासकीय या अर्द्ध-शासकीय भवन;
- (II) निजी भवन;
- (III) अस्थायी संरचना;
- 4. स्थानीय रूप से भर्ती किये गये मतदान अधिकारियों की संख्या, यदि कोई हो: २०-५
- 5. सम्यक् रूप से नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में नियुक्त मतदान अधिकारी, यदि कोई हो, और ऐसी नियुक्ति के कारण: २०-५
- 6. मतदान वसीन —
  - (i) उपयोग में लायी गयी कन्फ्रोल यूनिट की संख्या: CU 1
  - (ii) उपयोग में लायी गयी कन्फ्रोल यूनिट की क्रम संख्या: C - 32212
  - (iii) उपयोग में लायी गयी मतदान यूनिट की संख्या: BU 1
  - (iv) उपयोग में लायी गयी मतदान यूनिट की क्रम संख्या: B - 10008
- 7. (i) उपयोग में लायी गयी पेपर सीलों की संख्या: 1  
 (ii) उपयोग में लायी गयी पेपर सीलों की क्रम संख्या: 00021
- 7.(a)(i) प्रदाय किए गए विशेष टैग की संख्या: 2  
 (ii) प्रदाय लाये गये विशेष टैग की क्रम संख्यांक: 00811 से 00812  
 (iii) उपयोग में लाये गये विशेष टैग की संख्या: 1  
 (iv) उपयोग में लाये गये विशेष टैग की क्रम संख्यांक: 00811  
 (v) उपयोग में न लाये गये, वापस किये गये विशेष टैग की क्रम संख्यांक: 00812
- 7(a)(1) प्रदाय की गई स्ट्रिप सील की संख्या: 2  
 (2) प्रदाय की गई स्ट्रिप सील की क्रम संख्यांक: 0751 से 0752  
 (3) उपयोग में लाई गई स्ट्रिप सील की संख्या: 1  
 (4) उपयोग में लाई गई स्ट्रिप सील की क्रम संख्यांक: 0751  
 (5) उपयोग में न लाई गई वापस स्ट्रिप सील की क्रम संख्यांक: 0752
- 7 (c) जिन मतदान केन्द्रों में VVPAT का उपयोग हुआ है उन पर लागू सिस्टम
  - (i) उपयोग किये गये प्रिन्टर की संख्या: 1
  - (ii) प्रिन्टर का सरल क्रमांक: 7892

# पीठासीन अधिकारी की डायरी

- 8 ऐसे अन्यर्थियों की संख्या जिन्होंने गतदान केन्द्र पर गतदान अधिकारी नियुक्त किये हैं। 2
9. (i) गतदान के प्रारंभ में उपरिख्यात गतदान अधिकाराओं की संख्या 1  
(ii) अधिकाराओं की संख्या जो विलंब से आये हों 1  
(iii) गतदान के समाप्ति पर उपरिख्यात गतदान अधिकाराओं की संख्या 2
10. (i) गतदान केन्द्र पर नियत गतदाताओं की कुल संख्या : 8 1 3  
(ii) निवाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार गत देने के लिये अनुज्ञात किये गये निवाचिकों की संख्या : 6 1 3  
(iii) ऐसे निवाचिकों की संख्या जिन्होंने वारताय में गतदाताओं के रजिस्टर (प्रस्तुप 17A) के अनुसार गत दिया है : 6 1 3  
(iv) गतदान मशीन के अनुसार रिकार्ड किये गये गतों की संख्या 6 0 9  
(v) गतदाताओं की संख्या जिन्होंने गत न देने का निश्चय किया हो, यदि हो तो 0 2

प्रथम गतदान अधिकारी के हस्ताक्षर गतदाताओं के रजिस्टर के शारसाधक  
PO 1

प्रगारी गतदान अधिकारी के हस्ताक्षर  
PO 2

- 11 निवाचिकों की संख्या जिन्होंने गत दिये—  
पुरुष ..... 309  
महिला ..... 300  
थर्ड जेन्डर ..... ३४८  
कुल ..... 609
- 12 चुनौतीयुक्त (चैलेंज) गत—  
स्वीकृत संख्या ..... 1  
अस्वीकृत संख्या ..... ३४८  
जब्त की गयी रकम Rs. २ रुपये
- 13 उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने निवाचन ख्यूटी प्रमाण —पत्र (EDC) २४-य  
प्रस्तुत करने पर गत दिये :
- 13A विदेशी गतदाता जिन्होंने बोट दिये होः— २४-य
- 14 उन निवाचिकों का संख्या जिन्होंने साथियों की सहायता से गत दिया: एक
- 15 प्रौंकसी द्वारा दिये गये गतों की संख्या : ३४८
- 16 निविदत्त गतों की संख्या: एक
- 17 निवाचिकों की संख्या —  
(a) जिनमें उनकी उम्र के बारे में घोषणाएँ प्राप्त की— एक  
(b) जिन्होंने ऐसी घोषणाएँ करने से इन्कार किया — ३४८
- 18 क्या गतदान स्थगित करना आवश्यक था, यदि ऐसा था, तो ऐसे स्थगन के कारण: नहीं
19. प्रत्येक दो घंटों में आले गये गतों की संख्या—

# पीठासीन अधिकारी की डायरी

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| ८ बजे पूर्वाह्न से ० पूर्वाह्न तक  | 109 |
| ९ बजे पूर्वाह्न से ११ पूर्वाह्न तक | १०९ |
| ११ बजे पूर्वाह्न से १ अपराह्न तक   | १०० |
| १ बजे अपराह्न से ३ अपराह्न तक      | १५० |
| ३ बजे अपराह्न से ५ अपराह्न तक      | ४।  |

(मतदान के प्रारम्भ और समाप्ति के समय के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन किये जा सकते हैं)

20.

- (a) मतदान समाप्त होने के समय पंक्तिबद्ध मतदाताओं को समय पर दी गयी पर्चियों की संख्या : २२०८  
 (b) अंतिम मतदाता के मत देने के पश्चात मतदान समाप्ति का समय ५.०५ pm.

21. निर्वाचन अपराह्नों का विस्तृत विवरण

भागलों की संख्या —

- (a) मतदान केन्द्र से एक सौ भीटर की दूरी के अन्दर मत प्रचार: नहीं
- (b) मतदाताओं द्वारा प्रतिरूपण करना: नहीं
- (c) मतदाताओं केन्द्र पर किसी सूचना की सूची को या अन्य दस्तावेज को नहीं कपटपूर्वक लिंगारूना, नष्ट करना या हटाना:
- (d) मतदाताओं को रिश्वत देना: नहीं
- (e) मतदाताओं और अन्य व्यक्तियों को भयभीत करना: नहीं
- (f) मतदान केन्द्र पर कब्जा करना: नहीं

22. क्या निम्नलिखित कारणों से मतदान में विष्ण या बाधा उपस्थित हुईः—

- (1) बलवा: नहीं
- (2) खुली हिंसा: नहीं
- (3) प्रावृत्तिक विष्टिता: नहीं
- (4) कूद पर कब्जा: नहीं
- (5) मतदान मरीन का विफल होना: नहीं
- (6) अन्य कोई कारण: नहीं

कृपया उपर्युक्त के बारे में ज्ञीरा दें।

23. क्या मतदान केन्द्र पर उपयोग में लायी गयी किसी भी मतदान मरीन कोः—

- (a) पीठासीन अधिकारी की अभियाका में से अविधनिक रूप से छीनकर: नहीं
- (b) आकाशिक या जानबूझकर गुम या नष्ट करके: नहीं
- (c) नुकसान पहुंचाकर या छेढ़छाड़ करके मतदान को दूषित किया गया नहीं  
 कृपया ज्ञीरा दें।

# पीठासीन अधिकारी की डायरी

24. अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं द्वारा की गयी गम्भीर शिकायतें, यदि कोई हो: नहीं
25. विधि तथा व्यवस्था को भंग करने संबंधी मामलों की संख्या: नहीं
26. मतदान केन्द्र पर की गयी त्रुटियों और अनियमितताओं की रिपोर्ट, यदि कोई हो: नहीं
27. क्या आपने मतदान के प्रारंभ के पूर्व, और यदि आवश्यक हो, मतदान के बीच जब किसी नयी मतदान मशीन का उपयोग में लाने के पूर्व माक पोल करना (आवश्यक) तथा मतदान की समाप्ति पर जो आवश्यक हो घोषणाएं कीं। हाँ

स्थान ..... व्याडीया २ मासा

तारीख ..... 7.12.2018

  
पीठासीन अधिकारी

यह डायरी, मतदान मशीन, विजिट शीट, पर्यवेक्षक की 16 — पाइंट रिपोर्ट, और अन्य मुहरबंद पत्रों के साथ रिटर्निंग ऑफिसर को भेजनी चाहिए।

मतदान वांति-प्रचल सम्पन्न हुआ

लिफाफा 3 मे रखकर काउन्टर 1 पर जमा करायें।  
इस लिफाफे को खुला रखा जाता हैं

# पीठासीन अधिकारी की अतिरिक्त रिपोर्ट

अनुलग्नक—13  
(अध्याय 9, पैरा 9.10.1)

निर्वाचन क्षेत्र के पर्यवेक्षक/रिटर्निंग अधिकारी को पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली अतिरिक्त रिपोर्ट का प्रारूप

|     |   |      |
|-----|---|------|
| 1.  | मतदान केन्द्र संख्या :  | 141  |
| 2.  | केन्द्रीय पुलिस बल तैनात किये गये हैं (हाँ/नहीं)  | नहीं |
| 3.  | सूक्ष्म पर्यवेक्षक (माईको आब्जर्वर) नियुक्त किये गये हैं(हाँ/नहीं)  | नहीं |
| 4.  | विडियो कैमरे स्थापित किये गये हैं   | नहीं |
| 5.  | कुल निर्वाचक (मतदाता) :   | 813  |
| 6.  | डाले गये मतो की संख्या :  | 609  |
| 7.  | डाले गये मतो का प्रतिशत :   | 74.9 |
| 8.  | अभ्यर्थियों की कुल संख्या :   | 12   |
| 9.  | मतदान अभिकर्ताओं द्वारा प्रतिनिधित्व किये जा रहे अभ्यर्थियों की संख्या :  | 2    |
| 10. | उन निर्वाचिकों (मतदाताओं) की संख्या जिन्होने निर्वाचन फोटो पहचान पत्र (EPIC) के अतिरिक्त दस्तावेजों का प्रयोग करते हुवे मतदान किया। | 409  |
| 11. | क्या अभिकर्ता की उपस्थिति में मॉक—पोल किया गया ? हाँ/नहीं   | हाँ  |
| 12. | क्या मॉक—पोल क्लीयर (Clear) गया ? हाँ/नहीं  | हाँ  |
| 13. | क्या अभिकर्ताओं की उपस्थिति में मशीनों को समुचित रूप से बन्द एवं सील किया गया ? हाँ/नहीं  | हाँ  |
| 14. | क्या मतदान अभिकर्ताओं को उनके हस्ताक्षर प्राप्त करने के पश्चात 17ग दिया गया ? हाँ/नहीं  | हाँ  |
| 15. | मतदान की समाप्ति के समय टोकन प्राप्त कर सायं 5 बजे के पश्चात मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या:                                    | ३१-८ |
| 16. | क्या मतदान के दौरान कोई महत्वपूर्ण घटना घटित हुई ? हाँ/नहीं   | नहीं |

## **POLLING**

1. (क) लोक सभा निवाचन क्षेत्र का नाम व क्रमांक  
(लोक सभा निवाचन में जगा)

**02 बीकानेर**

1. (र) 15 कौलायत क्रमांक

2. प्रत्याप केन्द्र का नाम त क्रमांक  
121 रा.आ.उ.मा.वि., गजनेर, बीकानेर

3. 06 मई, 2019

4. पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

काउन्टर नं. 1 पर जमा किया जायेगा।

चपड़ी से सील नहीं करना है।

**(3)**

आम चुनाव - 2019...

**लोक सभा / विधान सभा**

- पीठासीन अधिकारी की डायरी एवं अतिरिक्त रिपोर्ट प्रपत्र,  
बनावटी मतदान प्रमाण पत्र एवं विजिट शीट
- पीठासीन अधिकारी के विशेष अनुदेश की प्रति

पीठासीन अधिकारी की डायरी को लिफाफा सं. 3 में रखकर काउण्टर नं. 1 पर जमा  
कराया जाएगा, इसे चपड़ी से सील नहीं करना है।

[प्रस्तुप 12क  
[नियम 20 (2) देखिये]

## निवाचिन कर्तव्य प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन

प्रेषिती :-

रिटर्निंग ऑफिसर

..... विधान सभा / संसदीय निवाचिन क्षेत्र।

महोदय,

मैं ..... विधान सभा निवाचिन-क्षेत्र से विधान

सभा/लोक सभा के लिए होने वाले निवाचिन में अपना मत स्वयं देना चाहता हूँ।

मुझे निवाचिन-क्षेत्र में ..... (मतदान केन्द्र का संख्यांक और  
नाम) में निवाचिन-कर्तव्य पर नियुक्त किया गया है किन्तु मेरा नाम .....  
संसदीय निवाचिन-क्षेत्र में समाविष्ट ..... विधान सभा निवाचिन-क्षेत्र की  
निवाचिक नामावली के भाग संख्या ..... में क्रम संख्या ..... पर प्रविष्ट है।

मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे प्रस्तुप 12-ख में एक निवाचिन-कर्तव्य प्रमाण-पत्र, उस मतदान केन्द्र से जहाँ मतदान  
के दिन मैं कर्तव्यारूढ़ रहूँगा, मत देने के लिए दिया जाए।

यह प्रमाण-पत्र मुझे निम्नलिखित पते पर भेजा जाये:-

स्थान .....

भवदीय,

दिनांक .....

— — — — —

— — — — —

## **POLLING**

1. (क) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व क्रमांक  
(केवल लोक सभा निर्वाचन में लागू)

**02 बीकानेर**

1. (ख) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व क्रमांक

**15 कोलायत**


2. मतदान केन्द्र का नाम व क्रमांक

121 रा.आ.उ.मा.वि., गजनेर, बीकानेर

3. मतदान की तारीख

**06 मई, 2019**

4. पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर



काउन्टर नं. 2 पर जमा किया जायेगा। (पैकेट 2 में रखें)

चपड़ी से सील नहीं करना है।

**(12)**

आम चुनाव - 2019...

## **लोक सभा / विधान सभा**

1. इलेक्शन इयूटी सर्टिफिकेट (फार्म-12 ख)

**EDC प्ररूप 12 ख लिफाफा सं. 12 में रखकर चपड़ी से सील किए बिना पैकेट 2 में रखकर काउन्टर नं. 2 पर जमा कराया जाएगा।**

[प्ररूप 12]

[नियम 19 और 20 देखिये]

(डाक मतपत्र हेतु)

## रिटर्निंग ऑफिसर को प्रज्ञापना-पत्र

प्रेषिती :-

विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए रिटर्निंग ऑफिसर  
महोदय,

मैं ..... विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से विधान सभा/लोक  
सभा के लिए होने वाले निर्वाचन में अपना मत डाक द्वारा देना चाहता हूँ।

मेरा नाम संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र .....  
में समाविष्ट ..... विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली  
के भाग संख्या ..... में क्रम संख्या ..... पर प्रविष्टि है।

मुझे मतपत्र निम्नलिखित पते पर भेजा जाए:-

स्थान .....  
दिनांक .....

भवदीय,

<sup>1</sup> अधिसूचना सं. का.आ. 3662, तारीख 12 अक्टूबर, 1964 द्वारा प्ररूप 12 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

प्रलम 12-सा  
(नियम 23 (1) (१०) विधिप)

### लिफाफा क

|  |                          |
|--|--------------------------|
| लिफाफा 'क'                               | गणना से पूर्व न खोला जाए |
| + के लिए                                 |                          |
| निवाचन<br>काल वित्तपत्र                  |                          |
| अंतिम दिन इच्छाकाल                       |                          |
| * निवाचक की समुचित विविधता दर्शा दियेगा। |                          |

प्रलम 12-सा  
(नियम 23 (1) (१०) विधिप)

### लिफाफा स

|  |   |
|--|---|
| लिफाफा 'स'                               | गणना द्वारा नियमित रूप से आयोजित होने वाली विधिप के अनुसार विविधता दर्शाने के लिए उपयोग किया जाए। |
| निवाचन विविधत                            |   |
| अंतिम दिन इच्छाकाल                       |   |
| * निवाचक की समुचित विविधता दर्शा दियेगा। |   |

प्रलम - 13-ब  
FORM 13-A

### निवाचक द्वारा घोषणा DECLARATION BY ELECTOR

(नियम 23 (1) (१०) के अनुसार)  
(See rule 23 (1) (१०))

निवाचक की जीवन से "दोषात्मक/विवाचक विविधत" की विविधत।

Election to the "House of people's legislative Assembly from constituency \_\_\_\_\_" (यह जनता वित्तपत्र के लिए यह विवाचक की विविधत है।)  
(This side is to be used only when the elector signs the declaration himself.)

मेरे द्वारा नियमानुसार मेरी विविधत की विविधत है।  
मेरा विवाचक विविधत मेरी विविधत है।

I hereby declare that I am the elector to whom the postal ballot paper bearing serial number \_\_\_\_\_ has been issued at the above election.

निवाचक की जीवन से अनुप्राप्तवाक्यानुभव के बारे में  
Signature of elector \_\_\_\_\_  
नाम \_\_\_\_\_  
Date \_\_\_\_\_  
Address \_\_\_\_\_

निवाचक की जीवन से अनुप्राप्तवाक्यानुभव के बारे में  
Signature of elector \_\_\_\_\_  
नाम \_\_\_\_\_  
Date \_\_\_\_\_  
Address \_\_\_\_\_

"मेरा विवाचक विविधत मेरी विविधत है। मेरी विविधत मेरी विविधत है।"  
मेरी विवाचक विविधत मेरी विविधत है। मेरी विविधत मेरी विविधत है।

The above has been signed in my presence by \_\_\_\_\_  
(elector's name) (personally known to me/has been identified to me by my satisfaction by  
(elector's name) (personally known to me/has been identified to me by my satisfaction by  
(elector's name) (personally known to me/has been identified to me by my satisfaction by  
(elector's name) (personally known to me/has been identified to me by my satisfaction by  
Signature of identifier, if any \_\_\_\_\_  
Name \_\_\_\_\_  
Address \_\_\_\_\_

निवाचक की जीवन के बारे में  
Signature of Attaching Officer \_\_\_\_\_  
नाम \_\_\_\_\_  
Date \_\_\_\_\_  
Address \_\_\_\_\_

"मेरा विवाचक विविधत मेरी विविधत है। मेरी विविधत मेरी विविधत है।"  
मेरी विवाचक विविधत मेरी विविधत है। मेरी विविधत मेरी विविधत है।

प्रलम 13-ब  
FORM 13-B

### निवाचक की जीवन से अनुप्राप्तवाक्यानुभव के बारे में CERTIFICATE

मेरी विवाचक विविधत मेरी विविधत है।  
मेरी विवाचक विविधत मेरी विविधत है।

I hereby declare that I am the elector to whom the postal ballot paper bearing serial number \_\_\_\_\_ has been issued at the above election.

निवाचक की जीवन से अनुप्राप्तवाक्यानुभव के बारे में  
Signature of Attaching Officer on behalf of elector \_\_\_\_\_  
Name \_\_\_\_\_  
Date \_\_\_\_\_  
Address of elector \_\_\_\_\_

मेरी विवाचक विविधत मेरी विविधत है।  
मेरी विवाचक विविधत मेरी विविधत है।

(1) मेरा विवाचक विविधत मेरी विविधत है। मेरा विवाचक विविधत मेरी विविधत है।  
The above named elector is personally known to me/has been identified to me by my satisfaction by  
myself/any other person who is personally known to me.

(2) मेरा विवाचक विविधत मेरी विविधत है। मेरा विवाचक विविधत मेरी विविधत है।  
I have satisfied that the elector is also present here from \_\_\_\_\_ and is unable to record his vote himself or sign the declaration.  
The elector is physically absent at the time of recording his vote and signing the declaration.

(3) मेरा विवाचक विविधत मेरी विविधत है। मेरा विवाचक विविधत मेरी विविधत है।  
I was requested by him to mark the ballot paper and to sign the above declaration on his behalf, and he was present at the time of marking the ballot paper and signing the declaration.

(4) मेरा विवाचक विविधत मेरी विविधत है। मेरा विवाचक विविधत मेरी विविधत है।  
The ballot paper was marked and the declaration signed by me on his behalf in his presence and in his handwriting.

निवाचक की जीवन के बारे में  
Signature of Attaching Officer \_\_\_\_\_  
नाम \_\_\_\_\_  
Date \_\_\_\_\_  
Address \_\_\_\_\_

निवाचक की जीवन के बारे में  
Signature of Attaching Officer \_\_\_\_\_  
नाम \_\_\_\_\_  
Date \_\_\_\_\_  
Address \_\_\_\_\_

"मेरा विवाचक विविधत मेरी विविधत है। मेरी विविधत मेरी विविधत है।"  
मेरी विवाचक विविधत मेरी विविधत है। मेरी विविधत मेरी विविधत है।

प्रारूप—13ख

नियम—23(1)(ख) देखिए

लिफाफा क  
लिफाफा क गणना से पूर्व न  
खोला जाए

..... \*के लिए

निर्वाचन  
डाक मतपत्र

मतपत्र का क्रमांक.....

.....

\*निर्वाचन की समचित विशिष्टताएँ यहाँ

# मतदान पश्चात् के लिफाफे



- ✓ सांविधिक – कुल 5 लिफाफे – हरे रंग के – हरे लिफाफे में
- ✓ असांविधिक – कुल 11 लिफाफे पीले रंग के – पीले लिफाफे में
- ✓ अन्य 7 सामग्रियाँ – तृतीय लिफाफा – भूरे रंग का लिफाफा
- ✓ शेष सामग्री – चतुर्थ लिफाफा – नीला
- ✓ यदि किसी लिफाफे में कोई सामग्री नहीं है तो भी **Nil** की पर्ची के साथ लिफाफा यथावांछित पैक कर यथाविहित बड़े लिफाफे में रखा जाए।

## **POLLING**

1. (क) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व क्रमांक  
(केवल लोक सभा निर्वाचन में लागू)

**02 बीकानेर**

1. (ख) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व क्रमांक

**15 कोलायत**


2. मतदान केन्द्र का नाम व क्रमांक

**121 रा.आ.उ.मा.वि., गजनेर, बीकानेर**

3. मतदान की तारीख

**06 मई, 2019**

4. पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर



काउंटर नं. 2 पर जमा किया जायेगा। (पैकेट 1 में रखें)

चपड़ी से सील करना है।

**(4)**

**आम चुनाव - 2019....**

**लोक सभा / विधान सभा**

निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति

(मार्क्ड कापी ऑफ इलेक्टोरल रोल्स एवं  
सी.एस.वी.एस. (CSVs) की सूची)

मतदान सम्पन्न होने के उपरान्त चिन्हित निर्वाचक नामावली व की CSV की सूची  
लिफाफा सं. 04 में रखकर चपड़ी से सील करनी है तथा  
पैकेट 1 में रखकर काउंटर नं. 2 पर जमा करवाना है।

## **POLLING**

1. (क) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व क्रमांक  
(केवल लोक सभा निर्वाचन में लागू)

02 बीकानेर

1. (ख) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व क्रमांक  
15 कोलायत


2. मतदान केन्द्र का नाम व क्रमांक

121 रा.आ.ज.मा.वि., गजनेर, बीकानेर

3. मतदान की तारीख

06 मई, 2019

4. पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर



काउंटर नं. 2 पर जमा किया जायेगा। (पैकेट 2 में रखें)

चपड़ी से सील नहीं करना है।

(10)

आम चुनाव - 2019....

**लोक सभा / विधान सभा**

निर्वाचक नामावली की अन्य प्रतियाँ  
(चिन्हित प्रति के **अतिरिक्त**)

मतदान सम्पन्न होने के उपरान्त चिन्हित निर्वाचक नामावली के अतिरिक्त अन्य प्रतियाँ  
पीले रंग के लिफाफा सं. 10 में रखकर चपड़ी से सील नहीं करनी है तथा  
पैकेट 2 में रखकर काउण्टर नं. 2 पर जमा करवाना है।



# EVM के साथ काउण्टर नं. 01

## पर जमा होने वाली सामग्री

1. रिकार्ड किए गए मतों का लेखा और पेपर सील का लेखा  
(लिफाफा नं. 1 ) **UNSEALED**
2. पीठासीन अधिकारी द्वारा की गई घोषणाएं (लिफाफा नं. 2)  
**UNSEALED**
3. पीठासीन अधिकारी की डायरी ( लिफाफा नं. 3 )  
**UNSEALED**
4. PS 05 **UNSEALED**

राजकीय पोलिटेक्निक महाविद्यालय, बीकानेर में विधानसभावार  
सामग्री संकलित की जाएगी ।

# काउण्टर नं. 02 पर जमा होने वाली सामग्री

## 1. प्रथम पैकिट – सांविधिक लिफाफे

1. निर्वाचन नामावली की चिन्हित प्रति का सील्ड लिफाफा (4)
2. मतदाताओं के रजिस्टर का सील्ड लिफाफा (5)
3. मतदाता पर्चियों का सील्ड लिफाफा (6)
4. अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्रों का सील्ड लिफाफा (7)
5. प्रयुक्त निविदत्त मतपत्रों और प्रारूप 17ख की सूची का सील्ड लिफाफा (8)

अन्य सामग्री पेकिंग के लिए कुल दो बड़े पैकेट बनेंगे,  
जो काउण्टर नं. 03 पर जमा होंगे

### तृतीय पैकिट

1. पीठासीन अधिकारियों के लिए पुस्तिका
2. इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन की निर्देशिका
3. अमिट स्याही सैट
4. स्टॉम्प पैड
5. पीठासीन अधिकारी की धातु की मोहर
6. निविदत्त मतपत्रों को चिन्हित करने के लिए ऐरोक्रास सील

### चतुर्थ पैकिट

बचे हुए समस्त खाली फार्म, चपड़ी, मोमबत्ती थैला आदि समस्त बचा हुआ सामान चतुर्थ पैकिट में होगा।



# काउन्टर नं. 1 पर जमा होने वाले महत्वपूर्ण छोटे लिफाफे

## POLLING

1. (क) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व क्रमांक  
(केवल लोक सभा निर्वाचन में लागु)
2. मतदान केन्द्र का नाम व क्रमांक
3. मतदान की तारीख
4. पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

काउन्टर नं. 1 पर जमा किया जायेगा।

चपड़ी से सील नहीं करना है।

(1)

आम चुनाव - 201.....

**लोक सभा/विधान सभा**

अभिलिखित मतों का लेखा एवं पेपर सील का लेखा  
(फार्म नं. 17 ग)

## POLLING

1. (क) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व क्रमांक  
(केवल लोक सभा निर्वाचन में लागु)
2. मतदान केन्द्र का नाम व क्रमांक
3. मतदान की तारीख
4. पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

काउन्टर नं. 1 पर जमा किया जायेगा।

चपड़ी से सील नहीं करना है।

(2)

आम चुनाव - 201.....

**लोक सभा/विधान सभा**

मतदान प्रारम्भ होने से पहले तथा मतदान समाप्ति के बाद  
पीठासीन पदाधिकारी द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा  
निर्धारित प्रपत्र में की जाने वाली घोषणाएँ।

## POLLING

1. (क) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व क्रमांक  
(केवल लोक सभा निर्वाचन में लागु)
2. मतदान केन्द्र का नाम व क्रमांक
3. मतदान की तारीख
4. पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

काउन्टर नं. 1 पर जमा किया जायेगा।

चपड़ी से सील नहीं करना है।

(3)

आम चुनाव - 201.....

**लोक सभा/विधान सभा**

1. पीठासीन अधिकारी की डाकरी एवं अतिरिक्त रिपोर्ट प्रपत्र,  
बनावटी मतदान प्रमाण पत्र एवं विजिट शीट  
2. पीठासीन अधिकारी के विशेष अनुदेश की प्रति



# કાઉન્ટર નં. 2 પર જમા હોને વાલે મહત્વપૂર્ણ છોટે લિફાફે

## POLLING

1. (ક) લોક સભા નિવાચન કોરા નામ વ ક્રમાંક  
(કેવળ લોક સભા નિવાચન મં લાગુ)
2. મતદાન કેન્દ્ર કા નામ વ ક્રમાંક
3. મતદાન કી તારીખ
4. પીઠાસીન અધિકારી કે હસ્તાક્ષર

કાઉન્ટર નં. 2 પર જમા કિયા જાયેગા। (પૈકેટ 1 મં રહેં)

ચપડી સે સીલ કરના હૈ।

(7)

આમ ચુનાવ - 201.....

## લોક સભા/વિધાન સભા

અગ્રયુક્ત નિવિદન મતપત્ર

## POLLING

1. (ક) લોક સભા નિવાચન કોરા નામ વ ક્રમાંક  
(કેવળ લોક સભા નિવાચન મં લાગુ)
2. મતદાન કેન્દ્ર કા નામ વ ક્રમાંક
3. મતદાન કી તારીખ
4. પીઠાસીન અધિકારી કે હસ્તાક્ષર

કાઉન્ટર નં. 2 પર જમા કિયા જાયેગા। (પૈકેટ 1 મં રહેં)

ચપડી સે સીલ કરના હૈ।

(8)

આમ ચુનાવ - 201.....

## લોક સભા/વિધાન સભા

પ્રયુક્ત નિવિદન મતપત્ર એંબ સૂચી (ફાર્મ 17 છ.)

## POLLING

1. (ક) લોક સભા નિવાચન કોરા નામ વ ક્રમાંક  
(કેવળ લોક સભા નિવાચન મં લાગુ)
2. મતદાન કેન્દ્ર કા નામ વ ક્રમાંક
3. મતદાન કી તારીખ
4. પીઠાસીન અધિકારી કે હસ્તાક્ષર

કાઉન્ટર નં. 2 પર જમા કિયા જાયેગા। (પૈકેટ 2 મં રહેં)

ચપડી સે સીલ નહીં કરના હૈ।

(11)

આમ ચુનાવ - 201.....

## લોક સભા/વિધાન સભા

મતદાન અભિકર્તાઓ (પોલિંગ એજેન્ટ્સ) કી નિયુક્તિ કે પત્ર  
(પ્રદ્ય - 10)

કુલ સંખ્યા.....

## POLLING

1. (ક) લોક સભા નિવાચન કોરા નામ વ ક્રમાંક  
(કેવળ લોક સભા નિવાચન મં લાગુ)
2. મતદાન કેન્દ્ર કા નામ વ ક્રમાંક
3. મતદાન કી તારીખ
4. પીઠાસીન અધિકારી કે હસ્તાક્ષર

કાઉન્ટર નં. 2 પર જમા કિયા જાયેગા। (પૈકેટ 2 મં રહેં)

ચપડી સે સીલ નહીં કરના હૈ।

(12)

આમ ચુનાવ - 201.....

## લોક સભા/વિધાન સભા

1. ડલેક્શન ઇથુટી સર્ટિફિકેટ (ફાર્મ-12 છ.)

## POLLING

1. (ક) લોક સભા નિવાચન કોરા નામ વ ક્રમાંક  
(કેવળ લોક સભા નિવાચન મં લાગુ)
2. મતદાન કેન્દ્ર કા નામ વ ક્રમાંક
3. મતદાન કી તારીખ
4. પીઠાસીન અધિકારી કે હસ્તાક્ષર

કાઉન્ટર નં. 2 પર જમા કિયા જાયેગા। (પૈકેટ 2 મં રહેં)

ચપડી સે સીલ કરના હૈ।

(13)

આમ ચુનાવ - 201.....

## લોક સભા/વિધાન સભા

ચેલેન્જ વોટિંગ લિસ્ટ ફાર્મ (14) મં સૂચી

# काउन्टर नं. 1 पर जमा होने वाले महत्वपूर्ण छोटे लिफाफे

## POLLING

1. (क) लोक सभा निर्वाचन केंद्र का नाम व क्रमांक  
(केवल लोक सभा निर्वाचन में लागू)
2. मतदान केन्द्र का नाम व क्रमांक
3. मतदान की तारीख
4. पीठालीन अधिकारी के हस्ताक्षर

काउन्टर नं. 2 पर जमा किया जायेगा। (पैकेट 2 में रखें)

चपड़ी से सील नहीं करना है।

**(14)**

आम चुनाव - 201.....

## लोक सभा/विधान सभा

अन्ये और अपाहिज मतदाताओं के साथी द्वारा घोषणा  
एवं अन्ये और अपाहिज मतदाताओं की (फार्म-14 क) सूची

## POLLING

1. (क) लोक सभा निर्वाचन केंद्र का नाम व क्रमांक  
(केवल लोक सभा निर्वाचन में लागू)
2. मतदान केन्द्र का नाम व क्रमांक
3. मतदान की तारीख
4. पीठालीन अधिकारी के हस्ताक्षर

काउन्टर नं. 2 पर जमा किया जायेगा। (पैकेट 2 में रखें)

चपड़ी से सील नहीं करना है।

**(15)**

आम चुनाव - 201.....

## लोक सभा/विधान सभा

निर्वाचकों द्वारा आयु के संबंध में प्राप्त घोषणा एवं उनकी सूची  
(संलग्न- XI)

## POLLING

1. (क) लोक सभा निर्वाचन केंद्र का नाम व क्रमांक  
(केवल लोक सभा निर्वाचन में लागू)
2. मतदान केन्द्र का नाम व क्रमांक
3. मतदान की तारीख
4. पीठालीन अधिकारी के हस्ताक्षर

काउन्टर नं. 2 पर जमा किया जायेगा। (पैकेट 2 में रखें)

चपड़ी से सील नहीं करना है।

**(16)**

आम चुनाव - 201.....

## लोक सभा/विधान सभा

चुनावी दिये गये मतों की ग्रामि पुस्तिका एवं नकद राशि, बदि कोइं हो।

## POLLING

1. (क) लोक सभा निर्वाचन केंद्र का नाम व क्रमांक  
(केवल लोक सभा निर्वाचन में लागू)
2. मतदान केन्द्र का नाम व क्रमांक
3. मतदान की तारीख
4. पीठालीन अधिकारी के हस्ताक्षर

काउन्टर नं. 2 पर जमा किया जायेगा। (पैकेट 2 में रखें)

चपड़ी से सील नहीं करना है।

**(17)**

आम चुनाव - 201.....

## लोक सभा/विधान सभा

अप्रयुक्त और शतिग्रस्त कागजी मोहरे  
(अन्यूज्ज एण्ड डेमेज्ड पेपर सील्स)

1. कुल संख्या अप्रयुक्त.....
2. कुल संख्या शतिग्रस्त.....

## POLLING

1. (क) लोक सभा निर्वाचन केंद्र का नाम व क्रमांक  
(केवल लोक सभा निर्वाचन में लागू)
2. मतदान केन्द्र का नाम व क्रमांक
3. मतदान की तारीख
4. पीठालीन अधिकारी के हस्ताक्षर

काउन्टर नं. 2 पर जमा किया जायेगा। (पैकेट 2 में रखें)

चपड़ी से सील नहीं करना है।

**(18)**

आम चुनाव - 201.....

## लोक सभा/विधान सभा

अप्रयुक्त व क्षतिग्रस्त विशेष टेस्स  
(अन्यूज्ज एण्ड डेमेज्ड स्पेशल टेस्स)

1. कुल संख्या अनुप्रयुक्त.....
2. कुल संख्या क्षतिग्रस्त.....

## POLLING

1. (क) लोक सभा निर्वाचन केंद्र का नाम व क्रमांक  
(केवल लोक सभा निर्वाचन में लागू)
2. मतदान केन्द्र का नाम व क्रमांक
3. मतदान की तारीख
4. पीठालीन अधिकारी के हस्ताक्षर

काउन्टर नं. 2 पर जमा किया जायेगा। (पैकेट 2 में रखें)

चपड़ी से सील नहीं करना है।

**(19)**

आम चुनाव - 201.....

## लोक सभा/विधान सभा

अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त स्ट्रीप सील्स  
(अन्यूज्ज एण्ड डेमेज्ड स्ट्रीप सील्स)

1. कुल संख्या अप्रयुक्त.....
2. कुल संख्या क्षतिग्रस्त.....



# महत्वपूर्ण बड़े लिफाफे

## POLLING

1. (क) लोक सभा निर्वाचन देव का नाम व क्रमांक  
(केवल लोक सभा निर्वाचन में लागु)
2. मतदान केन्द्र का नाम व क्रमांक
3. मतदान की तारीख
4. पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

काउन्टर नं. 2 पर जमा किया जायेगा। (पैकेट 1 में रखें)  
चपड़ी से सील करना है।

(4)

आम चुनाव - 201.....

## लोक सभा/विधान सभा

निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति  
(मार्कड कापी आँफ इलेक्टोरल रोल्स एवं  
सी.एस.वी.एस. (CSVs) की सूची)

## POLLING

1. (क) लोक सभा निर्वाचन देव का नाम व क्रमांक  
(केवल लोक सभा निर्वाचन में लागु)
2. मतदान केन्द्र का नाम व क्रमांक
3. मतदान की तारीख
4. पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

काउन्टर नं. 2 पर जमा किया जायेगा। (पैकेट 1 में रखें)

चपड़ी से सील करना है।

(5)

आम चुनाव - 201.....

## लोक सभा/विधान सभा

अभिलिखित मतों की पंजिका (मतदाता रजिस्टर)

## POLLING

1. (क) लोक सभा निर्वाचन देव का नाम व क्रमांक  
(केवल लोक सभा निर्वाचन में लागु)
2. मतदान केन्द्र का नाम व क्रमांक
3. मतदान की तारीख
4. पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

काउन्टर नं. 2 पर जमा किया जायेगा। (पैकेट 1 में रखें)  
चपड़ी से सील करना है।

(6)

आम चुनाव - 201.....

## लोक सभा/विधान सभा

मतदाता की परिचयों



# महत्वपूर्ण बड़े लिफाफे

## POLLING

1. (क) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व क्रमांक  
(केवल लोक सभा निर्वाचन में लागु)

1. (ख) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व क्रमांक

2. मतदान केन्द्र का नाम व क्रमांक

3. मतदान की तारीख

4. पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

काउन्टर नं. 2 पर जमा किया जायेगा। (पैकेट 2 में रखें)

चपड़ी से सील नहीं करना है।

(9)

आम चुनाव - 201.....

लोक सभा/विधान सभा

अप्रयुक्त, मतदाताओं की पर्चियाँ एवं एड्स टैग

## POLLING

1. (क) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व क्रमांक  
(केवल लोक सभा निर्वाचन में लागु)

1. (ख) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व क्रमांक

2. मतदान केन्द्र का नाम व क्रमांक

3. मतदान की तारीख

4. पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

काउन्टर नं. 2 पर जमा किया जायेगा। (पैकेट 2 में रखें)

चपड़ी से सील नहीं करना है।

(10)



आम चुनाव - 201.....

लोक सभा/विधान सभा

निर्वाचक नामावली की अन्य प्रतियाँ  
(चिन्हित प्रति के अतिरिक्त)

पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान की समाप्ति पर सील की गई वोटिंग मशीन और निर्वाचन सम्बन्धी दस्तावेजों को संग्रहण केन्द्र पर अविलम्ब सुपुर्द कर संग्रहण केन्द्र के प्रभारी अधिकारी से प्राप्ति की रसीद अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिए।

## स्पेशल टैग



**Check List for Presiding/Polling Officers regarding  
Register of Voters (Form - 17A)**

Parliamentary/Assembly Constituency No. \_\_\_\_\_

Name of Parliamentary/  
Assembly Constituency \_\_\_\_\_

Polling Station No. \_\_\_\_\_

|   |        |
|---|--------|
| (a) Whether any Identification documents of voters checked along with their numbers, if any.                      | Yes/No |
| (b) Whether last four digits of EPIC has been entered :-  | Yes/No |
| (c) Whether left thumb Impression/Signature of all electors has been taken on the Register of Voters (Form - 17A) | Yes/No |
| (d) Whether Register of Voters (Form-17A) has been filled up properly.  | Yes/No |

Signature of the Presiding Officer

Name of the Presiding Officer \_\_\_\_\_

## **Information to be produced by Presiding Officer to RO after Poll**

| S.No. | Item   |  |
|-------|--|--|
| 1.    | Total Electors in the P.S.   | Male _____<br>Female _____<br>Other _____<br>Total _____ |
| 2.    | Number of persons who voted in the P.S.  | Male _____<br>Female _____<br>Other _____<br>Total _____ |
| 3.    | Number of Tendered votes.  | _____  |
| 4.    | Number of challenged votes.  | _____  |
| 5.    | Number of Proxy votes by CSVS  | _____  |
| 6.    | Number of electors who exercised their right of votes on the basis of EPIC                                     | _____  |
| 7.    | Number of electors who exercised their right of vote on the basis Photo voter slip provided by the Commission. | _____  |
| 8.    | Number of electors who exercised their right of vote on the basis alternative document.                        | _____  |
| 9.    | Number of electors who exercised their right under rule 49 'O'.  | _____  |
| 10.   | Number of polling agents in the polling station.   | _____  |
| 11.   | Number of polling stations where no polling agent or only one polling agent was present.                       | _____  |
| 12.   | Number of overseas electors who voted in the poll.   | _____  |
| 13.   | Number of EVMs used  | _____  |
| 14.   | Whether the EVM was changed or replaced  | _____  |
| 15.   | If so the time when changed and what was the reason for it   | _____  |
| 16.   | Total ASD voters in the list   | _____  |
| 17.   | Total persons who cast their votes from the ASD voters list  | _____  |
| 18.   | Any incident of violence or poll interruption due to any reason  | _____  |
| 19.   | Complaints received with respect to that polling station   | _____  |

Signature of the Presiding Officer

Name of the Presiding Officer \_\_\_\_\_

**पीठासीन अधिकारी की अतिरिक्त रिपोर्ट का प्रारूप**  
**(निर्वाचन क्षेत्र के पर्यवेक्षक / रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत किया जाए)**

|    |   |    |  |
|----|---|----|--|
| 1  | मतदान केन्द्र की संख्या   | 2  | को मुक्त, तैनात किया गया है/नहीं   |
| 3  | मार्डों परिवर्तक लगाया गया है/नहीं  | 4  | वीकियों कैमरे लगाया गया है/नहीं  |
| 5  | कुल मतदाता  | 6  | उल्लंघन की संख्या  |
| 7  | मतदान का प्रतिशत  | 8  | कुल उमीदवारों की संख्या  |
| 9  | उमीदवारों की संख्या जिनका प्रतिशत मतदान अधिकारी द्वारा किया गया।  | 10 | ऐसे मतदाताओं की संख्या जिनके द्वारा मतदान के लिए ब.पो.प. पत्र के अलावा अन्य दस्तावेजों का प्रयोग किया। |
| 11 | वय विवरणी मतदान अधिकारी की उपस्थिति में किया गया है/नहीं  | 12 | वय विवरणी मतदान वरीयर कर दिया है।<br>है/नहीं   |
| 13 | वय शीर्षे अधिकारीओं की उपस्थिति में समृद्धि सम से बड़े ऐसे गोरखपट की गई                                   | 14 | वया मतदान अधिकारीओं को उनके हस्ताक्षर लेने के पश्चात् फार्म 17 से दिया गया?                            |
| 15 | ऐसे मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मतदान के अन्तिम घटने में टोकन प्राप्त कर साथ 5.00 को पश्चात् मतदान किया। | 16 | वया मतदान के दोस्रा कोई यात्रुकर्ता पहला चरण है? है/नहीं   |

**LOK SABHA/VIDHAN SABHA  
GENERAL ELECTION, 201.....  
COUNTER NO. 1**

(TO BE RETAINED BY COLLECTING OFFICER)  
ARTICLES DEPOSITED BY PRESIDING  
OFFICER AT COUNTER NO. OR AT ANY  
COLLECTING CENTRE.

1. NAME & NO. OF PARLIAMENTARY CONSTITUENCY.....
2. NAME & NUMBER OF ASSEMBLY SEGMENT.....
3. NAME & NO. OF POLLING STATION.....
4. DATE OF POLL.....
5. NO. OF PARTY.....
6. NAME OF PRESIDING OFFICER WITH OFFICIAL DESIGNATION.....

**ARTICLES DEPOSITED**

(TO BE KEPT IN STRONG ROOM WITH USED  
EVM)

1. USED CONTROL AND BALLOT UNIT.....
2. USED PRINTERS FOR VVPAT.....
3. UNSEALED ENVELOP NO. 1.....  
BALLOT PAPER ACCOUNT AND PAPER SEAL  
ACCOUNT (FORM-17C)
4. UNSEALED ENVELOP NO. 2  
DECLARATION BY PRESIDING OFFICER
5. UNSEALED ENVELOP NO. 3.....  
PRESIDING OFFICER DAIRY & ADDITIONAL  
REPORT OF PRESIDING OFFICER'S, MOCK  
POLL CERTIFICATE & VISIT SHEET  
(TO BE RETAINED IN THE OFFICE OF R.O.)

SIGNATURE OF THE PRESIDING OFFICER

SIGNATURE OF THE INCHARGE  
COLLECTING CENTRE  
DISTRICT.....

**LOK SABHA/VIDHAN SABHA  
GENERAL ELECTION, 201.....  
COUNTER NO. 1**

(TO BE RETAINED BY COLLECTING OFFICER)  
ARTICLES DEPOSITED BY PRESIDING  
OFFICER AT COUNTER NO. OR AT ANY  
COLLECTING CENTRE.

1. NAME & NO. OF PARLIAMENTARY CONSTITUENCY.....
2. NAME & NUMBER OF ASSEMBLY SEGMENT.....
3. NAME & NO. OF POLLING STATION.....
4. DATE OF POLL.....
5. NO. OF PARTY.....
6. NAME OF PRESIDING OFFICER WITH OFFICIAL DESIGNATION.....

**ARTICLES DEPOSITED**

(TO BE KEPT IN STRONG ROOM WITH USED  
EVM)

1. USED CONTROL AND BALLOT UNIT.....
2. USED PRINTERS FOR VVPAT.....
3. UNSEALED ENVELOP NO. 1.....  
BALLOT PAPER ACCOUNT AND PAPER SEAL  
ACCOUNT (FORM-17C)
4. UNSEALED ENVELOP NO. 2  
DECLARATION BY PRESIDING OFFICER
5. UNSEALED ENVELOP NO. 3.....  
PRESIDING OFFICER DAIRY & ADDITIONAL  
REPORT OF PRESIDING OFFICER'S, MOCK  
POLL CERTIFICATE & VISIT SHEET  
(TO BE RETAINED IN THE OFFICE OF R.O.)

SIGNATURE OF THE PRESIDING OFFICER

SIGNATURE OF THE INCHARGE  
COLLECTING CENTRE  
DISTRICT.....

**LOK SABHA/VIDHAN SABHA GENERAL  
ELECTION, 201.....**

**Counter No. : 2**

(TO BE RETAINED BY COLLECTING OFFICER)

ARTICLES DEPOSITED BY PRESIDING  
OFFICERS AT COUNTER NO. 2 OR  
AT ANY COLLECTING CENTRE

1. Date of Poll.....
2. Name & No. of Parliamentary Constituency
3. Name & No. of Assembly Segment
4. Name & No. of Polling Station
5. Polling Party No. ....
6. Name of Presiding Officer with Official Designation.....

(A) Record Deposited for Placing in the Sealed Box

**STATUTORY  
SEALED COVERS**

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. Marked Copy of Electoral Roll  | Env. No. 4  |
| 2. Register of Voters   | Env. No. 5  |
| 3. Voters Slip (Used)   | Env. No. 6  |
| 4. Unused Tendered Ballot Papers  | Env. No. 7  |
| 5. Tendered Ballot Papers (Duly Marked) and Tendered Votes list in Form 17B | Env. No. 8  |
| 6. Printed Paper Slips of Mock Poll   | Env. No. 24 |

**LOK SABHA/VIDHAN SABHA GENERAL  
ELECTION, 201.....**

**Counter No. : 2**

(TO BE RETAINED BY PRESIDING OFFICER)

ARTICLES DEPOSITED BY PRESIDING  
OFFICERS AT COUNTER NO. 2 OR  
AT ANY COLLECTING CENTRE

1. Date of Poll.....
2. Name & No. of Parliamentary Constituency
3. Name & No. of Assembly Segment
4. Name & No. of Polling Station
5. Polling Party No. ....
6. Name of Presiding Officer with Official Designation.....

(A) Record Deposited for Placing in the Sealed Box

**STATUTORY  
SEALED COVERS**

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. Marked Copy of Electoral Roll  | Env. No. 4  |
| 2. Register of Voters   | Env. No. 5  |
| 3. Voters Slip (Used)   | Env. No. 6  |
| 4. Unused Tendered Ballot Papers  | Env. No. 7  |
| 5. Tendered Ballot Papers (Duly Marked) and Tendered Votes list in Form 17B | Env. No. 8  |
| 6. Printed Paper Slips of Mock Poll   | Env. No. 24 |

**(B) NON-STATUTORY COVERS***(For Retention Officers)*

7. Unused Address Tag & Voters Slip (Unsealed) Env. No. 9
8. Other Copies of Electoral Rolls (Unsealed) Env. No. 10
9. Form of Appointment of Polling Agents (Form 10) Unsealed Env. No. 11
10. Election Duty Certificate (Form 12-B) Env. No. 12
11. Challenged Votes List Sealed (Form 14) Env. No. 13
12. Envelope Containing :-  
(Unsealed)  
(i) Declaration by Companion of Blind and Infirm Voters  
(ii) List of Blind and Infirm Voters (Form 14-A) Env. No. 14
13. Declaration About Age & their List (Unsealed) Env. No. 15
14. Challenge for Receipt Books & Cash Env. No. 16
15. Unused and Damaged Papers Seals Env. No. 17
16. Unused and Damaged Special Tags Env. No. 18
17. Unused and Damaged Strip Seals Env. No. 19

**(B) NON-STATUTORY COVERS***(For Retention Officers)*

7. Unused Address Tag & Voters Slip (Unsealed) Env. No. 9
8. Other Copies of Electoral Rolls (Unsealed) Env. No. 10
9. Form of Appointment of Polling Agents (Form 10) Unsealed Env. No. 11
10. Election Duty Certificate (Form 12-B) Env. No. 12
11. Challenged Votes List Sealed (Form 14) Env. No. 13
12. Envelope Containing :-  
(Unsealed)  
(i) Declaration by Companion of Blind and Infirm Voters  
(ii) List of Blind and Infirm Voters (Form 14-A) Env. No. 14
13. Declaration About Age & their List (Unsealed) Env. No. 15
14. Challenge for Receipt Books & Cash Env. No. 16
15. Unused and Damaged Papers Seals Env. No. 17
16. Unused and Damaged Special Tags Env. No. 18
17. Unused and Damaged Strip Seals Env. No. 19

**Signature of the Presiding Officer****Signature of the Incharge Collecting Officer****Signature of the Presiding Officer****Signature of the Incharge Collecting Officer**

**LOK SABHA/VIDHAN SABHA  
GENERAL ELECTION, 201.....  
COUNTER NO. 3**

(TO BE RETAINED BY COLLECTING OFFICER)  
ARTICLES DEPOSITED BY PRESIDING OFFICER  
AT COUNTER NO. 3 OR AT ANY COLLECTING  
CENTRE.

1. NAME & NO. OF PARLIAMENTARY CONSTITUENCY .....
2. NAME & NO. OF ASSEMBLY SEGMENT .....
3. NAME & NO. OF POLLING STATION .....
4. NAME OF PRESIDING OFFICER WITH OFFICIAL DESIGNATION .....
5. POLLING PARTY NO. .....
6. DATE OF POLL .....

**PACKET-III CONTAINING  
FOLLOWING ITEMS**

1. HAND BOOK FOR PRESIDING OFFICER INSTRUCTIONS.
2. MANUAL OF ELECTRONIC VOTING MACHINE.
3. INDELIBLE INK PHIALS.
4. STAMP PAD.
5. PRESIDING OFFICER'S BRASS SEALS METAL.
6. DISTINGUISHING RUBBER STAMP.
7. ARROW CROSS MARK SEALS.
8. CIGARETTE TIN/CUP.

**PACKET-IV CONTAINING THE OTHER MISCELLANEOUS ITEMS**

1. VOTING COMPARTMENT & CURTAIN.
2. CLOTH BAGS .....
3. UNUSED CONTROL & BALLOT UNIT .....
4. CANVAS BAG/IRON BOX ETC. ....

SIGNATURE OF THE PRESIDING OFFICER

SIGNATURE OF THE INCHARGE  
COLLECTING CENTRE  
DISTRICT .....

**LOK SABHA/VIDHAN SABHA  
GENERAL ELECTION, 201.....  
COUNTER NO. 3**

(TO BE RETAINED BY PRESIDING OFFICER)  
ARTICLES DEPOSITED BY PRESIDING OFFICER  
AT COUNTER NO. 3 OR AT ANY COLLECTING  
CENTRE.

1. NAME & NO. OF PARLIAMENTARY CONSTITUENCY .....
2. NAME & NO. OF ASSEMBLY SEGMENT .....
3. NAME & NO. OF POLLING STATION .....
4. NAME OF PRESIDING OFFICER WITH OFFICIAL DESIGNATION .....
5. POLLING PARTY NO. .....
6. DATE OF POLL .....

**PACKET-III CONTAINING  
FOLLOWING ITEMS**

1. HAND BOOK FOR PRESIDING OFFICER INSTRUCTIONS.
2. MANUAL OF ELECTRONIC VOTING MACHINE.
3. INDELIBLE INK PHIALS.
4. STAMP PAD.
5. PRESIDING OFFICER'S BRASS SEALS METAL.
6. DISTINGUISHING RUBBER STAMP.
7. ARROW CROSS MARK SEALS.
8. CIGARETTE TIN/CUP.

**PACKET-IV CONTAINING THE OTHER MISCELLANEOUS ITEMS**

1. VOTING COMPARTMENT & CURTAIN.
2. CLOTH BAGS .....
3. UNUSED CONTROL & BALLOT UNIT .....
4. CANVAS BAG/IRON BOX ETC. ....

SIGNATURE OF THE PRESIDING OFFICER

SIGNATURE OF THE INCHARGE  
COLLECTING CENTRE  
DISTRICT .....



संकलन व सम्पादन  
जिला निर्वाचन कार्यालय, प्रशिक्षण प्रकोष्ठ,  
बीकानेर

Pawan Kumar Chohil

Dr. Shaminendra Saxena

Dr. Vipin Saini

Dr. Y.B. Mathur

Er. S.L. Rathi



साधुवाद सहित  
कोटिशः मंगलकामनाएँ